इतिहास और नागरिकशास्त्र

आठवीं कक्षा

भारत का संविधान

भाग 4 क

मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।

शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ के अनुसार समन्वय समिति का गठन किया गया ।
दिनांक २९.१२.२०१७ को हुई इस समिति की बैठक में सन २०१८-१९ इस कालावधि से यह पाठ्यपुस्तक निर्धारित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई ।

इतिहास और नागरिकशास्त्र

आठवीं कक्षा

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

99AFGP

आपके स्मार्ट फोन के DIKSHA APP द्वारा पाठ्यपुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर दिए गए Q.R.Code के माध्यम से डिजीटल पाठ्यपुस्तक और प्रत्येक पाठ में दिए हुए Q.R.Code के माध्यम से उन पाठों से संबंधित अध्ययन-अध्यापन करने के लिए उपयुक्त दृश्य-श्रव्य सामग्री/साहित्य उपलब्ध होगा ।

प्रथमावृत्ति : २०१८
पुनर्मुद्रण : नवंबर २०२१

© **महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति एवं अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे ४११ ००४.**
इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है । इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता ।

इतिहास विषय समिति

डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष
श्री मोहन शेटे, सदस्य
श्री पांडुरंग बलकवडे, सदस्य
डॉ. शुभांगना अत्रे, सदस्य
डॉ. सोमनाथ रोडे, सदस्य
श्री बापूसाहेब शिंदे, सदस्य
श्री बाळकृष्ण चोपडे, सदस्य
श्री प्रशांत सरूडकर, सदस्य
श्री मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

नागरिकशास्त्र विषय समिति

डॉ. श्रीकांत परांजपे, अध्यक्ष
प्रा. साधना कुलकर्णी, सदस्य
डॉ. प्रकाश पवार, सदस्य
प्रा. अजिंक्य गायकवाड, सदस्य
प्रा. संगीता आहेर, सदस्य
डॉ. मोहन काशीकर, सदस्य
श्री वैजनाथ काळे, सदस्य
श्री मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

इतिहास और नागरिकशास्त्र अध्ययन वर्ग

श्री राहुल प्रभू
श्री संजय वझरेकर
श्री सुभाष राठोड
सौ. सुनीता दळवी
डॉ. शिवानी लिमये
श्री भाऊसाहेब उमाटे
डॉ. नागनाथ येवले
श्री सदानंद डोंगरे
श्री रवींद्र पाटील
सौ. रूपाली गिरकर
डॉ. मिनाक्षी उपाध्याय
डॉ. रावसाहेब शेळके
डॉ. सतीश चापले
श्री विशाल कुलकर्णी
श्री शेखर पाटील
श्री रामदास ठाकर
डॉ. अजित आपटे
डॉ. मोहन खडसे
सौ. शिवकन्या कदेरकर
श्री गौतम डांगे
डॉ. व्यंकटेश खरात
श्री रविंद्र जिंदे
डॉ. प्रभाकर लोंढे
डॉ. मंजिरी भालेराव
प्रा. शशि निघोजकर

भाषांतरकार

प्रा. शशि निघोजकर
प्रा. ज्ञानेश्वर सोनार

समीक्षक

डॉ. प्रमोद शुक्ल

लेखन गट

श्री राहुल प्रभू
श्री भाऊसाहेब उमाटे
श्री प्रशांत सरूडकर
प्रा. शिवानी लिमये
श्री संजय वझरेकर
प्रा. साधना कुलकर्णी

मुखपृष्ठ एवं सजावट

श्री दिलीप कदम

मानचित्रकार

श्री रविकिरण जाधव

अक्षरांकन

मुद्रा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

कागज : ७० जी.एस.एम. क्रिमवोव

मुद्रणादेश :

मुद्रक :

संयोजक

श्री मोगल जाधव
विशेषाधिकारी, इतिहास व नागरिकशास्त्र
सौ. वर्षा सरोदे
सहायक विशेषाधिकारी, इतिहास व नागरिकशास्त्र
पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे.

निर्मिति

श्री सच्चितानंद आफळे,
मुख्य निर्मिति अधिकारी
श्री प्रभाकर परब,
निर्मिति अधिकारी
श्री शशांक कणिकदळे,
सहायक निर्मिति अधिकारी

प्रकाशक

श्री. विवेक उत्तम गोसावी,
नियंत्रक
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई-२५.

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) **को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

राष्ट्रगीत

जनगणमन – अधिनायक जय हे
भारत – भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत – भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई–बहन हैं।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता–पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूँगा/करूँगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूँगा/रखूँगी । उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है ।

प्रस्तावना

विद्‌यार्थी मित्रो...

तुमने तीसरी कक्षा से पाँचवीं कक्षा तक इतिहास और नागरिकशास्त्र विषयों का अध्ययन 'परिसर अध्ययन' में किया है । छठी कक्षा से पाठ्‌यक्रम में इतिहास और नागरिकशास्त्र विषय स्वतंत्र रखे गए हैं और इन दोनों विषयों का समावेश एक ही पाठ्‌यपुस्तक में किया गया है । आठवीं कक्षा की पाठ्‌यपुस्तक तुम्हारे हाथों में देते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है ।

विषय का भली-भाँति आकलन हो, विषय मनोरंजक लगे और हमारे पूर्वजों के कार्यों से प्रेरणा मिले; इस दृष्टि से पाठ्‌यपुस्तक की रचना की गई है । इस पाठ्‌यपुस्तक के अध्ययन द्‌वारा ज्ञान के साथ-साथ तुम्हारा अध्ययन सार्थक होगा, ऐसा हमें लगता है । इसके लिए पाठ्‌यपुस्तक में रंगीन चित्र और मानचित्र दिए गए हैं । पाठ्‌यपुस्तक के प्रत्येक पाठ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो । पाठ का जो अंश/हिस्सा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा; उस अंश/हिस्से को अपने शिक्षक, अभिभावकों से समझ लो । चौखटों में दिया गया पाठ्‌यांश तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ाएगा । तुम्हें अधिक जानना होगा तो 'एप' के माध्यम से क्यू.आर.कोड द्‌वारा प्रत्येक पाठ के विषय में उपयुक्त दृश्य-श्रव्य सामग्री तुम्हें उपलब्ध होगी । अध्ययन के लिए इसका निश्चित रूप से उपयोग होगा । इतिहास विषय को रोचक बनाने का प्रयास किया गया है । अतः तुममें इस विषय के प्रति निश्चित रूप से रुचि उत्पन्न होगी ।

इतिहास विभाग में 'आधुनिक भारत का इतिहास' दिया गया है । इतिहास में आई हुई नई विचारधारा और शिक्षा के राष्ट्रीय केंद्रिक तत्त्वों और अध्ययन निष्पत्तियों का समन्वय साधकर प्रस्तुत पाठ्‌यपुस्तक का लेखन किया गया है। आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय सिद्‌धांतों की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती गई; यह पाठ्‌यपुस्तक का अध्ययन करने से स्पष्ट होगा । पाठ्‌यपुस्तक में आधुनिक भारतीय इतिहास के साधनों से परिचित कराया गया है । साथ ही; भारत में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार किस प्रकार होता गया; इसकी समीक्षा की गई है । अंग्रेजी सत्ता के जूए से भारत को स्वतंत्र करने के लिए भारतीय जनता द्‌वारा किया गया अविस्मरणीय संग्राम और त्याग की जानकारी इतिहास विभाग में दी गई है ।

नागरिकशास्त्र के विभाग में संसदीय शासन प्रणाली का परिचय कराया है । हमारे देश का शासन संविधान, कानून और नियमों के अनुसार चलता है; इसे स्पष्ट किया है । पाठ्‌यपुस्तक में भारत की संसद, केंद्रीय कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्य सरकार का प्रशासन, नौकरशाही की संरचना और इन सभी की समाज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भूमिका होती है; उसे स्पष्ट किया है ।

पुणे

दिनांक : १८ अप्रैल २०१८, अक्षय्य तृतीया

भारतीय सौर दिनांक : २८ चैत्र १९४०

(डॉ.सुनिल मगर)

संचालक

महाराष्ट्र राज्य पाठ्‌यपुस्तक निर्मिति व

अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

शिक्षकों के लिए

छठी और सातवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में हमने क्रमशः प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया । आठवीं कक्षा के इतिहास में भारत में उपनिवेशीकरण और निःउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तथा स्वातंत्र्योत्तर अवधि में हुए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का समावेश है । स्वतंत्रता युद्ध के लिए कारण बनी वैचारिक प्रेरणा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, स्वतंत्रता सेनानियों द्‌वारा दिए गए योगदान का अध्ययन करने से विद्‌यार्थियों में राष्ट्रीय दायित्वबोध और राष्ट्राभिमान बढ़ेगा ।

इतिहास विज्ञानाधिष्ठित अध्ययन विषय है । इसलिए इतिहास के साधनों का असाधारण महत्त्व है । कालक्रमानुसार इतिहास के साधनों का बदलता स्वरूप ध्यान में रखकर प्रथम विभाग में इतिहास के साधनों का समावेश किया गया है । यूरोप का पुनर्जागरण काल और क्रांतियुग के फलस्वरूप साम्राज्यवाद फला-फूला और एशिया तथा अफ्रीका महाद्‌वीपों में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में वृद्‌धि हुई । भारत भी इस पश्चिमी साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा का शिकार किस प्रकार बना; ब्रिटिश शासन के भारत पर क्या परिणाम हुए, कालांतर में भारतीयों की अस्मिता जागृत होकर स्वतंत्रता की प्रेरणा किस प्रकार प्राप्त हुई; इसका हम विचार करेंगे ।

भारतीय स्वतंत्रता युद्‌ध का अध्यापन करते समय १८५७ ई. का स्वतंत्रता युद्‌ध, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, नरम और गरम पंथियों के कालखंड में राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य, गांधीयुग में सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर किए गए आंदोलन; सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन, आजाद हिंद सेना का युद्‌ध, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति, रियासतों का विलय, फ्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेशों से मुक्ति जैसी घटनाओं की जानकारी विद्‌यार्थियों को दृश्य-श्रव्य साधनों (फिल्म, जानकारीपर फिल्म, अनुबोध फिल्म, ध्वनिफीता आदि), क्षेत्र सैर, प्रदर्शनियाँ, संचयिका और समाचारपत्रों जैसे माध्यमों द्‌वारा उपलब्ध कराई जा सकती है ।

राजनीतिक घटनाओं का विचार करते समय भारत के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार परिवर्तन होते गए; सामाजिक और राजनीतिक समता का विचार भारत में किस प्रकार रच-बस गया; इससे विद्‌यार्थियों का परिचय कराया जा सकेगा । भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि का अध्ययन करते समय महाराष्ट्र राज्य के निर्माण से संबंधित घटित गतिविधियों और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का विचार हमें करना है ।

सातवीं कक्षा के नागरिकशास्त्र विभाग में हमने संविधान द्‌वारा उल्लिखित सिद्‌धांतों और मूल्यों का अध्ययन किया है । आठवीं कक्षा के नागरिकशास्त्र विभाग में संविधान द्‌वारा निर्मित शासन प्रणाली, प्रशासकीय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और न्याय प्रणाली का विचार किया गया है । प्रस्तुत पाठ्‌यांश को सम-सामायिक घटनाओं के आधार पर पढ़ाएँ । इस पाठ्‌यांश और संविधान में उल्लिखित सिद्‌धांतों तथा उनके द्‌वारा प्रतिबिंबित होने वाले मूल्यों एवं आदर्शों के बीच समन्वय स्थापित करें ।

संविधान एक प्रवहमान अभिलेख है । इसके द्‌वारा लोकतंत्र और विधि अधिराज्य प्रत्यक्ष में साकार किया जाता है; इसका बोध विद्‌यार्थियों को करा दें । इससे विद्‌यार्थियों का सामाजिक और आर्थिक बोध अधिक परिपक्व बनने में सहायता मिलेगी । फलतः विद्‌यार्थियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं और विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध ढूँढ़ना संभव होगा । पाठ्‌यपुस्तक में निहित पाठ्‌यांशों के आधार पर चर्चाएँ, गुटचर्चाएँ, परियोजनाएँ, भित्तिपत्र और एक ही विषय के आधार पर कई राजनीतिक पहलू समझ सकेंगे; ऐसे उपक्रम विद्‌यार्थियों से करवाए जा सकेंगे ।

पाठ्‌यपुस्तक की रचना करते समय शिक्षा और कृतियुक्त अध्यापन को विशेष महत्त्व दिया गया है । इसके लिए विद्‌यार्थियों के लिए पाठ्‌यघटकों के विषय में अधिक और रंजक जानकारियों की चौखटें पाठ में दी गई हैं । साथ ही; 'चलो.. चर्चा करेंगे', 'करके देखो' द्‌वारा विद्‌यार्थी अध्ययन प्रक्रिया में किस प्रकार सक्रिय बना रहेगा; इसका विचार किया गया है । स्वाध्याय और उपक्रमों की रचना इस प्रकार की गई है जिससे विद्‌यार्थियों की कृतिशीलता, विचारशक्ति और स्वमत अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलेगा । पाठों के बारे में अतिरिक्त पूरक जानकारी देने के लिए पाठ्‌यपुस्तक में QR Code का समावेश किया गया है । उसका उपयोग करके प्रभावी अध्यापन करना हमें आसान होगा ।

इतिहास

(आधुनिक भारत का इतिहास)

अनुक्रमणिका

क्र.	पाठ का नाम	पृष्ठ क्रमांक
१.	इतिहास के साधन	१
२.	यूरोप और भारत	५
३.	अंग्रेजी सत्ता के परिणाम	१०
४.	१८५७ का स्वतंत्रता युद्ध	१५
५.	सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण	२१
६.	स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ	२५
७.	असहयोग आंदोलन	३१
८.	सविनय अवज्ञा आंदोलन	३६
९.	स्वतंत्रता युद्ध का अंतिम चरण	४०
१०.	सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन	४५
११.	समता आंदोलन	५०
१२.	स्वतंत्रता प्राप्ति	५६
१३.	स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति	५९
१४.	महाराष्ट्र राज्य का निर्माण	६२

S.O.I. Note : The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2018. (2) The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971," but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

अध्ययन निष्पत्ति

सुझाई गई शैक्षकि प्रक्रयिा	अध्ययन क्षपत्ता
छात्र को जोड़ी में/समूह में/व्यक्तगि तरि ूप से अध्ययन करने का अवसर देना और उसे क्रमि मुद्दों के क्ए प्रेरति करना । • भारतीय सत्ताधीशों के पारस्परिक वंशपरंपरागत विवादों में हस्तक्षेप करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों आवश्यक लगा; जैसे विभिन्न मुद्दों और घटनाओं पर प्रश्न चिह्न लगाना । • उपनिवेशवादी प्रशासनिक केंद्रों और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों की सैर पर जाना । • गांधीजी की अहिंसा की परिकल्पना और उसका भारत की स्वतंत्रता / राष्ट्रीय आंदोलन पर हुए परिणाम । • भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शानेवाली कालरेखा । • चौरीचौरा घटना से संबंधित भूमिका पालन का आयोजन । • 'उपनिवेशवादी कालखंड में नकदी/व्यापारिक फसलें लेने से प्रभावित हुए क्षेत्रों' को भारत के मानचित्र में दर्शाने जैसी परियोजनाओं, गतिविधियों/उपक्रमों का आयोजन करना । • तत्कालीन विविध आंदोलनों के इतिहास का बोध करने तथा पुनर्रचना करने के लिए देशी और ब्रिटिश लेखों, आत्मचरित्रों, चरित्रों, उपन्यासों, चित्रों, छायाचित्रों, समकालीन लेखन, दस्तावेजों, समाचारपत्रों में छपे संपादकीय लेखों, फिल्मों, जानकारीपर फिल्मों और आधुनिक लेखन जैसे साधनों से परिचय प्राप्त करना । • स्व-मूल्यांकन हेतु अध्यापन शास्त्र की दृष्टि से नवीनतापूर्ण और संदर्भीय (जैसे; प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे ?) प्रश्नों का परिचय करा देना ।	**छात्र** 08.73H.01 इतिहास के विभिन्न साधनों को पहचानते हैं और आधुनिक समय के इतिहास के पुनर्लेखन के लिए उनका उपयोग स्पष्ट करते हैं । 08.73H.02 विभिन्न स्रोतों और विविध प्रदेशों के लिए उपयोग में लाई गई नामावली और उस-उस कालखंड में घटित ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर 'आधुनिक कालखंड', 'मध्ययुगीन कालखंड' और 'प्राचीन कालखंड' के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं । 08.73H.03 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अति प्रबल सत्ता किस प्रकार बनी; इसे स्पष्ट करते हैं । 08.73H.04 अलग-अलग प्रदेशों में प्रचलित अंग्रेजों की कृषि नीतियों में निहित अंतर को स्पष्ट कर बताते हैं । जैसे-नील का विद्रोह 08.73H.05 उन्नीसवीं शताब्दी की आदिवासी समाजसंरचना और पर्यावरण के बीच के संबंधों को स्पष्ट करते हैं । 08.73H.06 आदिवासी समाज के संदर्भ में अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियों का स्पष्टीकरण देते हैं । 08.73H.07 १८५७ के स्वतंत्रता युद्ध का प्रारंभ, विस्तार और स्वरूप तथा उससे प्राप्त बोध को स्पष्ट करते हैं । 08.73H.08 अंग्रेजों के शासनकाल में प्राचीन, नगरीय और व्यापारिक केंद्र और हस्तव्यवसाय पर आधारित उद्योग नष्ट होकर नए नगरीय व्यापारिक केंद्र एवं उद्योग-धंधे किस प्रकार विकसित हुए; इन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं । 08.73H.09 भारत में नवीन शिक्षा व्यवस्था का संस्थानीकरण किस प्रकार हुआ; इसे स्पष्ट करते हैं । 08.73H.10 जाति व्यवस्था, महिलाओं का स्थान, विधवाओं का पुनर्विवाह, बालविवाह, सामाजिक सुधार जैसी समस्याओं के संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा निर्धारित नीतियों तथा कानूनों-अधिनियमों का विश्लेषण करते हैं । 08.73H.11 आधुनिक समय में कला के क्षेत्र में घटित प्रमुख घटनाओं की रूपरेखा को बता सकते हैं । 08.73H.12 १८७० ई.से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के कालखंड की प्रगतियात्रा की समीक्षा करते हैं । 08.73H.13 राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रहे घटकों का विश्लेषण करते हैं ।

१. इतिहास के साधन

हमने प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया है । इस वर्ष हम आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों का अध्ययन करेंगे । इतिहास के साधनों में भौतिक, लिखित और मौखिक साधनों का समावेश होता है । इसी भाँति; आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित दृश्य, श्रव्य तथा दृश्य-श्रव्य साधनों का भी समावेश होता है ।

भौतकि साधन : इतिहास के भौतिक साधनों में विभिन्न वस्तुओं, वास्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों आदि साधनों का समावेश किया जा सकता है ।

भवन और वार्स तु : आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है । इस कालखंड में विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, प्याऊ, फौआरों जैसी वास्तुओं का निर्माण किया गया । इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों के आवासों, रियासतदारों के रजवाड़ों, किलों, कारावासों जैसी इमारतों का समावेश होता है। इन वास्तुओं में अनेक भवन अथवा इमारतें आज अच्छी स्थिति में देखने को मिलती हैं। कुछ वास्तुएँ राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित की गई हैं तो कुछ भवनों में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं । जैसे; अंडमान की सेल्यूलर जेल ।

यदि हम इन वास्तु स्थानों पर जाते हैं तो हमें तत्कालीन इतिहास, स्थापत्यशास्त्र और वास्तु के स्वरूप के आधार पर तत्कालीन आर्थिक संपन्नता के विषय में जानकारी मिलती है । जैसे- अंडमान की सेल्यूलर जेल में जाने पर स्वातंत्र्यवीर सावरकर के क्रांतिकार्यों के विषय में; मुंबई के मणिभवन अथवा वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जाने पर गांधी युग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ।

क्या तुम जानते हो ?

वर्स तुसंग्रहालय और इतिहास : इतिहास के अध्ययन हेतु वस्तु संग्रहालय द्‌वारा विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, छायाचित्रों जैसी विविध वस्तुएँ संरक्षित रखी जाती हैं । पुणे के आगा खाँ पैलेस में स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में हम महात्मा गांधी द्‌वारा उपयोग में लाई गईं वस्तुओं, दस्तावेजों को देख सकते हैं ।

आगा खाँ पैलेस, पुणे

प्रतमिाएँ और स्मारक : स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात समय में अनगिनत व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण प्रतिमाओं के रूप में किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से ये प्रतिमाएँ भी महत्वपूर्ण हैं । विभिन्न प्रतिमाओं के आधार पर हमें तत्कालीन शासकों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है । प्रतिमा के नीचे पाटी पर संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म-मृत्यु का उल्लेख, उस व्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख, जीवनपट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है । महात्मा जोतीराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉ.बाबासाहब आंबेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति में निर्माण किए गए स्मारक भी संबंधित घटनाओं,

घटनाओं का कालखंड, उन घटनाओं से जुड़े व्यक्ति आदि की जानकारी देते हैं । जैसे- विभिन्न स्थानों के शहीद स्मारक

करके देखें-

अपने समीप के परिसर में पाए जाने वाले स्मारकों और प्रतिमाओं की जानकारी प्राप्त करो । उनके आधार पर तुम्हें उस घटना अथवा व्यक्ति के विषय में कौन-सी जानकारी प्राप्त होती है, उसे लिखो ।

लखिति साधन : आधुनिक भारत के इतिहास के लिखित साधनों में निम्न बातों का समावेश होता है ।

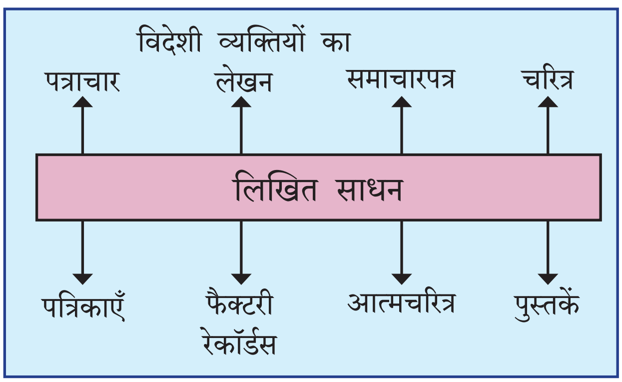

समाचारपत्र और पलक्षाएँ : समाचारपत्रों द्वारा हमें सम-सामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है । साथ ही; समाचारपत्रों में किसी घटना का गहन विश्लेषण, विद्वानों की मत-प्रतिक्रियाएँ, संपादकीय लेख प्रकाशित होते रहते हैं । हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है । स्वतंत्रता पूर्व समय में ज्ञानोदय, ज्ञानप्रकाश, केसरी, दीनबंधु, अमृत बाजार जैसे समाचारपत्र जनजागरण के महत्वपूर्ण साधन थे । इन समाचारपत्रों के आधार पर हम अंग्रेज शासन की भारत के विषय में निर्धारित नीतियों और उनके भारत पर हुए परिणामों के विषय में अध्ययन कर सकते हैं । अंग्रेजों के शासनकाल में समाचारपत्र मात्र राजनीतिक जागरण ही नहीं अपितु सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में भी कार्य कर रहे थे । विष्णुशास्त्री चिपलूणकर ने मासिक पत्रिका 'निबंधमाला' में, लोकहितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख ने साप्ताहिक पत्रिका 'प्रभाकर' में लिखे शतपत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भाष्य किया ।

चा ी, समझेंगे...

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर और समाचारपत्र: डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने १९२० ई. के जनवरी महीने में 'मूकनायक' नामक पाक्षिक पत्रिका प्रारंभ की परंतु उन्हें अगला विद्‌यार्जन करने हेतु इंग्लैंड जाना पड़ा । अतः उन्होंने इस पत्रिका का दायित्व अपने सहयोगी पर सौंपा । डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने अप्रैल १९२७ ई. में 'बहिष्कृत भारत' नामक पत्रिका प्रारंभ की । सामान्य जनता को जगाने और उन्हें संगठित करने हेतु उन्होंने बहिष्कृत भारत में लिखना प्रारंभ किया । इसके अतिरिक्त 'जनता' और 'प्रबुद्‌ध भारत' ये अन्य दो समाचारपत्र भी चलाए ।

बहिष्कृत भारत

मानलच्त्र और प्ारूप : मानचित्र को भी इतिहास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है । मानचित्र के आधार पर हम शहरों अथवा किसी स्थान के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं । अंग्रेजों के शासनकाल में 'सर्वे ऑफ इंडिया' इस स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई । इस विभाग ने भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों के वैज्ञानिक पद्‌धति से सर्वेक्षण कर मानचित्र बनाए हैं । मानचित्रों की भाँति वास्तुविशारदों द्वारा बनाए गए प्रारूप भी भवन स्थापत्यशास्त्र के तथा किसी क्षेत्र के विकास

के चरणों का अध्ययन करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सिद्‌ध होते हैं । जैसे- मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विभाग के पास मुंबई बंदरगाह के मौलिक प्रारूप हैं । इस बंदरगाह को विकसित करते समय वास्तुविशारद और अभियंताओं द्‌वारा बनाए गए ढाँचे/प्रारूप भी हैं । इन ढाँचों/प्रारूपों के आधार पर हमें मुंबई महानगर के विकास की जानकारी मिल सकती है ।

मौखकि साधन : आधुनिक भारत के इतिहास के मौखिक साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है ।

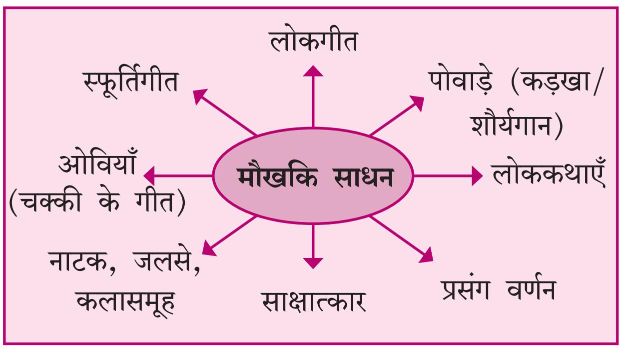

स्फूर्तिगीत : स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनगिनत स्फूर्तिगीत रचे गए । उनमें से कई स्फूर्तिगीत लिखित स्वरूप में उपलब्ध हैं । परंतु अनगिनत अप्रकाशित स्फूर्तिगीत स्वतंत्रता सेनानियों को कंठस्थ हैं । इन स्फूर्तिगीतों द्‌वारा हमें स्वतंत्रतापूर्व समय की स्थितियों और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणा की जानकारी मिलती है ।

पोवाड़े (कड़खा अथवा शौर्यगान) : पोवाड़ों के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है । अंग्रेजों के शासनकाल में १८५७ ई. का स्वतंत्रता युद्‌ध, विभिन्न क्रांतिकारियों के शौर्य का प्रदर्शन पर आधारित पोवाड़े रचे गए । इन पोवाड़ों का उपयोग लोगों में चेतना और प्रेरणा निर्माण करने के लिए किया गया । स्वतंत्रता युद्‌ध के समान ही सत्यशोधक समाज द्‌वारा किया गया शोषित वर्ग का जागरण, संयुक्त महाराष्ट्र का संघर्ष जैसी घटनाओं पर आधारित पोवाड़े रचे गए हैं ।

करके देखें-

भारतीय स्वतंत्रता युद्‌ध के समय में रचे गए स्फूर्तिगीतों और पोवाड़ों का संग्रह करो और उनको प्रस्तुत करो ।

दृश्य, श्रव्य और दृश्य-श्रव्य साधन : वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनिमुद्रण, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ । इसके द्‌वारा निर्मित छायाचित्रों (फोटो), ध्वनिमुद्रितों (रेकार्डों), फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है ।

छायाचित्र (फोटो) : छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप के साधन हैं । छायाचित्रण कला (फोटोग्राफी) का आविष्कार होने पर विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं तथा वस्तुओं-वास्तुओं के छायाचित्र खींचे जाने लगे । इन छायाचित्रों द्‌वारा हमें व्यक्तियों तथा घटित प्रसंगों की दृश्य स्वरूप में हूबहू जानकारी प्राप्त होती है । मध्ययुग में व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे अथवा घटनाएँ किस-किस प्रकार घटित हुईं; इनके चित्र उपलब्ध हैं परंतु वे चित्र कितने विश्वसनीय हैं; इस बारे में शंकाएँ उपस्थित की जाती हैं । अतः इन चित्रों की तुलना में छायाचित्रों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है । व्यक्तियों के छायाचित्रों द्‌वारा वे लोग कैसे दीखते थे; उनके परिधान कैसे थे; इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है । प्रसंगों अथवा घटनाओं के छायाचित्रों द्‌वारा वह प्रसंग अथवा घटना आँखों के सामने मूर्तिमान हो जाती है । वास्तु अथवा वस्तु के छायाचित्रों द्‌वारा उनका स्वरूप ध्यान में आता है ।

ध्वनि मुद्रित (रेकार्ड्स) : छायाचित्रण (फोटोग्राफी) कला की भाँति ध्वनि मुद्रण (रेकार्डिंग) तकनीक का आविष्कार भी महत्त्वपूर्ण है । ध्वनि मुद्रित अथवा रेकार्ड इतिहास के श्रव्य स्वरूप के साधन हैं । वर्तमान समय में नेताओं अथवा महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों द्‌वारा दिए गए भाषण, गीत ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध हैं । उनका उपयोग इतिहास के

साधन के रूप में किया जा सकता है । जैसे- स्वयं रवींद्रनाथ ठाकुर द्‌वारा गाए हुए 'जन गण मन' राष्ट्रगीत अथवा सुभाषचंद्र बोस के दिए वक्तव्य का उपयोग आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में श्रव्य साधन के रूप में किया जा सकता है ।

तफल्में : फिल्म आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है । बीसवीं शताब्दी में फिल्म के तकनीकी विज्ञान में बड़ी मात्रा में उन्नति हुई । १९१३ ई. में दादासाहेब फालके ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी । भारतीय स्वतंत्रता युद्‌ध में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के ध्वनि-चित्रफीते (फिल्में) उपलब्ध हैं। इन चित्रफीतों (फिल्मों) के कारण घटित घटनाएँ हम ज्यों-का-त्यों देख सकते हैं ।

प्राचीन और मध्ययुग की तुलना में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए विपुल मात्रा में और विविध प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। वर्तमान समय के भौतिक साधन पर्याप्त मात्रा में अच्छी स्थिति में हैं । अभिलेखागार में संरक्षित कर रखे हुए अनगिनत लिखित साधन भी उपलब्ध हैं । लिखित साधनों का उपयोग करते समय वे किन विचारों से प्रेरित हैं; किसी घटना की ओर देखने का साधनकर्ता का क्या दृष्टिकोण रहा; इसकी जाँच कर लेनी चाहिए । इन साधनों का संरक्षण करना आवश्यक है । ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण किए जाने पर ही इतिहास की यह समृद्‌ध परंपरा हम भावी पीढ़ियों को सौंप सकेंगे ।

स्वाध्याय

१. तिए गए तक्कल्मों में से उतचर्ा तिक्कल्म चतुकर कथन पतु: तर्लाि ।

(१) इतिहास के साधनों में .... साधन आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित हैं ।
(अ) लिखित (ब) मौखिक
(क) भौतिक (ड) दृश्य-श्रव्य

(२) पुणे के .... गांधी स्मारक संग्रहालय में गांधीजी के जीवन विषय में जानकारी प्राप्त होती है ।
(अ) आगा खाँ पैलेस (ब) साबरमती आश्रम
(क) सेल्यूलर जेल (ड) लक्ष्मी विलास पैलेस

(३) .... बीसवीं शताब्दी के आधुनिक तकनीकी विज्ञान का एक अनूठा आविष्कार है।
(अ) पोवाड़ा (ब) छायाचित्र
(क) साक्षात्कार (ड) फिल्म

२. तनम्न कथनों को कारणसततह स्पष्ट करो ।

(१) अंग्रेजों के शासनकाल में समाचारपत्र सामाजिक पुनर्जागरण के रूप में भी कार्य कर रहे थे ।

(२) आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने हेतु चित्रफीते अर्थात फिल्में अत्यंत विश्वसनीय साधन माने जाते हैं ।

३. तटप्पणी तर्लाि ।

(१) छायाचित्र (फोटो) (२) वस्तु संग्रहालय और इतिहास (३) श्रव्य साधन

४. तनम्न संकल्पना तचत्र पूण्र् करो ।

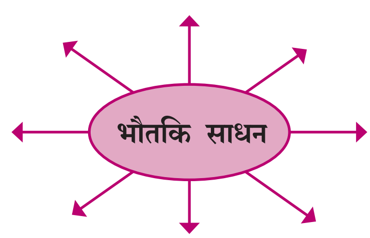

उपक्रम

(१) भारतीय स्वतंत्रता युद्‌ध के विभिन्न छायाचित्रों का संग्रह अंतरजाल की सहायता से करो ।

(२) स्वतंत्रता युद्‌ध के विख्यात नेताओं और उनके चरित्रों के विषय में जानकारी प्राप्त कर उनको पढ़ो ।

99JBIC

२. यूरोप और भारत

आधुनिक कालखंड में यूरोप में घटित होने वाली विभिन्न गतिविधियों अर्थात घटनाओं का परिणाम भारत में दिखाई देता था । अतः आधुनिक भारत के ऐतिहासिक कालखंड का अध्ययन करते समय यूरोप में घटित घटनाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है ।

पुनर्जागरण युग : यूरोपीय इतिहास में मध्ययुग का अंतिम चरण १३ ई. शताब्दी से १६ ई. शताब्दी के बीच की शताब्दियाँ हैं । ये शताब्दियाँ पुनर्जागरण युग के रूप में जानी जाती हैं । इस युग में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजों जैसी घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग की नींव रखी गई । अतः इस युग को 'पुनर्जागरण युग' कहते हैं ।

पुनर्जागरण युग में यूरोप की कलाओं, स्थापत्य और दर्शनशास्त्र आदि क्षेत्रों में ग्रीक (यूनानी) और रोमन परंपराएँ पुनर्जीवित हुईं । इसके द्‌वारा सर्वांगीण प्रगति होने में प्रेरणा मिली । पुनर्जागरण युग में मानवता को महत्त्व प्राप्त हुआ । मनुष्य का मनुष्य की ओर देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया । धर्म के बदले सभी विचारों का केंद्रबिंदु मनुष्य बना ।

लिओनार्दो-द-विंची : पुनर्जागरण युग का सर्वगुणसंपन्न व्यक्तित्व माना जाता है । वह अनेक शास्त्रों और कलाओं में पारंगत था । शिल्पकला, स्थापत्यकला, गणित, अभियांत्रिकी, संगीत, खगोल विज्ञान जैसे विविध विषयों पर उसका असाधारण अधिकार था परंतु वह चित्रकार के रूप में विश्वविख्यात सिद्‌ध हुआ । उसकी 'मोनालिसा' और 'द लास्ट सपर' चित्रकृतियाँ कालजयी बनीं ।

पुनर्जागरण आंदोलन ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को व्याप्त किया । ज्ञान-विज्ञान तथा विभिन्न कलाओं के क्षेत्रों में हम पुनर्जागरण आंदोलन को देख सकते हैं । पुनर्जागरण युग की कलाओं और साहित्य में मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त किया जाने लगा । प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा; जिससे लोग समझ सकेंगे । लगभग १४५० ई. में जर्मनी के जोहांस गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का आविष्कार किया । छपाई यंत्र का आविष्कार होने से नए विचार, नई संकल्पनाएँ और ज्ञान का प्रचार-प्रसार समाज के सभी वर्गों तक होने लगा ।

धार्मिक सुधार आंदोलन : स्वतंत्र बुद्‌धि और विवेकशीलता से विचार करने वाले विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की पारंपरिक धार्मिक संकल्पनाओं की कड़ी आलोचना की । ईसाई धर्मगुरु लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे । धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे । इसके विरोध में यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ; उसे 'धार्मिक सुधार आंदोलन' कहते हैं । इस आंदोलन के फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में मनुष्य की स्वतंत्रता और बुद्‌धिप्रवणता को महत्त्व प्राप्त हुआ ।

भौगोलिक खोज : १४५३ ई. में आटोमन तुर्कियों ने बाइजंटाइन साम्राज्य की राजधानी कौन्स्टैन्टिनोपाल (इस्तंबूल) को जीत लिया । इस नगर से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग जाते थे । तुर्कियों ने ये मार्ग बंद कर दिए । परिणामस्वरूप यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों की खोज करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी । इसी से भौगोलिक खोजों का नया युग प्रारंभ हुआ ।

इसे समझेंगे–

भौगोलिक खोज : पंद्रहवीं शताब्दी में यूरोप के समुद्री नाविक भारत की ओर जाने वाले जलमार्ग की खोज करने के लिए समुद्री यात्रा पर निकले ।

- १४८७ ई. में भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डायस चल पड़ा परंतु वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक अर्थात केप ऑफ गुड होप तक पहुँचा ।
- १४९२ ई. में क्रिस्तोफर कोलंबस ने पश्चिम की दिशा में चलकर भारत की खोज करने का प्रयास किया परंतु इस प्रयास में वह अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पहुँचा ।
- १४९८ ई. में पुर्तगाली नाविक वास्को-द-गामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा कर भारत के पश्चिमी तट पर कालिकत बंदरगाह में आ पहुँचा ।

करके देखें–

- संसार के मानचित्र के ढाँचे में समुद्री नाविकों द्‌वारा खोजे गए नये समुद्री मार्ग एवं प्रदेश दिखाओ ।

यूरोप में वैचारिक क्रांति : पुनर्जागरण युग में जो परिवर्तन आए; उनके फलस्वरूप यूरोप की यात्रा मध्ययुग से आधुनिक युग की ओर प्रारंभ हुई । इसी कालखंड में यूरोप में वैचारिक क्रांति हुई । पूर्ववर्ती अज्ञान और अंधश्रद्‌धा में से समाज मुक्त होने लगा । प्रस्थापित रूढ़ियों और मान्यताओं तथा घटित घटनाओं की ओर वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा । इस समग्र परिवर्तन को 'वैचारिक क्रांति' कहा जाता है । इस वैचारिक क्रांति द्‌वारा यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं आविष्कार को प्रोत्साहन मिला ।

राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति : आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण में यूरोप में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए । १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दी में कई क्रांतिकारी घटनाएँ घटित हुईं । अतः यह युग 'क्रांतियुग' के रूप में जाना जाता है । इस कालखंड में इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ । कैबिनेट प्रणाली के स्वरूप में बदलाव आया । १६८९ ई. के बिल ऑफ राइटस के कारण राजा के अधिकार संकुचित हुए । संसद की संप्रभुता स्थापित हुई ।

अमेरिका का स्वातंत्र्य युद्ध : यूरोप में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ घटित हुईं; उनकी पृष्ठभूमि में अमेरिका के स्वतंत्रता युद्‌ध का भी विचार करना आवश्यक है । अमेरिका महाद्‌वीप की खोज होने के पश्चात यूरोप के देशों का ध्यान इस महाद्‌वीप की ओर आकृष्ट हुआ । साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों ने अमेरिका महाद्‌वीप के विविध प्रदेशों को अपने नियंत्रण में कर वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किए । इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तेरह उपनिवेश स्थापित किए । प्रारंभ में इंग्लैंड का इन उपनिवेशों पर कहने के लिए वर्चस्व था । परंतु कालांतर में इंग्लैंड की संसद ने अमेरिका के इन उपनिवेशों पर कठोर बंधन और कर लादने प्रारंभ किए । अमेरिका के इन उपनिवेशों में रहने वाली स्वतंत्रताप्रिय जनता ने इसका विरोध किया । इंग्लैंड ने उपनिवेशियों के विरोध को कुचलने के लिए उपनिवेशियों के विरुद्‌ध युद्‌ध की घोषणा की । अमेरिका के इन उपनिवेशियों ने जॉर्ज वॉशिंग्टन के नेतृत्व में सैन्य का गठन कर प्रतिकार किया । अंततः उपनिवेशी सेना की विजय हुई । यह घटना 'अमेरिका का स्वतंत्रता युद्‌ध' के रूप में जानी जाती है । इसी में से एक नया देश– संयुक्त राज्य अमेरिका संघराज्य का उदय हुआ; जिसमें शासन प्रणाली लिखित संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थान दिया गया था ।

फ्रांस की राज्यक्रांति : १७८९ ई. में फ्रांस की जनता ने वहाँ के निरंकुश और अन्यायकारी राजतंत्र

और रियातसदारी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया और गणतंत्र की स्थापना की । यह घटना 'फ्रांस की राज्यक्रांति' के रूप में जानी जाती है । फ्रांस की राज्यक्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे मूल्यों की देन दी है ।

विश्व के इतिहास में जो राजनीतिक क्रांतियाँ हुईं; उनमें अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध और फ्रांस की राज्यक्रांति को विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

औद्योगिक क्रांति : अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यूरोप में औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे । वाष्पशक्ति पर चलने वाले यंत्रों की सहायता से उत्पादन होने लगा । छोटे घरेलू उद्योग-धंधों का स्थान बड़े कारखानों ने ले लिया । हथकरघा के स्थान पर बिजली करघा का उपयोग प्रारंभ हुआ । रेल और जलयानों जैसे यातायात के नये साधन आए । यंत्रयुग का अवतरण हुआ । इसी को 'औद्योगिक क्रांति' कहते हैं ।

औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ । इसके पश्चात वह धीरे-धीरे पश्चिमी विश्व में फैलती गई । इस समय इंग्लैंड औद्योगिक रूप से इतना संपन्न हुआ कि इंग्लैंड का वर्णन 'विश्व का कारखाना' के रूप में किया जाने लगा ।

पूँजीवाद का उदय : नये समुद्री मार्गों की खोज हुई और इसके पश्चात यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के देशों के बीच व्यापार का नया युग प्रारंभ हुआ । समुद्री मार्ग से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनेक व्यापारी आगे आए परंतु अकेले एक व्यापारी के लिए जहाज द्वारा विदेश में माल भेजना संभव नहीं था । फलस्वरूप अनेक व्यापारियों ने इकट्ठे आकर व्यापार करना प्रारंभ किया । इसी में से समभागपूँजीवाली कई व्यापारी कंपनियों का उदय हुआ । पूर्वी देशों के साथ चल रहा यह व्यापार लाभदायी था । इस व्यापार द्वारा देशों की आर्थिक संपन्नता बढ़ रही थी । परिणामतः यूरोप के शासक व्यापारी कंपनियों को सैनिकी संरक्षण और व्यापारिक सुविधाएँ देने लगे । इस व्यापार के फलस्वरूप यूरोपीय देशों के धनसंचय में वृद्धि होने लगी । इस धन-संपत्ति का उपयोग पूँजी के रूप में व्यापार और उद्योग-धंधों में किया जाने लगा । परिणामस्वरूप यूरोप के देशों में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ ।

उपनिवेशवाद : किसी देश के कुछ लोगों द्वारा दूसरे भूप्रदेश में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपनी बस्ती बसाने को उपनिवेश स्थापित करना कहते हैं । किसी आर्थिक, सैनिकी दृष्टि से बलशाली देश का अपनी सामर्थ्य के बल पर किसी भूप्रदेश को व्याप्त कर उस भूप्रदेश में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना 'उपनिवेशवाद' कहलाता है । यूरोपीय देशों की इसी उपनिवेशवादी मानसिकता में से साम्राज्यवाद का उदय हुआ ।

साम्राज्यवाद : विकसित राष्ट्रों द्वारा अविकसित राष्ट्रों पर अपना समग्र वर्चस्व स्थापित करना और अनेक नये उपनिवेश स्थापित करना ही 'साम्राज्यवाद' कहलाता है । एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश यूरोपीय राष्ट्रों की इस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के शिकार बने ।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्यवाद : भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपीय सत्ताओं के बीच काँटे की प्रतिद्वंद्विता चल रही थी । १६०० ई. में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी । इस कंपनी ने जहाँगीर बादशाह से अनुमति प्राप्त करके सूरत में गोदाम की स्थापना की । इस कंपनी द्वारा भारत का इंग्लैंड के साथ व्यापार चलता था ।

अंग्रेज और फ्रांसिसियों के बीच संघर्ष: भारत में चल रही व्यापारिक होड़ में अंग्रेज और फ्रांसिसी एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे । इस प्रतिद्वंद्विता के चलते अंग्रेज और फ्रांसिसियों के बीच तीन युद्ध हुए । ये युद्ध 'कर्नाटक युद्ध' के रूप में जाने जाते हैं । तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसिसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया । परिणामस्वरूप

भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मुख कोई भी प्रबल यूरोपीय प्रतिस्पर्धी बचा नहीं था ।

बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की नींव रखी गई : बंगाल प्रांत भारत का अत्यंत समृद्ध-संपन्न प्रांत था । १७५६ ई. में सिराज-उद्-दौला बंगाल के नवाब पद पर आसीन हुआ । ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मुगल शासक से बंगाल प्रांत में व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त की थीं और ये अधिकारी उन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे । अंग्रेजों ने नवाब से अनुमति प्राप्त किए बिना कोलकाता में अपने गोदाम के चारों ओर बाड़ खड़ी कर दी । परिणामतः सिराज-उद्-दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर कोलकाता का गोदाम अपने नियंत्रण में कर लिया । इस घटना से अंग्रेजों में असंतोष व्याप्त हुआ । रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेते हुए नवाब का सेनापति मीर जाफर को नवाब पद का प्रलोभन दिखाया और अपने पक्ष में कर लिया। १७५७ ई. में प्लासी में नवाब सिराज-उद्-दौला और अंग्रेजों की सेनाएँ आमने-सामने आ गईं । परंतु मीर जाफर के नेतृत्व में नवाब की सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया । परिणामतः सिराज-उद्-दौला की पराजय हुई ।

अंग्रेजों के समर्थन से मीर जाफर बंगाल का नवाब बना । आगे चलकर उसके विरोध किए जाने पर अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया । मीर कासिम ने अंग्रेजों के अवैध व्यापार की रोक-थाम करने का प्रयास करते ही अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब पद प्रदान किया ।

बंगाल में चल रही अंग्रेजों की गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए मीर कासिम, अयोध्या का नवाब शुजा-उद्-दौला और मुगल शासक शाह आलम ने अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित अभियान चलाया । १७६४ ई. में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ । इस युद्ध में अंग्रेज विजयी बने । इस युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल के सूबे में दीवानी अर्थात राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ । इस प्रकार भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव बंगाल में रखी गई ।

अंग्रेज-मैसूर संघर्ष : मैसूर राज्य के हैदर अली ने विद्रोह करके मैसूर राज्य को अपने अधिकार में कर लिया । हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा टीपू सुलतान मैसूर का सत्तासीन बना । उसने अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे प्राणपण से युद्ध किया । अंततः १७९९ ई. में श्रीरंगपट्टन में हुए युद्ध में टीपू सुलतान की मृत्यु हुई । इस प्रकार अंग्रेजों का मैसूर प्रदेश पर अधिकार हो गया ।

टीपू सुलतान

सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार : भारत में अपनी सत्ता को सुरक्षित करने हेतु अंग्रेज पश्चिमोत्तर सीमा की ओर मुड़े । उन्हें भय था कि रूस भारत पर अफगानिस्तान से आक्रमण करेगा । परिणामतः अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने का निश्चय किया । अफगानिस्तान में जाने वाले मार्ग सिंध में से होकर जाते थे । अतः सिंध का महत्व अंग्रेजों के ध्यान में आ गया और १८४३ ई. में उन्होंने सिंध को हड़प लिया ।

सिख सत्ता की पराजय : उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब की सत्ता रणजीत सिंह के हाथ में थी । रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयीन बेटा दलीप सिंह गद्दी पर बैठा । उसकी ओर से उसकी माँ रानी जिंदन राज्य का प्रशासन चलाने लगी परंतु सरदारों पर उसका अंकुश नहीं रह गया था। यह अवसर पाकर अंग्रेजों ने कुछ सरदारों

रणजीत सिंह

को बहला-फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया । अंग्रेज पंजाब पर आक्रमण करेंगे, ऐसी सोच सिखों की बन गई । परिणामस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया । सिख-अंग्रेजों में हुए इस प्रथम युद्ध में सिखों की पराजय हुई । अंग्रेजों ने दलीप सिंह को गद्दी पर यथावत बिठाए रखा । पंजाब में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और यह कुछ स्वतंत्रता प्रिय सिखों को मान्य नहीं था । मुलतान का अधिकारी मूलराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया । इस युद्ध में हजारों सिख सैनिक उतर आए । इस दूसरे युद्ध में भी सिख पराजित हुए । १८४९ ई. में अंग्रेजों ने पंजाब प्रदेश को अपने राज्य के साथ जोड़ दिया ।

मराठों की सत्ता भारत में एक महत्वपूर्ण और प्रबल सत्ता थी । मराठों को पराजित कर अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में अपनी सत्ता की नींव को सुदृढ़ बनाया; इसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे ।

स्वाध्याय

१. तिए गए तक्कल्मों में से उतर्चा तिक्कल्म चतुकर कथन पतु: तर्लाि ।

(१) १४५३ ई. में ऑटोमन तुर्कियों ने .... शहर को जीत लिया ।

(अ) वेनिस (ब) कौन्स्टैन्टिनोपल
(क) रोम (ड) पैरिस

(२) औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ .... में हुआ ।

(अ) इंग्लैंड (ब) फ्रांस
(क) इटली (ड) पुर्तगाल

(३) अंग्रेजों के अवैध व्यापार की रोक-थाम करने का प्रयास .... ने किया ।

(अ) सिराज-उद्-दौला (ब) मीर कासिम
(क) मीर जाफर (ड) शाह आलम

२. तन्मम संकल्मनाएँ स्मष्ट करो ।

(१) उपनिवेशवाद (२) साम्राज्यवाद
(३) पुनर्जागरण युग (४) पूँजीवाद

३. तन्मम कथनों को कारणसतहि स्मष्ट करो ।

(१) प्लासी के युद्ध में सिराज-उद्-दौला की पराजय हुई ।

(२) यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नये मार्गों को खोजना आवश्यक अनुभव होने लगा ।

(३) यूरोप के शासक व्यापारी कंपनियों को सैनिकी संरक्षण और व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान करने लगे ।

४. पाठ की सहायत्ाि से तन्मम सारणी पूण्डकरो :

समुद्री नाविक	कार्य
....	अफ्रीका के दक्षिण छोर तक पहुँचा ।
क्रिस्तोफर कोलंबस	....
....	भारत के पश्चिमी तट पर कालिकत बंदरगाह पर पहुँचा ।

उपक्रम

पुनर्जागरण युग के प्रसिद्ध चित्रकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक के कार्यों के विषय में संदर्भ ग्रंथ तथा अंतरजाल की सहायता से जानकारी और चित्र प्राप्त करो तथा कक्षा में यह परियोजना प्रस्तुत करो ।

99T7JZ

३. अंग्रेजी सत्ता के परिणाम

प्रस्तुत पाठ में अंग्रेजी सत्ता के भारत पर क्या परिणाम हुए; उसका हम अध्ययन करेंगे ।

ततिश ईस्ट इंतड्या कंपनी की स्थापना : हमने देखा कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप की सत्ताएँ भारत के तटों पर किस तरह आ पहुँचीं । पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज; ये सभी सत्ताएँ भारत के बाजार को अपने अधिकार में कर लेने की सत्ता स्पर्धा में उतरी हुई थीं । जब अंग्रेज भारत में व्यापार के बहाने आए; तब भारत में पहले से ही आए हुए पुर्तगालियों ने उनका कठोर विरोध किया । कालांतर में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच मित्रता के संबंध स्थापित हुए और दोनों के बीच का विरोध कम हो गया । परंतु भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में अंग्रेजों को फ्रांसीसी, डच और स्थानीय सत्ताधीशों के विरोध का सामना करना पड़ा ?

अंग्रेर और मराठे : मुंबई अंग्रेजों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था । इसके आस-पास के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेने का अंग्रेजों का प्रयास था परंतु इस प्रदेश पर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़ थी । माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में आकर उनके चाचा रघुनाथराव ने अंग्रेजों से सहायता माँगी । इस प्रकार मराठों की राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ ।

१७७४ ई. से लेकर १८१८ ई. के बीच मराठा और अंग्रेजों के बीच तीन युद्ध हुए । प्रथम युद्ध में मराठा सरदारों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किया । परिणामतः मराठों की विजय हुई । १७८२ ई. में सालबाई की संधि हुई और अंग्रेज-मराठा के बीच चल रहा यह प्रथम युद्ध समाप्त हुआ ।

सहायक सेना : १७९८ ई. में लॉर्ड वेलस्ली भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आया । संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना उसकी नीति थी । इसके लिए उसने अनेक भारतीय सत्ताधीशों के साथ सहायक सेना के समझौते किए । इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीशों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया गया परंतु इस सहायता के लिए कुछ शर्तें रखी गईं ।

इन शर्तों के अनुसार भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी । इस सेना के व्यय हेतु नकद राशि अथवा उतनी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा, भारतीय शासक अन्य सत्ताधीशों के साथ अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही संबंध स्थापित करेगा; अपने दरबार में अंग्रेजों का रेजिडेंट (प्रतिनिधि) रखना होगा । भारत के अनेक सत्ताधीशों ने इस संधि को स्वीकारा और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे ।

१८०२ ई. में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की । यह संधि वसई की संधि के रूप में प्रसिद्ध है परंतु यह संधि अनेक मराठा सरदारों को स्वीकार नहीं थी । फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ । इस विजय के पश्चात अंग्रेजों का मराठी राज्य में हस्तक्षेप बढ़ने लगा । यह हस्तक्षेप बाजीराव द्वितीय को असह्य हुआ । अतः बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । इस युद्ध में उसकी पराजय हुई । १८१८ ई. में उसने आत्मसमर्पण किया । इस बीच मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष में दौलतराव शिंदे के अधिकार में थी । शिंदे की सेना को पराजित कर जनरल लेक ने मुगल शासक को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर विजय पा ली ।

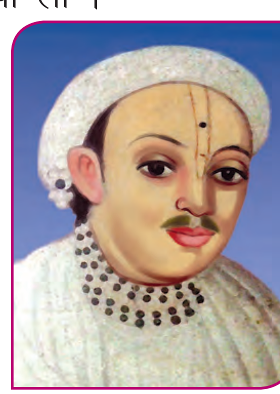
छत्रपती प्रताप सिंह

छत्रपतर्पिृ ाप तस्ंह : पेशवाई का अस्त हुआ फिर भी सातारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर थे । अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ संधि कर ली और ग्रांट डफ नामक अधिकारी को उनके राज्य प्रशासन में सहायता करने हेतु नियुक्त किया परंतु कालांतर में उन्हें

गद्दी से पदच्युत करके काशी में रखा । वहीं पर उनकी १८४७ ई. में मृत्यु हुई ।

क्या तुम जानते हो ?

छत्रपति प्रताप सिंह ने सातारा शहर में येवतेश्वर मंदिर के पीछे और महादरा में तालाबों का निर्माण करवाया और उन तालाबों का पानी शहर में ले आए । शहर में सड़कें बनवाईं, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए, लड़के-लड़कियाँ संस्कृत-मराठी, अंग्रेजी सीखें; इसके लिए विद्यालय का निर्माण करवाया । वहीं पर एक छापाखाना (प्रेस) खुलवाया और अनेक उपयोगी ग्रंथ छपवाए । १८२७ ई. में उन्होंने राजनीतिविषयक 'सभानीति' नामक एक ग्रंथ लिखकर छपवाया । उन्होंने सातारा से महाबलेश्वर तथा प्रतापगढ़ तक की सड़क बनवाई । वही सड़क आगे महाड़ तक ले जाई गई । छत्रपति प्रताप सिंह प्रतिदिन दैनंदिनी (डायरी) लिखा करते थे ।

छत्रपति प्रताप सिंह के प्रमुख प्रशासक रंगो बापूजी गुप्ते ने इंग्लैंड जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई परंतु न्याय माँगने के उनके प्रयास विफल हुए । आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी अधिकार (दत्तक विधान) अस्वीकार कर १८४८ ई. में सातारा का राज्य हड़प लिया ।

अंग्रेजी सत्ता के भारत पर परिणाम

दोहरी शासन व्यवस्था : रॉबर्ट क्लाइव ने १७६५ ई. में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की । कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में रखा तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बंगाल के नवाब को सौंपा, इसी को 'दोहरी शासन व्यवस्था' कहते हैं ।

दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम कालांतर में दिखाई देने लगे । सामान्य जनता से कर के रूप में वसूल किया गया पैसा कंपनी के अधिकारियों ने अपनी जेब में दबाया । भारत में व्यापार करने का एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था । अतः इंग्लैंड के कई व्यापारी इस कंपनी के प्रति ईर्ष्या रखते थे । भारत में चल रहे कंपनी के प्रशासन पर इंग्लैंड में आलोचना होने लगी । तब कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कुछ महत्त्वपूर्ण कानून बनाए ।

पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून : १७७३ ई. के रेगूलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को 'गवर्नर जनरल' का पद दिया गया । इस एक्ट के अनुसार लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्ज गवर्नर जनरल बना । उसे मुंबई और मद्रास (चेन्नई) प्रांतों की नीतियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हुआ । उसकी सहायता करने के लिए चार सदस्यों की समिति का गठन किया गया ।

१७८४ ई. में भारत के विषय में पिट का कानून पारित हुआ । कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था पर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने हेतु एक स्थायी स्वरूप की नियंत्रण परिषद गठित की गई । इस परिषद को कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था के विषय में आदेश देने का अधिकार दिया गया । १८१३ ई., १८३३ ई. और १८५३ ई. में कंपनी की शासन व्यवस्था में फेरबदल करने वाले कानून पार्लियामेंट ने बनाए । इस प्रकार कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया ।

अंग्रेजी सत्ता के आगमन के पीछे-पीछे भारत में नई प्रशासनिक प्रणाली रूढ़ हो गई । प्रशासनिक नौकरतंत्र, सेना, पुलिस बल और न्याय प्रणाली अंग्रेजों के भारत में चलाए जा रहे प्रशासन के प्रमुख आधार स्तंभ थे ।

प्रशासनिक नौकरतंत्र (सिविल सर्विस) : भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों को नौकरतंत्र की आवश्यकता थी । लॉर्ड कार्नवालिस ने नौकरतंत्र का निर्माण करवाया । प्रशासनिक नौकरतंत्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण घटक बना । कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे; ऐसा उसने नियम बनाया । इसके लिए उसने अधिकारियों के वेतनों में वृद्धि की ।

उसने प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजों के अधिकारवाले प्रदेशों का जिले के अनुसार

विभाजन किया । जिलाधिकारी (कलेक्टर) जिला प्रशासन का प्रमुख था । राजस्व इकट्ठा करवाना, न्याय प्रदान करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना उसके महत्त्वपूर्ण दायित्व थे । अधिकारियों की भरती इंडियन सिविल सर्विसेस (आई.सी.एस.) प्रतियोगिता परीक्षाओं द्‌वारा की जाने लगी ।

सेना और पतुतस्रा बल : भारत में अंग्रेजों के अधिकारवाले प्रदेशों की रक्षा करना, नए प्रदेशों को हथिया लेना और भारत में अंग्रेजों के विरुद्‌ध होने वाले विद्रोह का दमन करना सेना के कार्य थे । देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस बल का कार्य था ।

न्याय प्रणाली: इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली के ढर्रे पर अंग्रेजों ने भारत में नई न्याय प्रणाली स्थापित की । प्रत्येक जिले में असैनिकी अर्थात नागरिकों के मुकदमों के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी (आपराधिक) मुकदमों के लिए न्यायालय स्थापित किए गए । उनके निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए ।

कानून के सम्मतु सभी समान (तवतधशासन) : पूर्व समय में भारत में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कानून प्रचलित थे । न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार भेदभाव किया जाता था । लार्ड मेकॉले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की । संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया । कानून के सम्मुख सभी समान हैं; यह सिद्‌धांत अंग्रेजों ने रूढ़ कर दिया ।

इस प्रणाली में भी कुछ दोष थे । यूरोपीय लोगों के मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय थे और विभिन्न कानून थे । नए कानून आम लोगों की समझ से परे थे । न्याय पाना साधारण लोगों के लिए बहुत खर्चीली बात थी । मुकदमे कई वर्षों तक चलते रहते थे ।

अंग्रेरों की आतथ्ऋ नीतियाँ : प्राचीन समय से भारत पर आक्रमण होते रहे । अनेक आक्रमणकारी भारत में स्थायी रूप में बस गए । वे भारतीय संस्कृति में घुल-मिल गए । यद्‌यपि उन्होंने यहाँ शासन किया; फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन नहीं किए । अंग्रेजों के विषय में ऐसा नहीं हुआ ।

इंग्लैंड आधुनिक राष्ट्र था । औद्‌योगिक क्रांति होने से वहाँ पूँजीवादी अर्थव्यवस्था रूढ़ हो गई थी । इस व्यवस्था के लिए पोषक ऐसी अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत में प्रचलित की । परिणामतः इंग्लैंड को आर्थिक लाभ हुए परंतु भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लगा ।

भू-रार स्व (लगान) तवरयक नीतत : अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने से पूर्व देहात की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी । कृषि और अन्य उद्‌योगों द्‌वारा गाँव की आवश्यकताएँ गाँव में ही पूरी हो जाती थीं । भू-राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था । अंग्रेजों के पूर्व समय में फसलों के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था । फसल अच्छी न आने पर लगान में छूट मिल जाती थी । राजस्व मुख्य रूप से अनाज के स्वरूप में लिया जाता था । यदि लगान अदा करने में विलंब भी हो जाए तब भी किसानों से उनकी भूमि छीन नहीं ली जाती थी ।

आय में वृद्‌धि लाने हेतु अंग्रेजों ने राजस्व प्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए । अंग्रेजों ने भूमिका का मापन करके भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लगान का निर्धारण किया । लगान नकद राशि में और निश्चित समय में अदा करने हेतु कड़ाई बरती जाने लगी । नियम बनाया गया कि लगान निर्धारित समय के भीतर अदा न किए जाने पर किसानों की भूमि सरकार द्‌वारा अधिग्रहित (जब्त) कर ली जाएगी । अंग्रेजों की राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग थी । सर्वत्र किसानों का शोषण होता था ।

नई भू-रार स्व व्यवस्था के ुिष्प्रभाव: नई भू-राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव ग्रामीण जीवन पर हुए । किसान उन दामों में अपनी फसल बेचने लगे; जिन दामों में लगान भरा जा सकेगा । व्यापारी और आढ़तिये उचित दामों से भी कम मूल्य पर उनकी उपज खरीदने लगे । समय पड़ने पर किसानों को लगान भरने के लिए साहूकार के पास अपने खेत

गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ता था । फलस्वरूप किसान कर्जदार बन गए । कर्ज न लौटाने पर उन्हें अपने खेत बेचने पड़ते थे । सरकार, जमींदार, साहूकार, व्यापारी किसानों का शोषण करते थे ।

कृषि का व्यापारीकरण : पहले किसान मुख्यतः खाद्यान्न उगाता था । इस खाद्यान्न का उपयोग किसान घरेलू उपयोग और गाँव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता था । अब अंग्रेज सरकार कपास, नील, तंबाकू, चाय जैसी नकदी फसलों को प्रोत्साहन देने लगी । खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देने वाली व्यापारिक अथवा नकदी फसलें लेने पर बल दिया जाने लगा । इस प्रक्रिया को 'कृषि का व्यापारीकरण' कहते हैं ।

अकाल : १८६० ई. से १९०० ई. के बीच भारत में बड़ी मात्रा में अकाल की स्थितियाँ उत्पन्न हुईं परंतु अंग्रेज शासकों ने अकाल निवारण हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए । साथ ही; जलापूर्ति की योजनाओं पर पर्याप्त व्यय भी नहीं किया ।

परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार : अंग्रेजों ने व्यापार वृद्धि और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भारत में परिवहन और संचार की आधुनिक सुविधाएँ निर्माण कीं । उन्होंने कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण करवाया । १८५३ ई. में मुंबई-ठाणे रेल मार्ग पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी । इसी वर्ष टेलीग्राम यंत्र द्वारा संदेश भेजने की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ की । इस व्यवस्था द्वारा भारत के प्रमुख नगर तथा सैनिकी स्थान एक-दूसरे के साथ जोड़े गए । इसी भाँति; अंग्रेजों ने डाक व्यवस्था भी प्रारंभ की ।

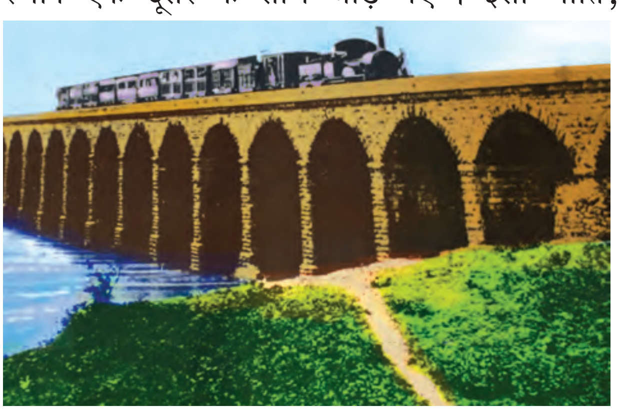
मुंबई-ठाणे रेल (१८५३)

इन सभी सुधारों के भारतीय समाज जीवन पर दूरगामी परिणाम हुए । देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क बढ़ा । परिणामतः उनके बीच एकता की भावना में वृद्धि होने में सहयोग मिला ।

भारत के पुराने उद्योग-धंधों का ह्रास : भारत से इंग्लैंड जाने वाले माल पर अंग्रेज सरकार जबरदस्त कर वसूल करती थी । इसके विपरीत इंग्लैंड से भारत में आने वाले माल पर बहुत कम कर लिया जाता था । इस तरह; इंग्लैंड से आने वाला माल यंत्र द्वारा निर्मित होता था । परिणामस्वरूप उस माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में और कम लागत में होता था । ऐसे सस्ते माल के साथ प्रतिद्वंद्विता करना भारतीय कारीगरों को कठिन सिद्ध हुआ । परिणामतः भारत के पारंपरिक उद्योग-धंधे बंद हो गए और अनेक श्रमिक बेरोजगार बन गए ।

भारत में नए उद्योग-धंधों का विकास : अंग्रेज सरकार का समर्थन, प्रबंधन का अनुभव और पूँजी जैसी बातों का अभाव होने से भारतीय उद्योजक बड़ी संख्या में आगे नहीं आ पाए । फिर भी ऐसी अनेक बाधाओं पर विजय पाकर कई भारतीयों ने उद्योगों का निर्माण किया ।

१८५४ ई. में कावसजी नानाभौय दावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल शुरू की । १८५५ ई. में बंगाल के रिश्रा में पटसन की पहली मिल प्रारंभ हुई । १९०७ ई. में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयर्न एंड स्टील कंपनी का इस्पात निर्माण का कारखाना स्थापित किया ।

जमशेदजी टाटा

भारत में कोयला, खनिज-धातुएँ, चीनी, सीमेंट और रासायनिक पदार्थों जैसे उद्योगों का भी प्रारंभ हुआ ।

सामातरक और सांस्कृतकि परणाम : उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में मानवतावाद, विचारवाद, लोकतंत्र, उदारतावाद जैसे नए मूल्यों पर आधारित नए युग का अवतरण हुआ था । पश्चिमी विश्व के इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया भारत में होना स्वाभाविक था । अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए भारतीय समाज को भली-भाँति जानना आवश्यक था । इसके लिए उन्होंने यहाँ की परंपराएँ, इतिहास, साहित्य, कलाएँ तथा यहाँ का संगीत, पशु-पक्षी का भी अध्ययन करना प्रारंभ किया । १७८४ ई. में अंग्रेज अधिकारी विलियम जोंस ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' संस्था की स्थापना की । जर्मन विचारक मैक्समूलर भारतीय धर्म, भाषा और इतिहास का गहन अध्येता था । इन उदाहरणों द्वारा हमें भी अपने धर्म, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए; यह बोध नवशिक्षित भारतीयों में उत्पन्न होने लगा ।

अंग्रेजों ने भारत में नए कानून बनाए । १८२९ ई. में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया । १८५६ ई. में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया । ये कानून धर्म सुधार की दृष्टि से सहायक सिद्ध हुए ।

प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी । लॉर्ड मेकॉले की सिफारिश के अनुसार १८३५ ई. में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ । नई शिक्षा द्वारा नये पश्चिमी विचार, आधुनिक सुधार, विज्ञान और तकनीकी विज्ञान से भारतीयों को परिचित कराया गया। १८५७ ई. में कोलकाता, मुंबई, मद्रास (चेन्नई) में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई । पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्यवर्ग ने भारत में सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व किया ।

स्वाध्याय

१. **तिए गए तक्कल्मों में से उतचा तिक्कल्म चतुकर कथन पतुः तर्लाि ।**

(१) पुर्तगाली, ... , फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत का बाजार अपने अधिकार में कर लेने के लिए सत्ता की होड़ में उतरे ।
(अ) ऑस्ट्रियन (ब) डच
(क) जर्मन (ड) स्वीडीश

(२) १८०२ ई. में .... अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली ।
(अ) बाजीराव प्रथम (ब) सवाई माधवराव
(क) पेशवा नानासाहब (ड) बाजीराव द्वितीय

(३) जमशेदजी टाटा ने .... में टाटा आयर्न एंड स्टील कंपनी का इस्पात निर्माण का कारखाना स्थापित किया ।
(अ) मुंबई (ब) कोलकाता
(क) जमशेदपुर (ड) दिल्ली

२. **तन्म संकल्मनाओं को स्मष्ट करो ।**

(१) प्रशासनिक नौकरतंत्र
(२) कृषि का व्यापारीकरण
(३) अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ

३. **तन्म कथनों को कारणसतहा स्मष्ट करो ।**

(१) भारत के किसान कर्जदार बन गए ।
(२) भारत के पुराने उद्योग-धंधों का ह्रास हो गया ।

४. **पाठ के आधार पर तन्म सारणी पूण्डकरो ।**

व्यक्ति	कार्य
लॉर्ड कॉर्नवालिस	....
....	सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया ।
लॉर्ड डलहौजी	....
....	'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' की स्थापना ।

उपक्रम

अंग्रेजों द्वारा प्रशासन, शिक्षा, परिवहन और संचार व्यवस्था में किए गए सुधारों की चित्र सहित जानकारी तैयार करो ।

9A33LH

४. १८५७ का स्वतंत्रता युद्ध

१८५७ ई. में अंग्रेजी सत्ता को बुरी तरह से आघात पहुँचाने वाला भारत में एक बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध अचानक नहीं हुआ । इसके पूर्व भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक संघर्ष हुए थे। १८५७ ई.के युद्ध की व्याप्ति और उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने जिस पुस्तक में इस युद्ध को प्रस्तुत किया; उस '१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर' (१८५७ ई. का स्वतंत्रता युद्ध) पुस्तक ने कालांतर में अनगिनत क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी ।

१८५७ ई. के पूर्वकालीन युद्ध : भारत के जिन स्थानों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, वहाँ के लोगों को अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभावों को झेलना पड़ा । कंपनी की सत्ता के कारण ही हमारा सभी स्तरों पर शोषण हो रहा है; यह बोध भारतीयों के मन मे उत्पन्न होने लगा और इस सत्ता के विरुद्ध असंतोष भी बढ़ता गया ।

क्या तुम जानते हो ?

मध्ययुगीन समय से ओडीशा में पाइक प्रणाली अस्तित्व में थी । वहाँ के विभिन्न स्वतंत्र राजाओं के जो खड़े सैनिक थे; उन्हें 'पाईक' कहते थे । राजाओं ने इन पाइकों को खेती करने के लिए भूमि दी थी। उस भूमि पर खेती कर वे अपना जीवनयापन करते थे। इसके बदले में उन्हें यदि युद्ध का प्रसंग उपस्थित हो जाता है तो राजाओं के पक्ष में युद्ध के लिए तैयार रहना है; यह शर्त थी ।

१८०३ ई. में. अंग्रेजों ने ओडीशा जीत लिया। अंग्रेजों ने ओडीशा जीत लिया । अंग्रेजों ने पाइकों की वंश परंपरागत भूमि छीन ली । फलतः पाइक क्रोधित हुए । साथ ही; अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए करों के कारण नमक के मूल्य में वृद्धि होकर साधारण लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया। इसके परिणामस्वरूप १८१७ ई. में पाइकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया । इस विद्रोह का नेतृत्व बक्शी जगनबंधु विद्याधर ने किया।

किसान और साधारण लोग कंपनी सरकार के कार्यकाल में कंगाल हो गए । ऐसे में १७७० ई. में बंगाल प्रांत में बड़ा अकाल पड़ा । अंग्रेजी शासकों का साधारण लोगों के साथ आचरण बड़ा ही उदासीन एवं संवेदनशून्य रहा । १७६३ ई.से १८५७ ई. के कालखंड में बंगाल में पहले संन्यासियों और इसके बाद फकीरों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया । ऐसे ही संघर्ष गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी हुए ।

उमाजी नाईक

उमाजी नाईक द्वारा किया गया संघर्ष प्रखर स्वरूप का था । उन्होंने एक घोषणापत्र जारी कर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का आवाहन किया। उन्होंने अपनी धाक पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नाशिक, भोर आदि भागों में निर्माण की। १८३२ ई.में कंपनी सरकार ने उमाजी नाईक को बंदी बनाया और उन्हें पुणे में फांसी दी गई ।

भारत में आदिवासी और वन्य जनजातियों ने भी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी । इन जनजातियों की आजीविका वन की संपत्ति पर चलती थी । अंग्रेजों ने कानून द्वारा उनके अधिकारों पर वज्रपात कराया । परिणामतः बिहार और छोटा नागपुर परिसर के कोलाम ओडीशा के गोंड, बिहार में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया । महाराष्ट्र में भील, कोली (मछुआरे), पिंडारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कड़े संघर्ष किए तो कोंकण में फोंड-सावंतों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी । १८५७ ई. के पूर्व देश के विभिन्न भागों में कुछ जमीनदारों और रियासतदारों ने भी प्रखर संघर्ष किया ।

ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कई भारतीय सैनिक थे । कंपनी उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करती थी । उनके वेतन तथा अन्य भत्ते अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में बहुत कम थे । १८०६ ई. में वेल्लौर में तो १८२४ ई. में बराकपुर के विद्रोह ने उग्र स्वरूप धारण किया था ।

ये सभी संघर्ष और संग्राम उन-उन स्थानों में हुए । उनका स्वरूप स्थानीय और एकाकी था । अंग्रेजों ने बल का प्रयोग कर उनका दमन किया था । लोगों में उत्पन्न असंतोष की भावना को दबा दिया गया था परंतु वह नष्ट नहीं हुआ था । यह दावानल १८५७ ई. के स्वतंत्रता युद्ध में धधक उठा। ब्रिटिश कंपनी की सत्ता के विरुद्ध अनेक स्थानों पर संघर्ष प्रारंभ हुए । जैसे बारूद के ढेर में चिनगारी छूट जाए और उसका प्रचंड और प्रलयंकारी विस्फोट हो; ऐसी स्थिति हो गई । भारत के विभिन्न वर्गों में इकट्ठा और दमित असंतोष इस लड़ाई के रूप में प्रकट हुआ और इसका उद्रेक ऐसे अभूतपूर्व सशस्त्र युद्ध के रूप में हुआ ।

१८५७ ई. के युद्ध के कारण : अंग्रेजों के पूर्व समय में भारत में अनेक शासकों का शासन रहा । शासनों में परिवर्तन होते रहे परंतु गाँव का जीवन पहले की तरह चलता रहा । लेकिन अंग्रेजों ने प्रचलित व्यवस्था बदलकर नई व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास किया । गाँव की जीवन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन और उसके स्वरूप को देखकर जनता के मन में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई थी ।

आब् ्फ कारण : अंग्रेजों ने आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु नई राजस्व प्रणाली को चलाया । किसानों से जबर्दस्ती राजस्व की वसूली की जाती थी । परिणाम यह हुआ कि कृषि व्यवस्था चरमरा गई । इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना अंग्रेजों की नीति थी । उन्होंने यहाँ के उद्योग-धंधों पर कठोर कर लगाए । भारत का विकसित हस्तकला एवं वस्त्र उद्योग का दिवाला पिट गया । अनगिनत भारतीय कारीगर/श्रमिक बेरोजगार हो गए । इन सब के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया ।

सामाब्ज्क्क कारण : भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज हमारी रीति-रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं । सती पर रोक लगाना, विधवा विवाह को पुनः मान्यता देना जैसे कानून यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण से उचित थे, फिर भी अंग्रेज हमारी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे हैं; ऐसी सोच भारतीयों ने बना ली थी । अतः भारतीय भी असंतुष्ट बन गए थे ।

राजनीब् क कारण : १७५७ ई.से अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्य हड़प लिये थे । कालांतर में डलहौजी ने अनेक रियासतों का विविध कारणों से विलय करवा लिया । प्रशासनहीनता का कारण बताकर अयोध्या के नवाब को गद्दी से हटा दिया तो सातारा, नागपुर, झाँसी रियासतों को वहाँ के शासकों के उत्तराधिकारी के अधिकार को अमान्य कर इन रियासतों का विलय कर दिया । डलहौजी की इस नीति के फलस्वरूप भारतीयों में अविश्वास और संशय का वातावरण बढ़ता गया ।

भार् ीय सैब्न्कों में अस् ेर : अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ तुच्छता का व्यवहार करते थे । सेना में भारतीय सैनिकों को सूबेदार पद से ऊपर वाला पद नहीं दिया जाता था । उन्हें मिलने वाला वेतन गोरे सैनिकों से कम होता था। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को भत्ते मिलते थे । वे भी धीरे-धीरे कम किए गए । ऐसे अनेक कारणों से भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ता गया ।

् त्काब्ल्क कारण : अंग्रजों ने १८५६ ई. में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करनेवाली एनफिल्ड बंदूकें दी थीं । उनमें उपयोग में आने वाले कारतूसों का ढक्कन दाँतों से खोलना पड़ता था । इन आवरणों पर गाय एवं सूअर की चरबी लगी होती है; यह समाचार चारों ओर फैल गया । इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएँ आहत हुईं और सैनिक में असंतोष निर्माण हुआ ।

मंगल पांडे

दावानल धधक उठा : चरबी लगे कारतूसों का उपयोग करने को जिन सैनिकों ने विरोध किया; उनपर अनुशासन भंग की कार्यवाही की गई और उन सैनिकों को कठोर दंड दिया गया । बराकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की इस अन्यायी प्रवृत्ति को विरोध करने की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी । मंगल पांडे को बंदी बनाया और फाँसी दी गई । यह समाचार जंगल की आग की भाँति चारों ओर फैल गया । मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों की पूरी पलटन विद्रोह कर उठी । सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया । बीच रास्ते में हजारों लोग उत्स्फूर्तता के साथ उनसे जुड़ते गए । १२ मई १८५७ को सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया । उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह 'जफर' को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया । भारत के सम्राट के रूप में उनके नाम की घोषणा की गई ।

युद्ध की व्याप्ती: दिल्ली पर नियंत्रण हो जाने से सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ गया । इससे भारत में अन्य स्थानों के सैनिकों को भी प्रेरणा मिली । शीघ्र ही विद्रोह की यह आग उत्तर भारत में फैल गई । बिहार से राजपूताना तक अंग्रेज छावनियों के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया । लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, झाँसी में विद्रोह प्रारंभ हुआ । कालांतर में यह आग दक्षिण भारत में भी फैली । नागपुर, सातारा, कोल्हापुर, नरगुंद स्थानों पर विद्रोह हुए । इस युद्ध में सातारा के छत्रपति के उत्तराधिकारी शहाजी प्रताप सिंह और प्रशासक रंगो बापू जी, कोल्हापुर के चिमासाहेब, नरगुंद के बाबासाहेब भावे, अहमदनगर जिले के संगमनेर के निकट के भागोजी नाईक आदि अग्रसर थे । नाशिक जिले के पेठ, सुरगाणा की महारानी जैसी महिलाएँ भी इसमें सम्मिलित हुई थीं । १८५७ ई. में खानदेश में कजार सिंह के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया तो सतपुड़ा परिसर में शंकर शाह ने युद्ध का नेतृत्व किया । खानदेश में हुए विद्रोह में चार सौ भील महिलाएँ सम्मिलित हुई थीं ।

युद्ध का नेतृत्व : १८ वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य निर्बल बनने के पश्चात नादिर शाह, अब्दाली जैसे विदेशी शासकों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया । मुगल शासक उनका प्रतिकार नहीं कर सकते; यह ध्यान में आने पर मराठों ने विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा का दायित्व अपने सिर पर ले लिया । इसी भूमिका को ध्यान में रखकर मराठे अब्दाली के विरुद्ध पानीपत के मैदान पर लड़े । १८५७ ई. के स्वतंत्रता युद्ध में मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बहादुर शाह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ हैं; यह ध्यान में आने पर नानासाहेब पेशवा, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने १८५७ ई. के स्वतंत्रता युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली । इसी के परिणामस्वरूप इस

तात्यासाहेब टोपे

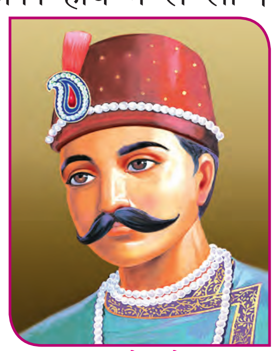

नानासाहेब पेशवा

रानी लक्ष्मीबाई

बेगम हजरत महल

कुँवर सिंह

स्वतंत्रता युद्ध में हिंदू-मुस्लिम एकता के दर्शन होते हैं । मौलवी अहमद उल्ला, कुँवर सिंह, मुगल सेनापति बख्त खाँ, बेगम हजरत महल ने विविध स्थानों पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया । दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झाँसी तथा पश्चिम बिहार में विद्रोह का स्वरूप अत्यंत उग्र था ।

वद्रिोहकी रोक–थरम : अंग्रेजों के साथ भारतीय संपूर्ण प्राणपण से लड़े । इसमें सैनिक, जमींदार, राजा-महाराजा, सेनापति और जनता का भी समावेश था । भारतीय सैनिकों के नियोजित समय से पूर्व ही विद्रोह प्रारंभ हुआ । प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को सफलता मिलती गई परंतु अंग्रेजी सत्ता की सैनिक संख्या और प्रशासकीय शक्ति बहुत अधिक थी । अंग्रेजों ने भी विद्रोह का दमन साम, दाम, दंड और भेद नीति के अनुसार किया । इस आघात से अंग्रेज तुरंत सँभल गए और अगले छह महीनों में ही हारे हुए स्थान पुनः जीत लिये । रानी लक्ष्मी-बाई, कुँवर सिंह, अहमद उल्ला ने अपने प्राणों का बलिदान दिया । बहादुर शाह को रंगून के कारावास में रखा गया । नानासाहेब और बेगम हजरत महल

बहादुर शाह

ने नेपाल में आश्रय लिया तो तात्या टोपे दस महीनों तक अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे परंतु विश्वासघात के कारण पकड़े गए । वे फाँसी पर चढ़े। इस तरह १८५८ ई. के अंत तक अंग्रेजों ने इस युद्ध को बड़ी कठोरता से दबा दिया ।

यद्‌यपि इस युद्ध का प्रारंभ भारतीय सैनिकों के असंतोष में से हुआ, फिर भी कालांतर में किसान, कारीगर, सामान्य जनता, आदिवासी अंग्रेजों के विरोध में इकट्‌ठे हुए । इस अन्यायकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों ने यह युद्ध किया । इस युद्ध में हिंदू, मुस्लिम, विभिन्न जातियों-जनजातियों के लोग पूरी शक्ति से खड़े हो गए । अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना सभी का यही एक लक्ष्य था । इसके पीछे स्वतंत्रता की प्रेरणा थी । इसीलिए इस युद्ध को व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ ।

युद्ध की विफलता के कारण : १८५७ ई. का युद्ध निम्न कारणों से विफल रहा ।

• **युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ :** यह युद्ध संपूर्ण भारत में एक ही समय में नहीं हुआ । उत्तर भारत में युद्ध की प्रखरता अधिक थी । उत्तर के भी राजपूताना, पंजाब, बंगाल का कुछ हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत इस युद्ध से अछूते रहे ।

• **सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव :** इस युद्ध में भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के विरोध में सशक्त और सर्वमान्य एक नेतृत्व निर्माण नहीं हो सका था । अतः अंग्रेजों के विरोध में एकता लाई नहीं जा सकी ।

• **रियासतदारों के समर्थन का अभाव :** अंग्रेजी सत्ता से त्रस्त जितनी सामान्य जनता थी; उतने ही त्रस्त रियासतदार भी थे । उनमें से कुछ रियासतदारों को छोड़ दें तो अन्य रियासतदार अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहे ।

• **सैनिकी कूटनीति का अभाव :** भारतीय सैनिकों में वीरता और शौर्य कूट-कूटकर भरा हुआ था परंतु उचित समय पर उचित दाँव-पेंच उन्हें खेलना नहीं आया । दिल्ली को जीतने के बाद उसे अपने अधिकार में रखना नहीं आया । इसी तरह; विद्रोहियों के पास पर्याप्त शस्त्र-अस्त्र नहीं थे । अंग्रेजों के पास बड़ी धनशक्ति, अनुशासनबद्‌ध सेना, आधुनिक शस्त्र-अस्त्र और अनुभवी सेनानी थे । संचार व्यवस्था उनके नियंत्रण में होने से उनकी गतिविधियाँ शीघ्रगति से होती थीं । परिणामस्वरूप भारतीय सैनिक उनके सामने अपना प्रभाव नहीं जमा पाए । युद्ध केवल वीरता के कारण ही नहीं बल्कि सैनिकी कूटनीति अथवा दाँव-पेंच के बल पर भी जीतने पड़ते हैं ।

• **अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति अंग्रेजों के लिए अनुकूल :** रूस के साथ चल रहा अंग्रेजों का क्रिमियन युद्ध इस समय समाप्त हुआ था । इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे । विश्व के कई देशों के साथ उनका व्यापार चलता था । अंग्रेजों के पास प्रबल नौसेना थी । इसके विपरीत स्थिति विद्रोहियों की थी ।

स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम

ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ : कंपनी की शासनसत्ता के कारण ही भारतीयों का असंतोष बढ़ता गया और अंग्रेजी सत्ता के सम्मुख १८५७ ई. के युद्ध की चुनौती खड़ी हुई; यह बोध इंग्लैंड की रानी को हुआ । उन्हें अनुभव हुआ कि भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथों में सुरक्षित नहीं रह गई है । अतः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने १८५८ ई. में कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया । गवर्नर जनरल पद के स्थान पर वायसराय पद का निर्माण किया गया । लॉर्ड कनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना । साथ ही, भारत का शासन चलाने के लिए भारतमंत्री पद का निर्माण इंग्लैंड के शासन में निर्मित किया गया ।

विक्टोरिया रानी का घोषणापत्र : इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने भारतीयों को संबोधित कर एक घोषणापत्र जारी किया । इस घोषणा में आश्वासन

दिया गया कि सभी भारतीय हमारे प्रजाजन हैं । वंश, धर्म, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा । सरकारी नौकरियाँ गुणवत्ता के आधार पर दी जाएँगी । धार्मिक मुआमलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा । रियासतदारों के साथ किए गए अनुबंधों का पालन किया जाएगा । किसी भी कारण से वे रियासतें समाप्त नहीं की जाएँगी ।

भार् ीय ससेा की पुनर्षाना : सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई । महत्त्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया । तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया । सेना की टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया । भारतीय सैनिक इकट्ठे आकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे, ऐसी सावधानी रखी गई ।

नीब् ग् परस्व्षन : अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई । साथ ही; भारतीय समाज सामाजिक रूप में इकट्ठा नहीं होगा; इसकी सावधानी रखना प्रारंभ किया । भारतीयों में जाति, धर्म, वंश और प्रदेश के नाम पर हमेशा विवाद-संघर्ष होते रहेंगे; एक-दूसरे के प्रति भारतीयों के मन कलुषित होते रहेंगे, ऐसी नीतियाँ चलाई जाने लगीं । 'फूट डालो और राज करो' यह सूत्र अंग्रेजी शासन का रहा ।

१८५७ ई. के स्वतंत्रता युद्ध के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेजी सत्ता का विरोध संगठित रूप में करना चाहिए । १८५७ ई. का स्वतंत्रता युद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ ।

स्वाध्याय

१. ब्द्ए गए ब्क्कल्पों में सरेउब्च् ब्क्कल्प चुनकर क् न पुनः ब्ल्खो ।

(उमाजी नाईक, स्वातंत्र्यसमर, लॉर्ड डलहौजी, भारतमंत्री, तात्या टोपे)

(१) स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने १८५७ ई. के युद्ध को .... नाम दिया ।

(२) पिंडारियों को संगठित कर .... ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया ।

(३) १८५७ ई. के युद्ध के पश्चात भारत का शासन चलाने के लिए .... पद इंग्लैंड की सरकार में निर्मित किया गया ।

(४) भारत की रियासतों का .... गवर्नर जनरल ने विलय कर दिया ।

२. ब्न्म्न क् नों को कारणसब्ह् सर्प्ष् करो ।

(१) अंग्रेजों के विरुद्ध पाइकों ने सशस्त्र विद्रोह किया ।

(२) हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ ।

(३) भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सामने अपना प्रभाव जमा नहीं पाए ।

(४) स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया ।

(५) अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग-धंधों पर कठोर कर लाद दिए ।

३. ब्न्म्न प्रश्नों के उत् र संक्षे में ब्ल्खो ।

(१) १८५७ ई. के स्वतंत्रता युद्ध के पीछे कौन-से सामाजिक कारण थे ?

(२) १८५७ ई. के स्वतंत्रता युद्ध में भारतीय विफल क्यों रहे ?

(३) १८५७ ई. के स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम लिखो ?

(४) १८५७ ई. के स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने कौन-से नीतिगत परिवर्तन किए ?

उपक्रम

(१) '१८५७ का स्वातंत्र्य समर'- स्वातंत्र्यवीर सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक प्राप्त करो और पढ़ो ।

(२) भारत के मानचित्र के ढाँचे में १८५७ ई. के स्वतंत्रता युद्ध के स्थानों को दर्शाओ ।

9ABYNA

५. सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण

अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ नयी विचार धाराएँ, नयी संकल्पनाएँ, नये दर्शन आदि का भी प्रसार हुआ । इसी तरह पश्चिमी विचार, संस्कृति का भारतीयों से परिचय हुआ । परिणामस्वरूप भारतीय समाज के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन हुए ।

भारतीय समाज का पिछड़ापन उसकी अंधश्रद्धा, रूढ़ीप्रियता, जातिभेद, ऊँच-नीच की भ्रामक मान्यताओं और जिज्ञासाहीन तथा विश्लेषणात्मक वृत्ति के अभाव में निहित है; इसका बोध शिक्षित समाज को होने लगा । देश को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए भारतीय समाज में व्याप्त दोषों और अनिष्ट प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने तथा मानवता, समता, बंधुता पर आधारित नवसमाज निर्माण करने की आवश्यकता थी । भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षित, विचारक अपनी लेखनी द्वारा जनजागरण करने लगे । तत्कालीन भारत में प्रारंभ हुए इस वैचारिक जागरण को 'भारतीय पुनर्जागरण' कहते हैं ।

धम्डसखुार एवं समार सखुार का यसु

राहि्मो समार : राजा राममोहन रॉय ने १८२८ ई.में बंगाल प्रांत में ब्राह्मो समाज की स्थापना की । उन्होंने अनेक भाषाओं और धर्मों का अध्ययन किया था । इसमें से उनकी अद्वैतवादी विचारधारा का विकास हुआ । एकेश्वरवाद, ऊँच-नीच का भाव न रखना, कर्मकांड के प्रति विरोध, प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण करना आदि ब्राह्मो समाज के तत्त्व थे । राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा पद्धति का विरोध किया । विधवा विवाह, नारी शिक्षा का समर्थन किया । कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की । इसी भाँति, 'संवाद कौमुदी' समाचारपत्र द्वारा जनजागरण का कार्य किया ।

राजा राममोहन रॉय

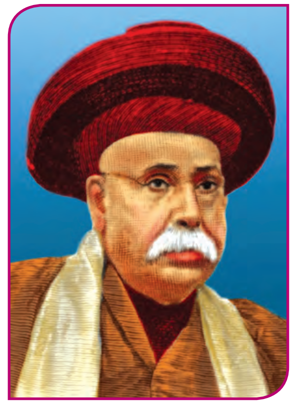

दादोबा पांडुरंग तर्खडकर

प्राथ्र्ङ समार : दादोबा पांडुरंग तर्खडकर ने १८४८ ई. में मुंबई में परमहंस सभा की स्थापना की । कालांतर में परमहंस सभा विसर्जित हुई और उसी के कुछ सदस्यों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। दादोबा के बंधु डॉ. आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के प्रथम अध्यक्ष थे । मुंबई विश्वविद्यालय के युवा स्नातक इस संस्था से जुड़ जाने से उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई ।

प्रार्थना समाज का कार्य न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे, डॉ.रा.गो. भांडारकर ने आगे बढ़ाया । मूर्तिपूजा के प्रति विरोध, एकेश्वरवाद, कर्मकांड को विरोध प्रार्थना समाज के कुछ सिद्धांत हैं । वे उपासना और प्रार्थना पर बल देते थे । प्रार्थना समाज ने समाज सुधार की दृष्टि से अनाथालय, स्त्री शिक्षा संस्था, श्रमिकों के लिए रात्रिशाला, दलितों के लिए संस्थाएँ प्रारंभ कीं । प्रार्थना समाज के सदस्य महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे ने 'डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन' की स्थापना की तथा उसके द्वारा सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया ।

सतय्शोधक समार : महात्मा जोतीराव फुले ने १८७३ ई. में सत्यशोधक समाज की स्थापना की । सत्यशोधक समाज ने समता सिद्धांत पर आधारित समाज निर्माण करने का कार्य किया । उन्होंने छुआ-छूत प्रथा का विरोध किया । साथ ही, बहुजन समाज की शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया ।

महात्मा जोतीराव फुले

महात्मा जोतीराव फुले ने 'ब्राह्मणांचे कसब' (ब्राह्मणों का कौशल), 'गुलामगिरी', 'शेतकऱ्याचा आसूड' (किसान का चाबुक), 'सार्वजनिक सत्यधर्म' जैसी पुस्तकों के माध्यम से समाज का पुनर्जागरण किया । स्त्री-पुरुष अथवा मनुष्य-मनुष्य के बीच भेदभाव करनेवाली रीति-रिवाजों की कड़ी आलोचना की ।

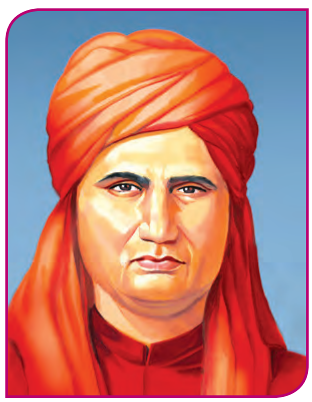
स्वामी दयानंद सरस्वती

आर्य समाज : स्वामी दयानंद सरस्वती ने १८७५ ई. में आर्य समाज की स्थापना की । वेदों पर भाष्य करने वाला 'सत्यार्थ प्रकाश' ग्रंथ लिखा । उन्होंने प्रतिपादन किया कि प्राचीन वैदिक धर्म ही सच्चा और सत्य धर्म है तथा उसमें जाति-पाँति को स्थान नहीं था । आर्य समाज का घोषवाक्य-'वेदों की ओर चलिए' था । आर्य समाज की संपूर्ण भारत में शाखाएँ खुल गईं । आर्य समाज के माध्यम से स्थान-स्थान पर शिक्षा संस्थान खुल गए।

स्वामी विवेकानंद

रामकृष्ण मिशन : रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने १८९७ ई. में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की । रामकृष्ण मिशन ने लोकसेवा के अनेक कार्य किए । इस मिशन ने अकालग्रस्तों की सहायता करना, रोगी, दीन-दुर्बलों को औषधियों की सहायता पहुँचाना, स्त्री शिक्षा, आध्यात्मिक उन्नति जैसे क्षेत्रों में कार्य किया और आज भी यह कार्य कर रहा है । स्वामी विवेकानंद उत्तम वक्ता थे । उन्होंने १८९३ ई. में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया । भारत के युवाओं को संदेश देते हुए कहा, ''उठो, जाग जाओ और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत ।''

सिख समाज में सुधार : सिख धर्म में सुधार लाने के लिए अमृतसर में 'सिंह सभा' की स्थापना हुई । इस संस्था ने सिख समाज में शिक्षा प्रसार और आधुनिकीकरण का कार्य किया । कालांतर में 'अकाली आंदोलन' ने सिख समाज में चलने वाली सुधारवादी परंपरा को आगे बढ़ाया ।

गोपाल हरि देशमुख

स्त्री विषयक सुधार : जब ब्रिटिश सत्ता का भारत में विस्तार हुआ; तब भारत की महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी । उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था । उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था । समाज में बालविवाह, वृद्ध-कुमारी विवाह, दहेज पद्धति, सती प्रथा, केशवपन, विधवा विवाह को विरोध जैसी कुप्रथाएँ प्रचलित थीं । तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड बेंटिक को सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कानून को बनाने के लिए राजा राममोहन रॉय जैसे समाज सुधारक ने सहायता की । गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोकहितवादी ने शतपत्रों द्वारा स्त्री-पुरुष समानता का समर्थन किया ।

सावित्रीबाई फुले

महात्मा फुले ने १८४८ ई. में पुणे के भिडे बाड़ा में लड़कियों की पहली पाठशाला खोली । इस कार्य में उन्हें उनकी पत्नी सावित्रीबाई का सहयोग प्राप्त हुआ । समाज के कर्मकांडी लोगों द्वारा की गई आलोचना, निंदा को

सहकर भी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का कार्य आगे बढ़ाया । महात्मा फुले ने अपने घर में बालहत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित किया । केशवपन की पद्धति बंद हो; इसलिए उन्होंने नाइयों की हड़ताल करवाई । विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता प्राप्त करा देने के लिए पं. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विष्णुशास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पंतलु ने विशेष प्रयास किए ।

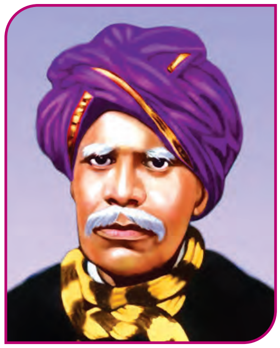
वीरेशलिंगम पंतलु

गोपाल गणेश आगरकर ने अपने 'सुधारक' समाचारपत्र द्वारा बालविवाह कानून पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए । महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे ने मुंबई में देवदासी प्रथा के विरुद्ध परिषद का आयोजन कराया । ताराबाई शिंदे ने 'स्त्री-पुरुष तुलना' ग्रंथ द्वारा अत्यंत ज्वलंत और कठोर भाषा में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया । महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने पुणे में 'अनाथ बालिकाश्रम' प्रारंभ किया । विधवाओं, परित्यक्ताओं के साथ सभी महिलाएँ शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें; यह उनका उद्देश्य था । उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत में बीसवीं शताब्दी का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खुला । पंडिता रमाबाई ने 'शारदासदन' संस्था की स्थापना कर दिव्यांग बच्चों, लड़कियों के भरण-पोषण का दायित्व स्वीकारा । रमाबाई रानडे ने 'सेवासदन' संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए परिचारिका (नर्स) पाठ्यक्रम प्रारंभ किया । उन्होंने सरकार के पास माँग की कि महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए । डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने लेखन द्वारा स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को वाणी दी । महात्मा गांधी ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया । महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिया है ।

महर्षि धोंडो केशव कर्वे

स्त्री सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप समाज में प्रचलित अनिष्ट और अन्यायकारी प्रथाएँ बंद होने में सहायता मिली । स्त्रियों की समस्याओं को वाणी मिली । महिलाएँ अपने विचार लेखन द्वारा व्यक्त करने लगीं । शिक्षा के फलस्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका कार्य और कर्तृत्व निखार पा रहा है ।

थोड़ा सोचो –

* यदि समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा का प्रारंभ नहीं किया होता तो ..
* वर्तमान समय में स्त्रियों के जीवन में शिक्षा के कारण कौन-से परिवर्तन हुए हैं ?
* क्या तुम्हें लगता है कि आज भी स्त्री शिक्षा हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है ? यदि हाँ तो कौन-से प्रयास करने चाहिए ?

मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन : अब्दुल लतीफ ने मुस्लिम समाज में धर्म सुधार का प्रारंभ किया । उन्होंने बंगाल प्रांत में 'द मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी' संस्था की स्थापना की । सर सैयद अहमद खाँ ने 'मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज' की स्थापना की । कालांतर में इसी कॉलेज का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तन हुआ । उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और तकनीकी का समर्थन किया । उनका दृढ़ मत था कि जब तक मुस्लिम समाज पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का अंगीकार नहीं करेगा, तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी ।

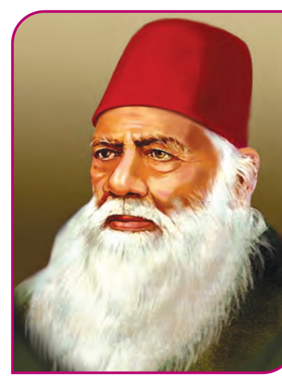
सर सैयद अहमद खाँ

हिंदू समाज में आंदोलन : हिंदू समाज को सम्मान का स्थान मिले; इसलिए १९१५ ई. में 'हिंदूमहासभा' संगठन की स्थापना हुई । पं.मदन मोहन मालवीय ने 'बनारस हिंदू विश्वविद्यालय' की

डॉ.केशव बलिराम हेडगेवार

नींव रखी। डॉ.केशव बलिराम हेडगेवार ने १९२५ ई. में 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' की नागपुर में स्थापना की। हिंदुत्ववादी युवाओं का अनुशासनबद्ध और चरित्रसंपन्न संगठन खड़ा करना उनका उद्देश्य था।

स्वातंत्र्यवीर वि.दा.सावरकर ने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर का निर्माण करवाया जहाँ हिंदू धर्म की सभी जातियों को खुला प्रवेश था। सहभोज आदि उपक्रम चलाए।

क्या तुम जानते हो ?

अन्र क्ेत्रों में पुनजाग्रण की प्लतक्रि। : सुधार आंदोलन की भाँति ही पुनर्जागरण युग में साहित्य, कला और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति भी महत्वपूर्ण थी। साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर को तो विज्ञान के क्षेत्र में सी.वी.रामन को नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके आधार पर भारत की प्रगति की कल्पना की जा सकती है। इस प्रगति के परिणामस्वरूप आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। कहानियों-उपन्यासों द्वारा स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलने लगी। समाज सुधार का विचार भी मुखर होने लगा।

इस कालखंड में महिलाएँ भी लेखन करने लगीं। नये समाचारपत्र और पत्रिकाएँ समाज सुधार और राजनीतिक जागरण का वहन करने वाली साधन बनीं।

इस कालखंड में कला क्षेत्र में भी उन्नति हो गई। संगीत अधिकाधिक लोकाभिमुख होने लगा। भारतीय शैली और पश्चिमी तकनीकी के मेल से नयी चित्रकला का उदय हुआ।

विज्ञान से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी जाने लगीं। भारत की उन्नति के लिए प्रयोगशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो महत्व है; उसका बोध लोगों को होने लगा।

आधुनिक भारत के इतिहास में पुनर्जागरण की यह अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, समता, राष्ट्रवाद जैसे विचारों से अभिभूत सुधारकों ने राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया। इसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे।

्िा ध्रार

१. लद्द गए तिकल्पों में से उलच्त तिकल्प चुनकर कथन पुनः लर्िी ो।

(सर सैयद अहमद खाँ, स्वामी विवेकानंद, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे)

(१) .... ने 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की।

(२) .... ने 'मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज' की स्थापना की।

(३) 'डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन' की स्थापना .... ने की।

२. लमम सारणी पूण्णकरो।

समाज सुधारक का नाम	संस्था	पत्र/पत्रका	संस्था के कार्ण
राजा राममोहन रॉय	....	संवाद कौमुदी	....
....	आर्यसमाज	....	....
महात्मा फुले	....	गुलामगिरी	....

३. लमम कथनों को कारणसलह ्प ष्ट करो।

(१) भारत में सामाजिक, धार्मिक परिवर्तन के आंदोलन प्रारंभ हुए ?

(२) महात्मा फुले ने नाइयों की हड़ताल करवाई ?

४. तमिपणी लर्िी ो।

(१) रामकृष्ण मिशन

(२) सावित्रीबाई फुले के स्त्रीविषयक सुधार कार्य

उपरमि

(१) 'स्त्री शिक्षा' विषय पर विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करो।

(२) समाज सुधारकों के छायाचित्रों (फोटो) का संग्रह करो।

9AKUPX

६. स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ

अंग्रेजी शिक्षा के भारतीय समाज जीवन पर मिले-जुले परिणाम हुए । नवशिक्षित समाज ने जिस पुनर्जागरण का प्रारंभ किया; उससे राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण हुआ । भारत के अलग-अलग प्रदेशों में चलने वाले आंदोलनों के कारण विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक संस्थाओं का एक सूत्रीकरण करने, राजनीतिक रूप से जागृत हुए विभिन्न दलों और लोगों को इकट्ठा करने और राष्ट्रीय हितों की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर राष्ट्रीय आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए संपूर्ण भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन खड़ा करने की आवश्यकता थी और उसके लिए अनुकूल स्थिति का निर्माण भी हुआ था ।

अंग्रेजी शासनकाल में प्रशासनिक केंद्रीकरण : अंग्रेजी प्रशासन के कारण भारत में सही अर्थ में एकछत्र शासन प्रारंभ हुआ । संपूर्ण देश में समान नीति, विधि शासन के सम्मुख सभी एक समान जैसी बातों के कारण लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई । अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए और सेना की वेगवान गतिविधियों के लिए रेल-सड़कों का जाल बिछाया परंतु इन भौतिक सुविधाओं का लाभ भारतीयों को भी प्राप्त हुआ । भारत के अलग-अलग प्रांतों के लोगों का पारस्परिक संबंध बढ़ा और उनके बीच संवाद में वृद्धि हुई । साथ ही; राष्ट्रभावना बढ़ने लगी ।

आर्थिक शोषण : भारत की संपत्ति का प्रवाह कई स्रोतों से इंग्लैंड की ओर बहने लगा । इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत का आर्थिक शोषण होने लगा । किसानों को बलपूर्वक नकदी अथवा व्यापारिक फसलें लेने के लिए बाध्य करना, लगान का बोझ, निरंतर आने वाला अकाल जैसे कारणों से भारतीय किसान की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी । पारंपरिक उद्योग-धंधों का ह्रास होने से बेरोजगारी बढ़ गई । पूँजीपतियों द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था । मध्य वर्ग पर नये-नये कर लादे जा रहे थे । परिणामस्वरूप लोगों के मन में असंतोष धधक रहा था ।

पश्चिमी शिक्षा : पश्चिमी शिक्षा के प्रसार-प्रचार के कारण न्याय, स्वतंत्रता, समता और लोकतंत्र जैसी नई संकल्पनाओं से भारतीयों का परिचय हुआ । भारतीयों ने बुद्धिवादिता, विज्ञाननिष्ठा, मानवता, राष्ट्रवाद जैसे मूल्यों को आत्मसात किया । फलतः हमारे देश का शासन चलाने में हम सक्षम हैं तथा इन मूल्यों के आधार पर हमारे देश की उन्नति साध्य करनी चाहिए, यह भावना बलवती होने लगी । भाषाई विविधता से संपन्न ऐसे भारत को अंग्रेजी भाषा के कारण संपर्क का एक नया माध्यम मिला ।

भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन : कोलकाता में अंग्रेजों ने 'एशियाटिक सोसाईटी' की स्थापना की । कई भारतीय और पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ किया । संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध पांडुलिपियों की जाँच-पड़ताल कर उनपर शोधकार्य प्रकाशित किए । डॉ. भाऊ दाजी लाड, डॉ.रा.गो. भांडारकर जैसे कुछ भारतीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया । हमें प्राचीन और संपन्न विरासत प्राप्त है, इसका बोध होने से भारतीयों में अस्मिता जागृत हुई । पुणे में 'भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर' संस्था विगत सौ वर्षों से कार्यरत है ।

डॉ.भाऊ दाजी लाड

डॉ. रा.गो. भांडारकर

समाचारपत्रों का कारण: इसी समय अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगीं । इन समाचारपत्रों द्वारा राजनीतिक-सामाजिक जागृति होने लगी । दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा जैसे समाचारपत्रों द्वारा सरकारी नीतियों की आलोचना होने लगी ।

व्योमेशचंद्र बनर्जी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना : २८ दिसंबर १८८५ ई. को मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया । इस अधिवेशन में भारत के विभिन्न प्रांतों के ७२ प्रतिनिधि उपस्थित थे । कोलकाता के विख्यात वकील व्योमेशचंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे । इन सब ने मिलकर इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन नैशनल काँग्रेस) की स्थापना की । अंग्रेज अधिकारी एलन ओक्टेवियन ह्यूम भी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रसर थे । प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले, अंग्रेज सरकार सेना व्यय में कटौती करे जैसी माँगों का निवेदन सरकार को दिया गया ।

राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य : भारत के विभिन्न भागों के लोगों को धर्म, वंश, जाति, भाषा, भौगोलिक प्रदेश आदि का भेदभाव भुलाकर एक मंच पर लाना, एक-दूसरे की समस्याओं को समझ-बूझकर उनपर विचार-विमर्श करना, लोगों में एकता की भावना में वृद्धि लाना, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना आदि राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे ।

नरम दल का कालखंड (१८८५ ई. से १९०५ ई. तक) : राष्ट्रीय सभा की स्थापना के पश्चात प्रारंभ के दशक में उसका कार्य धीमी गति से परंतु निरंतरता के साथ चलता रहा । राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता यथार्थवादी और उच्च शिक्षित थे । उनका मानना था कि संगठन का निर्माण सुदृढ़ नींव पर होना चाहिए । उनपर पश्चिमी बुद्धिजीवियों के उदारमतवादी सिद्धांतों का तथा स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसे मूल्यों का प्रभाव था । उन्हें विधि अथवा कानून के मार्ग पर चलने में विश्वास था । वे आशा करते थे कि कानून अथवा विधि के मार्ग पर चलकर माँगें रखने से अंग्रेज हमारी माँगों के साथ न्याय करेंगे । गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नरम दल के नेता थे ।

प्रांतीय विधि मंडल में जनप्रतिनिधि हों; शिक्षित भारतीयों को नौकरियाँ मिलें, बढ़ते सैनिकी व्यय में कटौती हो, लोगों के कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके; इसके लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग-अलग किया जाए जैसे विभिन्न प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अधिवेशन में रखे ।

राष्ट्रीय आंदोलन में फूट डालने के लिए आगे चलकर अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' नीति का अवलंब किया ।

गरम दल का कालखंड (१९०५ ई.-१९२० ई.) : भारत के सभी नेता जो राजनीतिक दृष्टि से जागरूक थे; जाति, धर्म, भाषा और प्रांत को परे रखकर राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर इकट्ठे आ रहे थे । राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों और कानूनी ढंग से आंदोलन आगे ले जाने पर उनमें एकमत था । फिर भी इन नेताओं के बीच आंदोलन की कार्य पद्धति को लेकर मतभेद थे । ये मतभेद सैद्धांतिक स्वरूप के थे । राजनीतिक आंदोलन में उत्पन्न हुए इन मतभेदों के आधार पर दो प्रमुख राजनीतिक दल बन गए । शांतिपूर्वक और कानूनी मार्ग का अनुसरण करने वाले नेता नरम पंथी माने गए और स्वतंत्रता के लिए प्रखर संघर्ष करना चाहिए; यह मानने वाले गरम पंथी नेता कहलाए। लाला लजपतराय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिनचंद्र पाल गरम पंथी नेता माने जाते थे ।

लोकमान्य तिलक

प्रारंभिक समय में गरम पंथी नेताओं ने भारतीयों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए समाचारपत्रों,

राष्ट्रीय पर्वों और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे मार्गों का अवलंब किया । लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' और 'मराठा' समाचारपत्रों द्वारा सरकार की कटु आलोचना की । बंगाल प्रांत में 'अमृत बाजार पत्रिका' गरम पंथी विचारों का मुखपत्र थी । पारस्परिक मतभेद भुलाकर लोग इकट्ठे आएँ, उनके बीच विचारों का आदान-प्रदान हो तथा राष्ट्रपुरुषों के कार्यों द्वारा साधारण लोगों को प्रेरणा मिले; इस उद्देश्य को लेकर लोकमान्य तिलक ने शिवजयंती तथा गणेशोत्सव पर्वों का आयोजन कराया । उनका विचार था कि यदि राजनीतिक उद्देश्य को लेकर लोग इकट्ठे आएँ तो सरकार उनपर प्रतिबंध लगाएगी । परंतु धार्मिक उद्देश्य को लेकर लोग इकट्ठे आएँ तो सरकार उनपर प्रतिबंध लगा नहीं पाएगी । तिलक ने मंडाले के कारागृह में 'गीतारहस्य' ग्रंथ लिखा । इस ग्रंथ का सारतत्व कर्मयोग है और लोग भी कर्मशील बने रहें; इसपर उन्होंने बल दिया । अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम, आस्था रखने वाली पीढ़ी का निर्माण हो; इसलिए गरम पंथी नेताओं ने शिक्षा संस्थान स्थापित किए । गरम पंथी नेताओं का मानना था कि यदि लाखों-करोड़ों लोग स्वतंत्रता युद्ध में सम्मिलित होकर सरकार को चुनौती देते हैं और उनसे संघर्ष करते हैं, तभी सफलता मिलेगी । आंदोलन को अधिक प्रखर बनाना चाहिए; इसपर उन सभी का एक मत था । परंतु उन्होंने आग्रहपूर्वक प्रतिपादित किया कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह की भूमिका न लेते हुए व्यापक जनआंदोलन खड़ा करना चाहिए । नरम पंथी नेताओं ने आंदोलन की नींव रखी और गरम पंथी नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया ।

१८९७ ई. में पुणे में प्लेग की महामारी ने हाहाकार मचाया था । सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे । इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए रैंड नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी । प्लेग के रोगियों को खोज निकालने के लिए उसने तलाशी लेने का अभियान प्रारंभ किया गया । लोगों पर अन्याय-अत्याचार किए गए । इसका प्रतिशोध लेने के लिए चाफेकर भाइयों ने उसकी हत्या की । सरकार ने तिलक के साथ इस षडयंत्र का संबंध जोड़ने का जी-तोड़ प्रयास किया परंतु इसमें सफल न होने पर भी सरकार ने बदले की भावना से लोकमान्य तिलक को कारावास में किया ।

बंगाल का विभाजन : हिंदू-मुस्लिम समाज में फूट का बीज बोकर, 'फूट डालो और राज करो' नीति का अवलंब करना अंग्रेजों ने निश्चित किया । तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने आग में घी का काम लिया । बंगाल एक विशाल प्रांत था । इस प्रांत का शासन चलाना प्रशासनिक दृष्टि से कठिन होने का कारण बताकर लॉर्ड कर्जन ने १९०५ ई. में बंगाल के विभाजन की घोषणा की । इस विभाजन के अनुसार मुस्लिम बहुलसंख्यकों का पूर्व बंगाल और हिंदू बहुलसंख्यकों का पश्चिम बंगाल बनाया गया । विभाजन के कारण हिंदू-मुस्लिमों में फूट उत्पन्न कर स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल करना; इस नीति का यह छद्म उद्देश्य था ।

बंग भंग आंदोलन : केवल बंगाल में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में विभाजन के विरोध में जनमत जागृत हुआ । १६ अक्तूबर विभाजन का दिन था । इसे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया । संपूर्ण भारत में निषेध सभाओं द्वारा सरकार की निंदा और भर्त्सना की गई । सभी स्थानों पर 'वंदे मातरम्' गीत गाया जाने लगा । एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का उपक्रम आयोजित किया गया । सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों का बहिष्कार कर बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए । बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रवींद्रनाथ ठाकुर आदि ने किया । बंग भंग आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दायरा और फैल गया । अब यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया । असंतोष की प्रखरता देखकर १९११ ई. में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया ।

राष्ट्रीय कांग्रेस की चतुःसूत्री : १९०५ ई. में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष नामदार गोखले थे । उन्होंने बंग भंग आंदोलन को समर्थन दिया था । १९०६ ई. में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे । दादाभाई नौरोजी ने मंच से

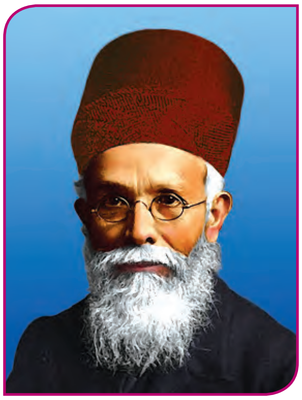
दादाभाई नौरोजी

'स्वराज्य' शब्द का पहली बार उच्चारण किया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में संदेश दिया कि एकजुट रहो, जी-जान से प्रयास करो और स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त करो, जिससे आज जो लाखों-करोड़ों भाई निर्धनता, भुखमरी और रोगों के शिकार हो रहे हैं; उन्हें बचाया जा सकता है और विकसित राष्ट्रों में भारत को जो सम्मान का स्थान प्राप्त था; वह पुनः प्राप्त होगा। इसी अधिवेशन में स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार की चतुःसूत्री को राष्ट्रीय कांग्रेस ने एकमत से स्वीकारा। स्वदेशी आंदोलन के कारण हम स्वयंपूर्ण और आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी के मार्ग पर चलने के लिए हमारे देश की पूँजी, संसाधन, मनुष्यश्रम और अन्य सभी साधनों को हमें एकत्रित करना होगा और इसी के द्वारा हम देश का कल्याण साध सकते हैं। विदेशी वस्तुओं और माल पर बहिष्कार डालना पहली सीढ़ी है, तो विदेशी शासन का बहिष्कार करना अगली सीढ़ी होगी। इन नेताओं का मानना था कि बहिष्कार के कारण ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ पर ही आघात किया जा सकता है।

क्या तुम जानते हो ?

गोपाल कृष्ण गोखले

नामदार गोपाल कृष्ण गोखले ने १९०५ ई. में 'भारत सेवक समाज' की स्थापना की। लोगों में देशभक्ति की भावना निर्माण कर स्वार्थत्याग की सीख देना, धर्मों एवं जातियों के बीच के विरोध को नष्ट करना और सामाजिक सौहार्द निर्माण करना, शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना आदि भारत सेवक समाज के मुख्य उद्देश्य थे।

गरम और नरम पंतथ्यों के बीच के मभेिं : १९०७ ई. में सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के इन दो पंथियों के बीच के वैचारिक मतभेद पराकाष्ठा तक पहुँच गए। नरम पंथियों का प्रयास था कि स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव को अलग रखा जाए जब कि गरम पंथियों का प्रयत्न यह था कि उनका यह प्रस्ताव सफल न होने पाए। नरम पंथी नेता ना.गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता ने गरम पंथी नेताओं पर आरोप लगाया कि गरम पंथी नेता राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने अधिकार और नियंत्रण में कर लेना चाहते हैं। लाला लजपतराय ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया। तिलक का मत था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय मंच है और उसमें फूट पैदा नहीं होनी चाहिए। अधिवेशन के समय तनाव बहुत बढ़ गया और समझौता होना असंभव हो गया। अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई।

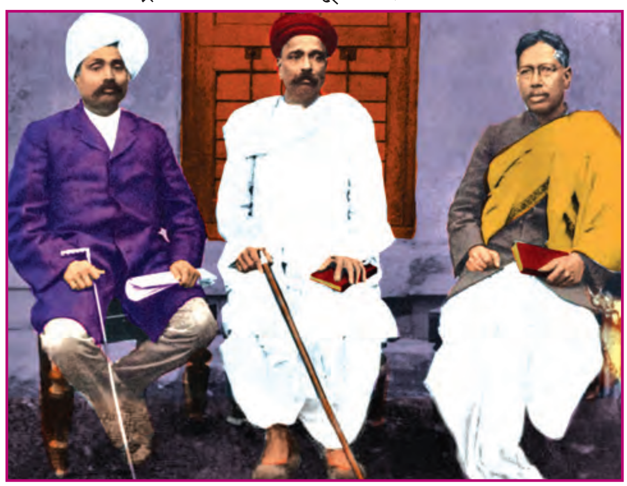
लाल-बाल-पाल

अंग्रेर सरकार का मिर्नात्र: बंग भंग के पश्चात प्रारंभ हुआ प्रभावी जनआंदोलन देखकर सरकार व्यग्र और बेचैन हो उठी। इस आंदोलन की रोक-थाम करने के लिए सरकार ने दमनतंत्र का अवलंब किया। सार्वजनिक सभाओं पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। इस कानून की अवज्ञा करने पर कठोर दंड दिए गए। विद्यालय जाने वाले छात्रों को हंटर से पीटा गया। समाचारपत्रों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। सरकार की आलोचना करने के आरोप में अनेक छापाखाने जब्त किए गए। लेखकों और संपादकों को कारावास में बंद किया गया। सरकार ने गरम पंथी नेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की। बंगाल में

इसकी तीखी प्रतिक्रिया दिखाई दी । क्रांतिकारियों ने गोलीबारी तथा बम हमलों का मार्ग अपनाया । इन बम हमलों का केसरी समाचार पत्र के माध्यम से समर्थन करने वाले लोकमान्य तिलक पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर उन्हें छह वर्षों के लिए म्याँमार के मंडाले के बंदीगृह में भेजा गया । बिपिनचंद्र पाल को कारावास का दंड दिया गया और लाला लजपतराय को पंजाब से निष्कासित किया गया ।

मुस्लिम लीग की स्थापना : बंग भंग आंदोलन में राष्ट्रीय कांग्रेस को जनता का प्रचंड समर्थन मिला था । यह देखकर अंग्रेज सत्ताधीश अशांत और परेशान हो गए । अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' नीति का पुनः अवलंब किया । अंग्रेजों ने यह कहना प्रारंभ किया कि मुस्लिमों के हितों की रक्षा करने हेतु उनका स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होना आवश्यक है । अंग्रेज सरकार के प्रोत्साहित किए जाने से मुस्लिम समाज के उच्चवर्णियों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खाँ के नेतृत्व में गवर्नर लॉर्ड मिंटो से मिला । लॉर्ड मिंटो और अन्य अंग्रेज अधिकारियों के प्रेरित किए जाने से १९०६ ई. में 'मुस्लिम लीग' की स्थापना हुई ।

मोर्ले-मिंटो कानून : भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के कामों को लेकर असंतोष था । जनता में यह भावना व्याप्त थी कि भारतीय जनता की निर्धनता का मुख्य कारण अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ हैं । कर्जन की दमन नीति, पढ़े-लिखे भारतीयों को नौकरियों में समाविष्ट न कराना, भारत के बाहर अफ्रीका में भारतीयों के साथ किया जाने वाला अपमान और अन्यायपूर्ण व्यवहार आदि बातों से भी असंतोष में वृद्धि हुई । भारतीयों के इस असंतोष की अस्थायी मरहम पट्टी करने के लिए मोर्ले-मिंटो सुधार कानून १९०९ ई. में बनाया गया । इस कानून द्वारा विधि पालिका में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और कुछ निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों का समावेश विधि पालिका में कराने का प्रावधान भी किया गया । इसी कानून के अनुसार मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की योजना की गई । अंग्रेजों की इस कुटिल नीति के कारण भारत में अलगाववादी प्रवृत्ति के बीज बोये गए ।

लखनऊ समझौता : १९१६ ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ । इस अधिवेशन में तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस में उत्पन्न हुए मतभेद को समाप्त करने के प्रयास हुए । इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ । इसे 'लखनऊ समझौता' कहते हैं । इस समझौते के अनुसार मुस्लिमों के स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों को राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान्यता प्रदान की और भारत को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करा देने के कार्य में राष्ट्रीय कांग्रेस को सहयोग देना मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया ।

होमरूल आंदोलन : १९१४ ई. में तिलक मंडाले के कारावास से रिहा हुए । इस समय यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था । इस युद्ध के सीधे परिणाम भारत को भी सहने पड़े । आवश्यकता की वस्तुओं के दाम बढ़ गए । अंग्रेज सरकार ने भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगाए । परिणामतः भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा । इस स्थिति में डॉ.एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक ने होमरूल आंदोलन प्रारंभ किया । होमरूल अर्थात हम अपना शासन स्वयं चलाते हैं । इसी को स्वशासन भी कहते हैं । आयरलैंड में भी उपनिवेशवाद के विरोध में ऐसा आंदोलन प्रारंभ हुआ था । इसी आधार पर भारतीय होमरूल आंदोलन ने स्वशासन के अधिकार अंग्रेज सरकार के पास माँगे । डॉ.एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में तूफानी दौरे किए और लोगों तक स्वशासन की माँग पहुँचाई । तिलक ने दृढ़तापूर्वक कहा, 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर ही रहूँगा ।'

डॉ.एनी बेजेंट

प्रथम विश्वयुद्ध और भारत : यूरोप में युद्धजन्य स्थिति, भारतीय जनता में बढ़ता जा रहा

असंतोष, होमरूल आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता जैसी परिस्थिति में भारतीयों से सहयोग पाना अंग्रेजों के लिए आवश्यक था । इसलिए सुधार की अगली किश्त भारतीयों को देने से तात्पर्य भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देने चाहिए; यह अंग्रेज सरकार ने सोचा । तब तत्कालीन भारतमंत्री मांटेग्यू ने १९१७ ई. में घोषणा की कि भारत को चरणबद्ध रूप में स्वशासन के अधिकार और उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाएगी । तिलक ने भी घोषित किया कि यदि सरकार भारतीयों की माँगों के बारे में सहानुभूति और विवेकशीलता से काम लेगी तो भारतीय जनता भी सरकार को सहयोग देगी । लोकमान्य तिलक की इस नीति को 'प्रतियोगी सहकारिता' कहते हैं ।

माँटेग्यू–चेम्सफोड्क्कानून : १९१९ ई. में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में संवैधानिक सुधार लाने हेतु एक कानून पारित किया । इसको माँटेग्यू–चेम्सफोर्ड कानून अथवा रिपोर्ट कहते हैं । इस कानून के अनुसार गौण अथवा दोयम दर्जे के खाते भारतीय मंत्रियों को दिए गए परंतु वित्त, राजस्व, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग गवर्नर के अधिकार में थे । १९१९ ई. के कानून के अनुसार भारतीयों द्वारा की गई 'उत्तरदायी सरकार' की माँग को पर्याप्त मात्रा में पूर्ण नहीं किया गया था । इस कानून ने सभी को निराश किया । इस कानून की लोकमान्य तिलक ने यह कहकर आलोचना की, "यह स्वराज्य नहीं है और ना ही उसकी नींव ।" सभी भारतीय इस बात को समझ चुके थे कि यदि सरकार को झुकाना है तो आंदोलन को अधिक प्रखर बनाने की आवश्यकता है । भारत नये आंदोलन के लिए सिद्ध हुआ ।

स्वाध्याय

१. (अ) तिए गए तक्कलपें में से उतचर्ि तक्कलप चतुकर कथन पतु: तलर्ाि ।

(१) भारत सेवक समाज की स्थापना .... ने की ।
- (अ) गणेश वासुदेव जोशी
- (ब) भाऊ दाजी लाड
- (क) म.गो.रानडे
- (ड) गोपाल कृष्ण गोखले

(२) राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन .... में आयोजित किया गया ।
- (अ) पुणे (ब) मुंबई
- (क) कोलकाता (ड) लखनऊ

(३) 'गीतारहस्य' ग्रंथ .... ने लिखा ।
- (अ) लोकमान्य तिलक (ब) दादाभाई नौरोजी
- (क) लाला लजपतराय (ड) बिपिनचंद्र पाल

(ब) नाम तलर्ाि ।

(१) नरम पंथी नेता ....

(२) गरम पंथी नेता ....

२. तन्म कथनों को कारणसतहर्ि स्मष्ट करो ।

(१) स्वतंत्रता युद्ध में भारतीयों की अस्मिता जागृत हुई ।

(२) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो गुट बन गए ।

(३) लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय किया ।

३. तथ्मणी तलर्ाि ।

(१) राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य

(२) बंग भंग आंदोलन

(३) राष्ट्रीय कांग्रेस की चतुःसूत्री

४. भारर्ीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूतम को तन्म मतु ों के आधार पर स्मष्ट करो ।

- प्रशासनिक केंद्रीकरण
- आर्थिक शोषण
- पश्चिमी शिक्षा
- भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन
- समाचारपत्रों का कार्य

उपक्रम

राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक समय के नेताओं के विषय में अधिक जानकारी अंतरजाल की सहायता से प्राप्त करो ।

9AUQRK

७. असहयोग आंदोलन

१९२० ई. से १९४७ ई. तक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड 'गांधी युग' के नाम से जाना जाता है । १९२० ई. में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आई । गांधीजी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सूत्रों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता युद्ध को नई दिशा दी । गांधीजी के प्रभावी नेतृत्व के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक व्यापक हुआ । भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नया युग प्रारंभ हुआ ।

गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका में कार्य महात्मा गांधी १८९३ ई. में वकालत के काम से दक्षिण अफ्रीका गए थे । दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड का उपनिवेश था । वहाँ अनेक भारतीय उद्योग, व्यापार और काम-धंधों के लिए स्थायी रूप में बस गए थे । वहाँ के हिंदी (भारतीय) लोगों के साथ अपराधी की भाँति व्यवहार किया जाता था । उनका हर स्थान पर अपमान किया जाता था । १९०६ ई. में शासन ने एक आदेश निकाल कर अश्वेत वर्णियों को अपना पहचानपत्र अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया । उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए । गांधीजी ने सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर इस अन्याय के विरुद्ध वहाँ के लोगों को न्याय प्राप्त करा दिया ।

महात्मा गांधी

गांधीजी का भारत में आगमन : ९ जनवरी १९१५ ई. को गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए । नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया । सामान्य लोगों के दुख और दरिद्रता को देखकर उन्होंने राष्ट्रसेवा का व्रत लिया । वे अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे आश्रम में रहने लगे । सामान्य लोगों को न्याय प्राप्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह की अभिनव तकनीक का अवलंब किया ।

सत्याग्रह की दिशा : गांधीजी ने सत्याग्रह की नवीन तकनीक को जनआंदोलन के साथ जोड़ दिया । सत्याग्रह का अर्थ सत्य और न्याय के प्रति आग्रही बनना है । अन्याय करनेवाले व्यक्ति को संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य और न्याय का बोध कराना तथा उस व्यक्ति का मन परिवर्तित करना सत्याग्रह का उद्देश्य है । सत्याग्रही व्यक्ति को हिंसा अथवा असत्य का उपयोग नहीं करना चाहिए; यह गांधीजी की सीख थी ।

कालांतर में केवल भारत में ही नहीं अपितु अनेक देशों की जनता ने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सत्याग्रह मार्ग का अंगीकार किया । अमेरिका के अश्वेत वर्णियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला पर गांधीजी के सत्याग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा ।

चंपारण सत्याग्रह : बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिक भारतीय किसानों पर नील की फसल उगाने पर जबर्दस्ती करते थे । यह नील निर्धारित दामों पर ही बागान मालिकों को बेचने की सख्ती की जाती थी । परिणामतः किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी । गांधीजी १९१७ ई. में चंपारण गए । वहाँ उन्होंने किसानों को संगठित कर सत्याग्रह पद्धति से आंदोलन किया । गांधीजी द्वारा भारत में किया गया यह आंदोलन सफल रहा । किसानों के साथ न्याय हुआ ।

खेड़ा सत्याग्रह : गुजरात के खेड़ा जिले में लगातार अकाल पड़ने से फसलों की अत्यंत दुर्गति हो गई थी । फिर भी सरकार द्वारा बलात लगान वसूल किया जा रहा था । गांधीजी ने किसानों को लगान अदा न करने की सलाह दी । तब स्थानीय

किसानों ने १९१८ ई. में खेड़ा जिले में लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ किया । गांधीजी ने आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया । अल्पावधि में ही सरकार ने लगान माफ किया ।

अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन : प्रथम विश्वयुद्‌ध के समय महँगाई बहुत बढ़ गई थी । मिल श्रमिकों ने वेतन वृद्‌धि माँगी परंतु मिल मालिकों ने इस माँग को ठुकरा दिया । गांधीजी की सलाह पर श्रमिकों ने हड़ताल और अनशन किया। गांधीजी भी श्रमिकों के साथ अनशन पर बैठे । अंत में मिल मालिक पीछे हटे और श्रमिकों के वेतन में वृद्‌धि की ।

रौलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह : प्रथम विश्वयुद्‌ध में भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया । युद्‌ध समाप्त होने के बाद भारतीयों के हितों के निर्णय लिए जाएँगे; उत्तरदायी सरकार लाई जाएगी, ऐसा भारतीयों को लग रहा था । वस्तुओं के बढ़ते दाम, करों में हुई वृद्‌धि आदि आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्‌ध असंतोष बढ़ता जा रहा था ।

अंग्रेज सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिए और उस विषय में उपाय सुझाने के लिए सर सिडनी रौलट नामक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की । इस समिति की सिफारिशों के अनुसार १७ मार्च १९१९ ई. को केंद्रीय विधान मंडल में भारतीय सदस्यों द्‌वारा किए गए विरोध को न मानते हुए नया कानून बनाया । उसे 'रौलट एक्ट' कहते हैं । इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना जाँच-पड़ताल किए बंदी बनाने का, न्यायालय में मुकदमा दायर न करते हुए कारावास में बंदी बनाकर रखने का अधिकार सरकार को दिया गया था । भारतीयों ने इस कानून को 'काला कानून' कहकर संबोधित किया । इस कानून के विरुद्‌ध पूरे देश में क्रोध की लहर फैल गई । गांधीजी ने इस कानून के विरुद्‌ध सत्याग्रह की घोषणा की । ६ अप्रैल १९१९ ई. को रौलट कानून को विरोध दर्शाने के लिए देशव्यापी हड़ताल करने का आवाहन किया गया ।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड : रौलट कानून के विरुद्‌ध आंदोलन की घोषणा की गई थी । इस आंदोलन ने पंजाब प्रांत में प्रखर स्वरूप धारण किया । अमृतसर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना । सरकार ने दमन तंत्र प्रारंभ किया । गांधीजी को पंजाब प्रांत में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित किया गया । जनरल डायर ने अमृतसर में सभाएँ लेने पर प्रतिबंधित आदेश लागू किया । अमृतसर में की गई हड़ताल को लेकर डॉ.सत्यपाल और सैफुद्‌दीन किचलू जैसे प्रमुख नेताओं को बंदी बनाया गया ।

इस घटना की निंदा करने हेतु १३ अप्रैल १९१९ ई. को अमृतसर की जलियाँवाला बाग में बैसाखी त्योहार के दिन सभा का आयोजन किया गया । इस समय जनरल डायर सेना की गाड़ियाँ लिये वहाँ आया । जलियाँवाला बाग के मैदान से बाहर जाने का एक ही सँकरा मार्ग था । उस मार्ग को बंद किया गया और बाग में इकट्‌ठे हुए निःशस्त्र और निरीह लोगों पर बिना कोई सूचना दिए अंधाधुँध गोलियाँ चलाई गईं । बंदूकों के १६०० चक्र चलाने के बाद गोलियाँ समाप्त होने के कारण गोलीबारी बंद हुई । इस नृशंस नरसंहार में चार सौ स्त्री-पुरुष मारे गए । अनगिनत लोग हताहत हुए । गोलीबारी के तुरंत बाद निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) घोषित की जाने से घायलों पर तुरंत उपचार नहीं हो सका । संपूर्ण पंजाब में सैनिकी कानून लागू कर सरकार ने अनगिनत लोगों को जेल में बंद किया गया ।

इस नरसंहार के लिए पंजाब का गवर्नर माइकेल ओडायर उत्तरदायी था । पूरे देश में इस कानून की निंदा और भर्त्सना की गई । हत्याकांड के निषेध के रूप में रवींद्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेज सरकार द्‌वारा दिए गए 'सर' खिताब (उपाधि) का त्याग किया । आगे चलकर भारतीयों ने इस नृशंस हत्याकांड की जाँच की माँग की ।

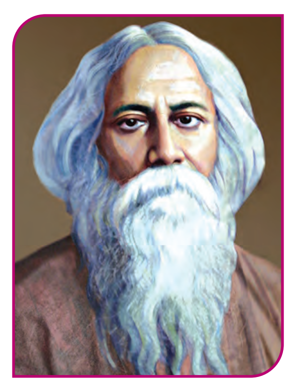
रवींद्रनाथ ठाकुर

खिलाफत आंदोलन : तुर्किस्तान का सुलतान विश्व के मुस्लिमों का खलीफा अर्थात धर्मप्रमुख था । प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की इंग्लैंड के विरोधी गुट में था । युद्ध में भारतीय मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए युद्ध समाप्त होने के बाद खलीफा के साम्राज्य को क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी, यह आश्वासन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दिया था परंतु युद्ध समाप्त होने पर इंग्लैंड ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया । परिणामस्वरूप मुस्लिमों में आक्रोश की लहर व्याप्त हुई । खलीफा को समर्थन देने के लिए भारतीय मुस्लिमों ने आंदोलन प्रारंभ किया । इस आंदोलन को 'खिलाफत आंदोलन' कहते हैं । गांधीजी ने सोचा कि इस मुद्दे को लेकर यदि हिंदू-मुस्लिम एकता पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया जाए तो सरकार निश्चित रूप से सही रास्ते पर आएगी । फलतः गांधीजी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया । सरकार के साथ असहयोग करने के गांधीजी के प्रस्ताव को खिलाफत कमेटी ने मान्य किया । इस समय हिंदू-मुस्लिम एकता के विशेष रूप से दर्शन हुए ।

असहयोग आंदोलन : असहयोग आंदोलन के पीछे गांधीजी की यह धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग पर निर्भर करता है । यदि भारतीय अंग्रेजी शासन के साथ संपूर्ण असहयोग कर दें तो उनका शासन धराशायी हो जाएगा । इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने जनता को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने का आवाहन किया ।

१९२० ई. में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ । इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव को सभी ने स्वीकृति प्रदान की । असहयोग आंदोलन की समस्त बागडोर गांधीजी को सौंपी गई । इस प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों का बहिष्कार करने का निश्चय किया गया ।

असहयोग आंदोलन की व्याप्ति : असहयोग आंदोलन की योजना के अनुसार पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि विख्यात वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया । इसी अवधि में विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया । अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । होने वाले चुनावों का भी बहिष्कार किया गया । विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों को जलाया गया, विदेशी वस्त्रों को बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिए गए । फलतः विदेशी वस्त्रों का आयात कम हो गया ।

१९२१ ई. में मुंबई में आए हुए 'प्रिंस ऑफ वेल्स' का स्वागत हड़ताल के साथ किया गया । निर्जन सड़कों और बंद दुकानों ने राजपुत्र का स्वागत किया । यह आंदोलन असम के चाय बागानों से लेकर बंगाल के रेल कर्मचारियों तक फैल गया । असहयोग आंदोलन पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने दमननीति का प्रारंभ किया ।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरीचौरा में फरवरी १९२२ ई. में प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था । इस जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई । परिणामस्वरूप क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी । इसमें एक पुलिस अधिकारी के साथ-साथ २२ पुलिसकर्मी मारे गए । इस घटना से गांधीजी व्यथित हुए । गांधीजी ने १२ फरवरी १९२२ ई. को असहयोग आंदोलन स्थगित किया ।

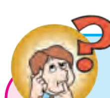

क्या तुम जानते हो ?

मुलशी सत्याग्रह : असहयोग आंदोलन की अवधि में पुणे जिले की मुलशी तहसील में किसानों ने सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया । इस सत्याग्रह का नेतृत्व सेनापति पांडुरंग महादेव बापट ने किया । इसके लिए उन्हें सात वर्ष की सजा दी गई ।

मार्च १९२२ ई. में गांधीजी को बंदी बनाया गया । उनपर 'यंग इंडिया' में तीन राष्ट्रद्रोही लेख लिखने का अभियोग रखकर राजद्रोह का मुकदमा

चलाया गया । अहमदाबाद में विशेष न्यायालय की स्थापना की गई । गांधीजी को छह वर्ष का दंड सुनाया गया ।

कालांतर में स्वास्थ्य की शिकायत को लेकर गांधीजी को कारावास से रिहा किया गया । गांधीजी ने असहयोग आंदोलन के साथ-साथ रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाया । इसमें प्रमुखतः स्वदेशी का प्रसार, हिंदू-मुस्लिम एकता, शराबबंदी, अस्पृश्यता का निर्मूलन, खादी का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसी बातों का समावेश था । इस रचनात्मक कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन अधिक व्यापक हुआ ।

स्वराज्य पार्टी: राष्ट्रीय कांग्रेस के चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने सरकार को घेरने के लिए विधान मंडल में प्रवेश पाने का विचार रखा । १९२२ ई. में राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की ।

१९२३ ई. में हुए चुनावों में केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में स्वराज्य पार्टी के अनेक प्रत्याशी चुनकर आए । उनमें मुख्यतः मोतीलाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय, लाला लजपतराय, न.चिं.केलकर का समावेश था । जब देश में राजनीतिक आंदोलन ठंडा पड़ गया था तब स्वराज पार्टी ने विधान परिषदों (मंडल) में संघर्ष किया । उन्होंने विधान परिषदों में सरकार की अन्यायकारी नीतियों का प्रखर विरोध किया । भारत में आगामी समय में उत्तरदायी सरकार पद्धति देने की माँग की । भारतीयों की समस्याओं को हल करने के लिए गोलमेज परिषद बुलाई जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा करें; इसके लिए विधान परिषद (मंडल) में प्रस्ताव सम्मत करवा लिये । सरकार ने स्वराज्य पार्टी के अधिकांश प्रस्ताव निरस्त कर दिए ।

साइमन कमीशन : १९१९ ई. में माँटेग्यू-चेम्सफर्ड कानून द्वारा किए गए सुधार असंतोषजनक थे । अतः भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त था । इस पृष्ठभूमि में अंग्रेज सरकार ने १९२७ ई. में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त

साइमन वापस जाओ

किया । इस कमीशन में सात सदस्य थे परंतु इन सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था । परिणामस्वरूप भारत के राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय किया ।

१९२८ ई. में साइमन कमीशन भारत में आया । यह कमीशन जहाँ-जहाँ गया; वहाँ-वहाँ उनके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए । 'साइमन गो बैक', 'साइमन वापस जाओ' के नारों से प्रखर विरोध दर्शाया गया । प्रदर्शनकारियों पर लाठियाँ चलाई गईं । लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लजपतराय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया । इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई । उद्दंड पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला जी की छाती पर लाठी से प्रहार किए । इस हमले के बाद हुई निंदा-भर्त्सना सभा में लाला जी ने कहा, ''लाठी की प्रत्येक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक-एक कील ठोंकी जा रही है ।'' कालांतर में कुछ ही दिनों में लाला जी का निधन हुआ ।

लाला लजपतराय

नेहरू प्रतिवेदन (रिपोर्ट) : भारत के सभी नेता मिलकर सर्व सहमति से संविधान बना नहीं सकते, इस प्रकार की आलोचना भारतमंत्री बर्कन हेड ने की । इस चुनौती को स्वीकार कर सर्वदलीय समिति स्थापित की गई । इस समिति के अध्यक्ष पं.मोतीलाल नेहरू थे ।

भारत में स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार स्थापित करें, वयस्क मतदान पद्धति लागू करें, भारतीयों को नागरिकों के मौलिक अधिकार दें, भाषावार प्रांत रचना करें जैसे प्रस्ताव इस प्रतिवेदन में थे । इस प्रतिवेदन को 'नेहरू प्रतिवेदन' कहते हैं ।

१९२९ ई. के अंत तक सरकार ने नेहरू प्रतिवेदन को नहीं स्वीकारा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी गई । इस पृष्ठभूमि में १९२९ ई. के दिसंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन हुआ और वह ऐतिहासिक सिद्ध हुआ ।

पूर्ण स्वाधीनता की माँग : स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार यह अब तक राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था जो अनेक युवा कार्यकर्ताओं को मान्य नहीं था । पं.जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस पूर्ण स्वाधीनता की माँग करने वाले युवाओं के नेता थे । इस युवा वर्ग के प्रभावस्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया । इस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय सभा ने स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार का उद्दिष्ट त्याग दिया । इसके बाद भारत की संपूर्ण स्वाधीनता ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनी ।

पं. जवाहरलाल नेहरू

३१ दिसंबर १९२९ ई. को रावी नदी के तट पर पं.जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लहराया और निश्चय किया गया कि २६ जनवरी यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा ।

अंग्रेजी सत्ता से भारत को मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता युद्ध को अहिंसक मार्ग से चलाने की प्रतिज्ञा २६ जनवरी १९३० ई. को पूरे देश में ली गई । परिणामतः पूरे देश में चेतना का वातावरण उत्पन्न हुआ ।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो ।

(१) गांधीजी ने अपने कार्य का प्रारंभ .... से किया ।
(अ) भारत (ब) इंग्लैंड
(क) दक्षिण अफ्रीका (ड) म्याँमार

(२) किसानों ने .... जिले में लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ किया ।
(अ) गोरखपुर (ब) खेड़ा
(क) सोलापुर (ड) अमरावती

(३) जलियाँवाला बाग हत्याकांड के निषेध के रूप में रवींद्रनाथ ठाकुर ने सरकार द्‌वारा दिए गए .... खिताब (उपाधि) का त्याग किया ।
(अ) लॉर्ड (ब) सर
(क) रावबहादुर (ड) रावसाहेब

२. निम्न प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखो ।

(१) दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत वर्णियों पर १९०६ ई. के आदेश के अनुसार कौन-से प्रतिबंध लगाए गए ?
(२) गांधीजी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया ?
(३) जलियाँवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किस अधिकारी ने दिया था ?

३. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखो ।

(१) सत्याग्रह का दर्शन स्पष्ट करो ।
(२) स्वराज्य पार्टी की स्थापना क्यों की गई ?

४. निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो ।

(१) भारतीय जनता ने रौलट एक्ट का विरोध किया ।
(२) गांधीजी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया ।
(३) भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया ।
(४) भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया ।

उपक्रम

२६ जनवरी १९३० ई. को स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली गई थी । वह प्रतिज्ञा प्राप्त करो और कक्षा में उसका वाचन करो ।

9B4LT8

८. सविनय अवज्ञा आंदोलन

लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदालन प्रारंभ करने का निर्णय लिया । यह आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधीजी ने अंग्रेज सरकार के सम्मुख कई माँगें रखी थीं । उनमें एक प्रमुख माँग यह थी कि नमक पर लगा हुआ कर रद्द करें और नमक बनाने का सरकारी एकाधिकार समाप्त करें । परंतु सरकार ने गांधीजी की माँगें ठुकराईं । अतः गांधीजी ने नमक का कानून तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय किया ।

दांडी यात्रा

नमक आम आदमी के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है । अतः नमक जैसी जीवनावश्यक वस्तु पर कर लादना अन्यायकारी था । इसलिए गांधीजी ने नमक का सत्याग्रह किया । नमक का सत्याग्रह प्रतीकात्मक था । इसके पीछे अंग्रेज सरकार के अन्यायकारी और अत्याचारी कानून को शांति और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर भंग करना; यह व्यापक उद्‌देश्य था ।

नमक का सत्याग्रह करने के लिए गांधीजी ने गुजरात के किनारे दांडी नामक स्थान को चुना । १२ मार्च १९३० ई. को गांधीजी ७८ स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल पड़े । लगभग ३८५ किमी की पदयात्रा में उन्होंने गाँव-गाँव में भाषण किए । अपने भाषणों में उन्होंने जनता को निर्भीक होकर अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होने का आवाहन किया । गांधीजी के भाषणों के फलस्वरूप अवज्ञा भंग का संदेश सभी ओर फैल गया । ५ अप्रैल १९३० ई. को गांधीजी दांडी पहुँचे । ६ अप्रैल को गांधीजी ने दांडी के समुद्र किनारे का नमक उठाकर कानून का भंग किया और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ ।

पेशावर का सत्याग्रह : पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ गांधीजी के निष्ठावान अनुयायी थे । वे 'सरहद गांधी' के रूप में भी जाने जाते थे । उन्होंने 'खुदा-ए-खिदमतगार' नामक संगठन की स्थापना की थी । २३ अप्रैल १९३० ई. को उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ किया । पेशावर शहर लगभग एक सप्ताह तक सत्याग्रहियों के नियंत्रण में था । सरकार ने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया । परंतु गढ़वाल पलटन के अधिकारी चंद्रसिंह ठाकुर ने गोली चलाने से इनकार किया । अतः उन्हें सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया ।

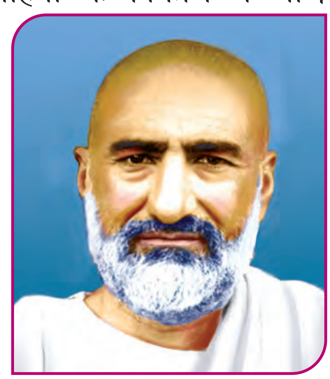

खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ

महात्मा गांधी द्‌वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार के सम्मुख संकट उपस्थित हुआ । ४ मई १९३० ई. को गांधीजी को बंदी बनाया गया । पूरे देश में दमननीति का अवलंब किया गया । गांधीजी को बंदी बनाए जाने की संपूर्ण देश में निंदा और भर्त्सना की गई ।

सोलापुर का सत्याग्रह : सोलापुर में हुए सत्याग्रह में मिल श्रमिक अग्रसर थे । ६ मई १९३० ई. को सोलापुर में हड़ताल का आयोजन किया गया । इस अवसर पर सोलापुर में विशाल जुलूस

निकाला गया । तत्कालीन कलेक्टर ने जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में शंकर शिवदारे के साथ कई स्वयंसेवकों की मृत्यु हुई । परिणामस्वरूप जनता ने पुलिस थानों, रेल स्टेशन, न्यायालयों, म्यूनिसिपल इमारतों आदि पर धावा बोला। सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात सैनिकी कानून लागू किया । आंदोलन को दबाया गया । इस आंदोलन में मल्लाप्पा धनशेट्टी, श्रीकृष्ण सारडा, कुरबान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे अग्रसर थे । उन्हें फाँसी दी गई।

मल्लाप्पा धनशेट्टी

श्रीकृष्ण सारडा

कुरबान हुसैन

जगन्नाथ शिंदे

धरसाणा सत्याग्रह : गुजरात के धरसाणा में सरोजिनी नायडू ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नमक कानून तोड़ने के लिए निकले हुए सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठी चलाई। सत्याग्रही भी बड़ी शांति से लाठियों के प्रहार सह रहे थे। घायल हुए सत्याग्रहियों की टुकड़ी को मरहम-पट्टी करने ले जाने के पश्चात सत्याग्रह करने (नमक कानून तोड़ने) के लिए दूसरी टुकड़ी आगे बढ़ती । यह क्रम निरंतर चल रहा था । महाराष्ट्र में वड़ाला, मालवण, शिरोड़ा स्थानों पर सत्याग्रह किया गया ।

सरोजिनी नायडू

जहाँ नमकसार नहीं थे; वहाँ लोगों ने जंगल से संबंधित कानून तोड़ना प्रारंभ किया । महाराष्ट्र में बिलाशी, संगमनेर, कलवण, चिरनेर, पुसद आदि स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए । आदिवासियों ने बड़ी संख्या में जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया ।

बाबू गेनू का बलिदान : मुंबई में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था । विदेशी वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों को आंदोलनकारी रोक रहे थे । मुंबई की मिल में काम करने वाले बाबू गेनू सैद इस आंदोलन में अग्रसर थे। एक ट्रक विदेशी वस्तुओं को पुलिस बंदोबस्त में ले जा रहा था। बाबू गेनू उस ट्रक के आगे आ गए और ट्रक को रोकने के लिए वे सड़क पर लेट गए। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी । फिर भी वे

बाबू गेनू

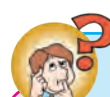
क्या तुम जानते हो ?

अवज्ञा आंदोलन (कानून तोड़ना) की विशेषताएँ :

- अब तक के आंदोलन शहरों तक सीमित थे परंतु यह आंदोलन देशव्यापी बना । गाँव-देहातों में जनता ने अपना सहभाग दर्ज किया ।
- इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा सहभाग रहा । कस्तूरबा गांधी, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, अवंतिकाबाई गोखले, लीलावती मुंशी, हंसाबेन मेहता ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया ।
- यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक पद्धति से चलाया गया । अंग्रेज सरकार ने जबर्दस्त दमनतंत्र का अवलंब किया । फिर भी जनता ने निःशस्त्र रूप में प्रतिकार किया । फलतः भारतीय जनता निर्भय बनी ।

अपने स्थान से हिले नहीं । अंत में ट्रक उनके शरीर को कुचलकर आगे बढ़ गया । इस घटना में बाबू गेनू ने अपना बलिदान दिया । बाबू गेनू का बलिदान राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणादायी रहा।

गोलमेज परिषद : जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैम्से मैक्डोनोल्ड ने यह विचार रखा कि भारत से जुड़े संवैधानिक समस्याओं का विचार किया जाना चाहिए; इसके लिए उन्होंने लंदन में एक परिषद का आयोजन किया । इस परिषद को गोलमेज परिषद कहा जाता है । १९३० ई. से १९३२ ई. के बीच तीन गोलमेज परिषदों का आयोजन किया गया ।

प्रथम गोलमेज परिषद : रैम्से मैक्डोनोल्ड प्रथम गोलमेज परिषद के अध्यक्ष थे । इस परिषद में भारत तथा इंग्लैंड के विविध प्रतिनिधि उपस्थित थे । उनमें डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जिन्ना आदि का समावेश था । इस परिषद में केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन पद्धति, भारत में संघराज्य की स्थापना जैसे विविध विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इस परिषद में विविध राष्ट्रीय दलों और रियासतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे परंतु इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था । राष्ट्रीय कांग्रेस देश की प्रातिनिधिक संस्था थी । उसके सहभाग के बिना गोलमेज परिषद में हुई चर्चा विफल रही ।

गांधी-इरविन समझौता : गोलमेज परिषद के दूसरे चरण की चर्चा में राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित होगी; यह आशा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने व्यक्त की । प्रधानमंत्री के आवाहन को ध्यान में रखकर वायसराय ने गांधीजी और अन्य नेताओं को कारावास से रिहा किया । राष्ट्रीय कांग्रेस मुक्त रूप से चर्चा कर सके; इसके लिए अनुकूल वातावरण निर्माण किया गया । महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ । इसी को गांधी-इरविन समझौता कहते हैं । इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रस्तावित संविधान में जिस शासन पद्धति को स्वीकार किया; उसे मान्य करने का आश्वासन दिया । परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया और द्वितीय गोलमेज परिषद की चर्चा में सहभागी होना स्वीकार किया ।

द्वितीय गोलमेज परिषद : १९३१ ई. में द्वितीय गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया । इस परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी उपस्थित थे । राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ-साथ भारत को विभिन्न जातियों-जनजातियों, दलों तथा रियासतदारों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था । गोलमेज परिषद में सरकार ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उपस्थित किया । इस मुद्दे को लेकर और भावी संघराज्य के संविधान के स्वरूप को लेकर मतभेद निर्माण हुए । गांधीजी ने सभी में एकमत निर्माण करने का प्रयास किया परंतु वे विफल रहे । अंततः निराश होकर गांधीजी भारत लौट आए ।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

पुणे समझौता : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने गोलमेज परिषदों में दलितों का प्रतिनिधित्व किया था । उनमें उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की माँग की थी । द्वितीय गोलमेज परिषद के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्से मैक्डोनोल्ड ने जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की । तद्नुसार हिंदू समाज का विभाजन होना निश्चित था और ऐसा विभाजन गांधीजी को मान्य नहीं था । अतः उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध येरवडा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया । राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर से उनके द्वारा की गई माँग पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की । राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया । १९३२ ई. में महात्मा गांधी और डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर के बीच पुणे में

समझौता हुआ । यह समझौता 'पुणे समझौता' के रूप में प्रसिद्ध है । इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर आरक्षित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया ।

तीसरी गोलमेज परिषद : नवंबर १९३२ ई. में इंग्लैंड में तीसरी गोलमेज परिषद बुलाई गई । परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परिषद का बहिष्कार किया । परिणामस्वरूप यह परिषद विफल रही ।

सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण : द्वितीय गोलमेज परिषद से गांधीजी उद्विग्न मन से भारत लौटे । उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया । सरकार ने गांधीजी को तुरंत बंदी बना लिया । परिणामतः जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ ।

सरकार ने इस आंदोलन को अमानुष दमननीति से उत्तर दिया । सभी ओर नागरिकों के अधिकारों को कुचला गया । राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित किया गया । उनके कार्यालयों और राशियों को अपने नियंत्रण में कर लिया गया । राष्ट्रीय समाचारपत्रों और साहित्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाया गया । अंततः अप्रैल १९३४ ई. में गांधीजी ने आंदोलन स्थगित किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐतिहासिक युग समाप्त हुआ ।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो ।

(महात्मा गांधी, खुदा-ए-खिदमतगार, रैम्से मैक्डोनोल्ड, सरोजिनी नायडू)

(१) लंदन में .... ने गोलमेज परिषद का आयोजन किया था ।

(२) खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ ने .... संगठन की स्थापना की थी ।

(३) धरसाणा सत्याग्रह का नेतृत्व .... ने किया ।

(४) द्वितीय गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में .... उपस्थित हुए ।

२. निम्न कथनों को कारणसहित स्पष्ट करो ।

(१) चंद्रसिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया ।

(२) सोलापुर में सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात सैनिकी कानून लागू किया ।

(३) प्रथम गोलमेज परिषद विफल रही ।

(४) गांधीजी ने येरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया ।

३. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखो।

(१) गांधीजी ने नमक कानून को तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय क्यों किया ?

(२) राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित क्यों किया ?

४. सविनय अवज्ञा आंदोलन की निम्न कालरेखा को पूर्ण करो।

१२ मार्च १९३०	६ अप्रैल १९३०	२३ अप्रैल १९३०	४ मई १९३०	६ मई १९३०

उपक्रम

(१) सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्न व्यक्तियों के कार्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर छायाचित्रों के साथ कक्षा में प्रदर्शित करो ।
(अ) सरोजिनी नायडू (ब) खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ (क) बाबू गेनू सैद

(२) पाठ में उल्लिखित सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थानों को भारत के मानचित्र प्रारूप में दर्शाओ ।

9BDHUV

९. स्वतंत्रता युद्‌ध का अंतिम चरण

इस पाठ में हम भारत छोड़ो आंदोलन, भूमिगत आंदोलन, आजाद हिंद सेना का कार्य आदि का अध्ययन करेंगे ।

१९३५ ई. का कानून : इस कानून के अनुसार भारत में अंग्रेज शासित प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक संघराज्य स्थापित करने का प्रावधान किया गया । तद्‌नुसार अंग्रेज शासित प्रदेशों का शासन भारतीय प्रतिनिधियों के हाथों में दिया जाने वाला था । यदि रियासतें संघराज्य में विलीन हो जाती हैं तो उनकी स्वायत्तता समाप्त होने वाली थी। अतः रियासतदारों का संघराज्य में सम्मिलित होने से इनकार करना स्वाभाविक था। परिणामस्वरूप इस कानून में उल्लिखित संघराज्य की योजना प्रत्यक्ष में नहीं आ सकी ।

प्ांतीर मंलम्ांडि : १९३५ ई. के कानून से राष्ट्रीय कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी । फिर भी इस कानून के अनुसार प्रांतीय विधान सभा के चुनावों में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लेने का निश्चय किया। १९३७ ई. में देश के ग्यारह प्रांतों में चुनाव हुए। उनमें आठ प्रांतों में राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और उनके मंत्रिमंडल सत्ता में आए। अन्य तीन प्रांतों में किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं था । अतः वहाँ मिली-जुली सरकार बनाई गई ।

राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने राजनीतिक बंदियों की कारावास से रिहाई, उद्‌योगोन्मुखी शिक्षा का प्रारंभ, दलित समाज के सुधार हेतु उपाय योजना, शराबबंदी, किसानों के लिए ऋण निवारण कानून जैसे लोककल्याणकारी कार्य किए ।

लरप्सि रोजना : द्‌वितीय विश्वयुद्‌ध में इंग्लैंड ने जापान के विरोध में अमेरिका का पक्ष लिया था। जापानी सेनाएँ भारत की पूर्वी सीमा के निकट आ पहुँच गईं। यदि जापान भारत पर आक्रमण करता है तो उसका प्रतिकार करने के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना इंग्लैंड को आवश्यक लगने लगा । फलतः इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा । मार्च १९४२ ई. में उन्होंने भारत के विषय में एक योजना भारतीयों के सामने रखी परंतु इस योजना से किसी भी राजनीतिक दल की संतुष्टि नहीं हुई । इस योजना में पूर्ण स्वाधीनता की माँग का स्पष्ट उल्लेख नहीं था । अतः राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस योजना को निरस्त कर दिया । क्रिप्स की इस योजना में पाकिस्तान की निर्मिति का समावेश नहीं था। परिणामतः मुस्लिम लीग ने भी इस योजना को ठुकरा दिया ।

द्‌वितीय विश्वयुद्‌ध और राष्ट्रीय कांग्रेस : १९३९ ई. में यूरोप में द्‌वितीय विश्वयुद्‌ध प्रारंभ हुआ । तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंलिथगो ने घोषणा की कि भारत इंग्लैंड की ओर से युद्‌ध में सम्मिलित हुआ है । इंग्लैंड ने यह भी दावा किया कि इंग्लैंड यूरोप में लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु युद्‌ध कर रहा है । तब राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह माँग की कि यदि इंग्लैंड का यह दावा सत्य है तो इंग्लैंड भारत को तुरंत स्वतंत्रता प्रदान करे । इंग्लैंड ने इस माँग को पूर्ण करने से इनकार कर दिया । परिणामस्वरूप नवंबर १९३९ ई. में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया ।

भारत छोड़ो आंदोि न : क्रिप्स योजना के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रखर आंदोलन चलाने का संकल्प किया । १४ जुलाई १९४२ ई. को वर्धा में राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को शीघ्र समाप्त कर भारत को स्वाधीनता देने की माँग करने वाला प्रस्ताव पारित किया । साथ ही; यह चेतावनी भी दी गई कि यदि यह माँग नहीं मान ली गई तो राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसक आंदोलन प्रारंभ करेगी ।

भारत छोड़ो प्ताि : ७ ऑगस्ट १९४२ ई. को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान पर (क्रांति मैदान)

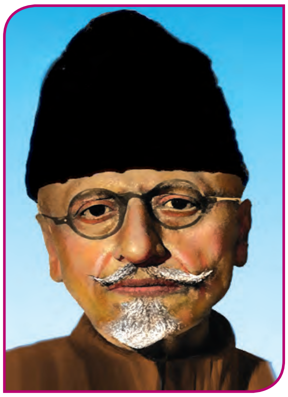

मौलाना आजाद

राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ । इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे । राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने वर्धा में अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएँ; यह प्रस्ताव पारित किया था; उसपर मुंबई के अधिवेशन में अंतिम मुहर लगने वाली थी । ८ अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 'भारत छोड़ो' का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव प्रचंड बहुमत से पारित हुआ । गांधीजी के नेतृत्व में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया । गांधीजी ने कहा, ''इसी क्षण से प्रत्येक स्त्री-पुरुष यह मान ले कि वह स्वतंत्र हुआ है और स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में व्यवहार करे । हम भारत को स्वतंत्र करेंगे अथवा ऐसे भगीरथ प्रयास करते हुए मर तो भी जाएँगे ।'' गांधीजी ने जनता से 'करेंगे या मरेंगे' इस भावना से बलिदान देने के लिए तैयार रहने हेतु स्फूर्तिदायी आवाहन किया ।

र न आंि लिन प्रसंभ : राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को बंदी बनाए जाने का समाचार पूरे देश में फैल गया । क्रुद्ध जनता ने स्थान-स्थान पर जुलूस निकाले । पुलिस ने लोगों पर लाठियाँ चलाईं । गोलीबारी की । फिर भी लोग भयभीत नहीं हुए । ब्रिटिश सरकार की दमननीति का प्रतीक बने कारावासों, पुलिस थानों, रेल स्थानकों आदि स्थानों पर आंदोलकों ने हमले किए । सरकारी कार्यालयों को अपने अधिकार में कर लेने के प्रयास हुए । महाराष्ट्र में चिमूर, आष्टी, यावली, महाड़, गारगोटी आदि अनेक गाँवों में बच्चों से लेकर बूढ़ों ने जीवटता और अपूर्व धैर्य के साथ किया हुआ संघर्ष अविस्मरणीय रहा ।

चलो.. समझेंगे ।

क्यखगि ि सत्याग्रह : ब्रिटिश सरकार माँगों को लगातार दुर्लक्षित और उपेक्षित कर रही थी । अतः राष्ट्रीय कांग्रेस ने युद्ध विरोधी प्रचार करने का निश्चय किया । इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि सामूहिक आंदोलन न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति कानून तोड़ेगा । इसी को व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं । आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे । इसके बाद लगभग पच्चीस हजार सत्याग्रहियों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में सहभागी होकर कारावास सहा ।

आचार्य विनोबा भावे

क्या तुम जानते हो ?

प्रेणाायिी कहातन्याँ बालवीरों की....

स्वतंत्रता युद्ध में विद्यालयीन छात्रों ने भी अपना योगदान दिया है । नंदूरबार के एक विद्यालय के छात्रों ने शिरीष कुमार के नेतृत्व में तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकाला । 'वंदे मातरम्' के नारे लगाए । पुलिस ने क्रोध में आकर छोटे बच्चों पर भी गोलियाँ चलाईं । इस गोलीबारी में विद्यालय में पढ़ने वाले शिरीष कुमार, लालदास, धनसुखलाल, शशिधर और घनश्याम आदि छात्र बलिदान को प्राप्त हुए ।

शिरीष कुमार

जयप्रकाश नारायण

भूतमाा आंि लिन : १९४२ ई. के अंत में जन आंदोलन में नया मोड़ आया । आंदोलन की बागडोर युवा समाजवादी कार्यकर्ताओं के हाथों में आ गई । जयप्रकाश नारायण, डॉ.राममनोहर लोहिया, छोटूभाई पुराणिक, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा असफ अली, यूसुफ मेहरअली, सुचेता कृपलानी, एस. एम. जोशी, शिरूभाऊ लिमये, ना.ग.गोरे, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, मगनलाल बागडी, उषा मेहता जैसे अनगिनत नेता अग्रसर थे ।

अरुणा असफ अली

अच्युतराव पटवर्धन

रेल पटरियों की तोड़–फोड़ करना, टेलीफोन के तार काटना, पुल उड़ाना जैसी गतिविधियों द्वारा आंदोलनकारियों ने संचार और सरकारी व्यवस्था को अस्त–व्यस्त कर दिया । संपूर्ण भारत में आंदोलन फैल गया । सिंध प्रांत में हेमू कलानी को समाचार मिला कि सशस्त्र ब्रिटिश सेना को ले जाने वाली रेल आ रही है; उसने अपने साथियों के साथ रेल की पटरियाँ ध्वस्त करने का प्रयास किया । न्यायालय ने उन सब को फाँसी की सजा सुनाई ।

वर्तमान रायगढ़ जिले की कर्जत तहसील के भाई कोतवाल का 'आजाद दस्ता', नागपुर के जनरल आवारी की 'लाल सेना' जैसे दलों ने कई महीनों तक सरकार की नाक में दम कर रखा था । मुंबई में विठ्ठल जवेरी, उषा मेहता और उनके साथियों ने एक गुप्त प्रसारण केंद्र स्थापित किया । उसे 'आजाद रेडियो' कहते थे । इस रेडियो द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीत गाये जाते थे । देश में चल रहे आंदोलन से संबंधित समाचार तथा देशभक्तिपर भाषण प्रसारित किए जाते थे । इससे आंदोलन को आगे बढ़ाने में जनता को प्रोत्साहन मिलता था । ऐसे प्रसारण केंद्र कोलकाता, दिल्ली और पुणे में कुछ समय तक चले ।

समानांतर सरकार : देश के कुछ हिस्सों में से अंग्रेज अधिकारियों को खदेड़कर वहाँ लोगों की सरकारें स्थापित की गईं । इसी को समानांतर सरकार कहते हैं । बंगाल में मिदनापुर, उत्तर प्रदेश में बलिया और आजमगढ़, बिहार में भागलपुर और पूर्णिया जिलों में समानांतर सरकारों का गठन किया गया ।

महाराष्ट्र के सातारा जिले में क्रांतिसिंह नाना पाटील ने १९४२ ई. में अंग्रेज सरकार को निरस्त कर समानांतर सरकार की स्थापना की । कुंडल नामक क्षेत्र में क्रांतिअग्रणी जी.डी.उर्फ बापू लाड के नेतृत्व में तूफान सेना की समानांतर सरकार का गठन हुआ । इस सरकार द्वारा राजस्व इकट्ठा करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंड देना जैसे कार्य किए जाते थे । इस सरकार द्वारा नियुक्त किए गए लोकन्यायालय लोगों के विवादों का निपटारा करते थे और लोग उनके न्याय को स्वीकार भी करते थे । इस सरकार ने साहूकारी प्रथा को विरोध करना, शराबबंदी, साक्षरता का प्रसार, जातिभेद उन्मूलन जैसे रचनात्मक कार्य किए । परिणामस्वरूप समानांतर सरकार जनता के लिए प्रेरणा स्थान सिद्ध हुई ।

क्रांतिसिंह नाना पाटील

भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व : १९४२ ई. के आंदोलन ने देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया । स्वतंत्रता की प्राप्ति भारतीयों का लक्ष्य था और इस लक्ष्य को पाने के लिए असंख्य भारतीयों ने त्याग किया । अनगिनत लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी । आंदोलनकारियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें बंदी बनाकर रखने के लिए जेलें भी कम पड़ गईं । साने गुरुजी, राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज आदि के राष्ट्रभक्तिपर गीतों ने आंदोलनकारियों में चेतना का संचार किया । इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को 'अगस्त क्रांति' भी कहा जाता है ।

राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज

आजाद हिंद सेना : भारत छोड़ो आंदोलन शिखर पर था । उस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने अभूतपूर्व प्रयास किए । भारत की पूर्वी सीमा पर हजारों भारतीय सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे । ये सभी सैनिक आजाद हिंद सेना के थे । उनके नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस

सुभाषचंद्र बोस राष्ट्रीय सभा के एक महत्वपूर्ण नेता थे । उन्होंने दो बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद का भार उठाया था । इंग्लैंड द्वितीय विश्वयुद्ध में उलझा हुआ है और इसी का लाभ उठाते हुए भारत को अपना आंदोलन प्रखर बनाना चाहिए । इसके लिए अंग्रेजों के शत्रुओं से भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए; यह सुभाष बाबू का विचार था परंतु इस विषय में राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके मतभेद हुए । परिणामस्वरूप सुभाष बाबू ने अध्यक्ष पद का त्यागपत्र दे दिया । जनता के सामने अपने विचार रखने के लिए उन्होंने 'फॉरवर्ड ब्लॉक' दल की स्थापना की ।

सुभाषचंद्र बोस अपने भाषणों द्वारा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का आवाहन भारतीयों से करने लगे । परिणामतः सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया । सुभाष बाबू ने जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया । इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर उनके घर में नजरबंद बनाकर रखा । वहाँ से वे भेस बदलकर निकल गए । १९४१ ई. के अप्रैल में वे जर्मनी पहुँचे । जर्मनी के रेडियो बर्लिन केंद्र से उन्होंने जनता से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र युद्ध में हिस्सा लेने का आवाहन किया । इसी समय रासबिहारी बोस ने सुभाष बाबू को जापान आने का निमंत्रण दिया ।

आझाा तर्ह्ह सेना की स्थापना : रासबिहारी बोस जापान में १९१५ ई. से रह रहे थे । दक्षिण-पूर्व एशिया के देशप्रेमी भारतीयों को संगठित कर उन्होंने 'इंडियन इंडिपेंडंस लीग' नाम का संगठन स्थापित किया था । १९४२ ई. के पूर्वार्ध में जापान ने दक्षिण-पूर्व एशिया के उन प्रदेशों को जीत लिया जो प्रदेश अंग्रेजों के अधीन थे । वहाँ ब्रिटिश सेना में कार्यरत हजारों भारतीय सैनिक और अधिकारी जापान के हाथ लगे । युद्ध में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों की एक पलटन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में रासबिहारी बोस ने तैयार की । उसे 'आजाद हिंद सेना' नाम दिया गया । आगे चलकर नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना का नेतृत्व किया ।

रासबिहारी बोस

१९४३ ई. के अक्तूबर महीने में नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की । शाहनवाज खाँ, जगन्नाथ भोसले, डॉ.लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबक्श सिंह ढिल्लों, प्रेमकुमार सहगल आदि उनके प्रमुख सहयोगी थे । कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन झाँसी की रानी महिला पलटन की प्रमुख थी । नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने भारतीय जनता से 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा ।' का आवाहन किया ।

आझाा तर्ह्ह सेना का पराक्रम : नवंबर १९४३ ई. में जापान ने अंदमान और निकोबार द्वीप जीतकर वे आजाद हिंद सरकार को सौंप दिए । नेताजी ने उन्हें क्रमशः 'शहीद' और 'स्वराज्य' नाम दिए । १९४४ ई. में आजाद हिंद सेना ने म्याँमार का अराकान प्रदेश अपने नियंत्रण में कर लिया । असम के पूर्वी सीमा की चौकियाँ जीत लीं । इसी अवधि में आजाद हिंद सेना को जापान से प्राप्त होने वाली सहायता बंद हो गई । परिणामतः इंफाल का अभियान अधूरा रह गया परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में भी आजाद हिंद सेना के सैनिक पूरी जीवटता के साथ लड़ते रहे लेकिन इसी अवधि में जापान ने आत्मसमर्पण किया । १८ अगस्त १९४५ ई. को सुभाषचंद्र बोस का विमान दुर्घटना में निधन हुआ । ऐसी स्थिति में आजाद हिंद सेना को हथियार डालने पड़े । इस प्रकार आजाद हिंद सेना द्वारा किए गए युद्ध का रोमहर्षक युग समाप्त हुआ ।

आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद सेना के अधिकारियों पर राजद्रोह का अभियोग रखा । पं.जवाहरलाल नेहरू, भुलाभाई देसाई, तेज बहादुर

सप्रू जैसे निष्णात और बुद्धिमान विधि विद्वानों ने उनके बचाव का कार्य किया परंतु सैनिकी न्यायालय ने उन अधिकारियों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास का दंड सुनाया । फलतः भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रखर असंतोष उत्पन्न हुआ । अंततः सैनिकी न्यायालय द्वारा दी गईं सजाएँ सरकार को निरस्त करनी पड़ीं ।

भार्ीय नौसेना और वायसुेना का तवर्ोह : आजाद हिंद सेना से प्रेरणा पाकर नौसैनिकों और वायुसैनिकों में असंतोष निर्माण हुआ । उसका विस्फोट १८ फरवरी १९४६ ई. को मुंबई में ब्रिटिश युद्धपोत 'तलवार' पर हुआ । सैनिकों ने युद्धपोत पर तिरंगा ध्वज लहराया । अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध नारे लगाए । ब्रिटिश सरकार ने सेना भेजकर नौसैनिकों पर गोलियाँ चलवाईं । उसका जवाब भी विद्रोहियों ने गोलियों से ही दिया । मुंबई के श्रमिकों और आम लोगों ने नौसैनिकों को समर्थन दिया । अंततः सरदार वल्लभभाई पटेल ने मध्यस्थता की और नौसैनिकों ने शस्त्र नीचे रखे ।

मुंबई में हुए नौसैनिकों के विद्रोह को समर्थन देने के लिए दिल्ली, लाहौर, कराची, अंबाला, मेरठ आदि स्थानों पर वायुसेना के अधिकारियों ने भी हड़ताल की घोषणा की । यह विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष की भावना का पराकाष्ठा तक पहुँचने का सूचक था । इस प्रकार १९४२ ई. से १९४६ ई. की अवधि में भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव चरमरा गई । 'भारत छोड़ो' आंदोलन द्वारा भारतीय जनता का ब्रिटिशों के प्रति प्रखर विरोध अभिव्यक्त हुआ । सेना, नौसेना और वायुसेना अंग्रेज सत्ता के आधार स्तंभ थे । वे भी अब ब्रिटिश विरोधी बनने लगे थे । इन सभी घटनाओं के फलस्वरूप भारत पर अपनी सत्ता दीर्घकाल तक बनाए नहीं रखी जा सकेगी; यह बोध अंग्रेज शासकों को हो गया ।

स्वाध्याय

१. तिए गए तवकलपें में से उतचा तवकलप चतुकर कथन पतु: तल ी ।

(अंदमान और निकोबार, अगस्त क्रांति, विनोबा भावे)

(१) व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही .... थे ।

(२) १९४२ ई. के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को .... भी कहा जाता है ।

(३) नवंबर १९४३ ई. में जापान ने .... द्वीप जीतकर वे आजाद हिंद सेना को सौंप दिए ।

२. तन्म कथन कारणसतहा स्पष्ट करो ।

(१) नवंबर १९३९ ई. में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिए ।

(२) आजाद हिंद सेना को शस्त्र नीचे रखने पड़े ।

(३) समानांतर सरकार जनता के लिए प्रेरणा स्थान सिद्ध हुई ।

३. तन्म सारणी पूण्डकरो ।

संगठन	संस्थापक
फॉरवर्ड ब्लॉक	
इंडियन इंडिपेंडंस लीग	
तूफान सेना	

४. तन्म प्र्शों के उतर संके्प में तल ी ।

(१) शिरीष कुमार का कार्य तुम्हारे लिए किस प्रकार प्रेरणादायी है ?

(२) इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत क्यों भेजा ?

(३) राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को बंदी बनाने का समाचार पूरे देश में फैलने पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?

उपक्रम

(१) आजाद हिंद सेना द्वारा किए गए युद्ध की घटनाओं की कालरेखा बनाओ ।

(२) १९४२ ई. के भारत छोड़ो आंदोलन के छायाचित्र (फोटो) अंतरजाल की सहायता से प्राप्त करो और राष्ट्रीय दिनों के अवसर पर उनकी प्रदर्शनी का आयोजन करो ।

9BHDHI

१०. सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन

भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अलग-अलग ढंग से आंदोलन हुए । उनमें एक रास्ता था-सशस्त्र क्रांति का । इसका परिचय हम इस पाठ में प्राप्त करेंगे ।

१८५७ ई. के पूर्व अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हुए विद्रोहों और १८५७ ई. के स्वतंत्र युद्ध का हमने अध्ययन किया है । उसके पश्चात के समय में रामसिंह कूका ने पंजाब में सरकार के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई थी ।

वासतुेम्रि बलवंा फडके : महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फडके ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया । उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शस्त्रों के साथ ही संघर्ष करना चाहिए । उन्होंने वस्ताद लहूजी सालवे से शस्त्रविद्या का प्रशिक्षण लिया । ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के लिए उन्होंने पिंडारियों (रामोशियों) को संगठित करके विद्रोह किया । यह विद्रोह विफल रहा । अंग्रेजी शासन ने उन्हें एडन के कारावास में भेजा । वहीं पर उनकी १८८३ ई. में मृत्यु हुई । स्वतंत्रता के लिए उन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया ।

वासुदेव बलवंत फडके

चाफेकर भाई (बंधत्रु : १८९७ ई. में पुणे में प्लेग की महामारी का बंदोबस्त करते समय प्लेग कमिश्नर रैंड ने अन्याय और अत्याचार किए । इसके प्रतिशोध के रूप में दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर भाइयों (बंधुओं) ने २२ जून १८९७ ई. को रैंड की हत्या की । दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव इन तीन भाइयों और उनके सहयोगी महादेव रानडे को फाँसी दी गई । एक ही परिवार के तीन भाई देश के लिए शहीद हो गए ।

इसी समय बिहार में मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह किया ।

स्वातंत्र्यवीर वि.दा.सावरकर

अतभ्मव भार्त : १९०० ई. में स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर ने नाशिक में 'मित्रमेला' नामक क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन की स्थापना की । १९०४ ई. में इसी संगठन को 'अभिनव भारत' नाम दिया गया । सावरकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए । वहाँ से उन्होंने अभिनव भारत संगठन के भारतीय सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य, पिस्तौल आदि सामग्री भेजना प्रारंभ किया । उन्होंने प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी जोजेफ मेजिनी का प्रेरणादायी चरित्र लिखा । १८५७ ई. का विद्रोह यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध था; यह प्रतिपादित करने वाली '१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर' (१८५७ ई. का स्वतंत्रता युद्ध) पुस्तक उन्होंने लिखी ।

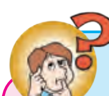

क्या तुम जानते हो ?

स्वा.सावरकर को पचास वर्ष सश्रम कारावास की सजा काटने के लिए अंदमान ले जाया गया । वे वहाँ दस वर्ष रहे । सावरकर ने अपने आत्मचरित्र 'माझी जन्मठेप' (मेरा आजीवन कारावास) में अंदमान के उन भयंकर और यातनामय दिनों के अनुभव लिखकर रखे हैं । कालांतर में सरकार ने उन्हें रत्नागिरि में ले जाकर स्थानबद्ध कर दिया । वहाँ सावरकर ने जातिभेद उन्मूलन, अस्पृश्यता निवारण, सहभोजन, भाषा शुद्धीकरण जैसे सामाजिक आंदोलन चलाए । वह एक महान साहित्यकार थे । १९३८ ई. में मुंबई में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन के वह अध्यक्ष थे ।

सरकार को अभिनव भारत संगठन की गतिविधियों का सुराग लगा । अतः सरकार ने

बाबाराव सावरकर को बंदी बनाया । उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई । इस सजा का प्रतिशोध लेने के लिए अनंत लक्ष्मण कान्हेरे नाम के युवक ने नाशिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी । सरकार ने अभिनव भारत संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करना प्रारंभ किया । सरकार ने जैक्सन की हत्या का संबंध स्वातंत्र्यवीर सावरकर के साथ जोड़ा और उन्हें बंदी बनाकर उनपर मुकदमा चलाया । न्यायालय ने उन्हें पचास वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।

बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन : बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों के विरोध में असंतोष और अधिक प्रखर हुआ । स्थानीय विद्रोहों के स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक क्रांतिकारी आंदोलन का उदय होने लगा । देश के विभिन्न हिस्सों में क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित युवा अपने गुप्त संगठन स्थापित करने लगे । अंग्रेज अधिकारियों को भयभीत करना, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देना, अंग्रेज सरकार के प्रति लगनेवाली धाक को नष्ट कर देना, अंग्रेजी सत्ता को उलट देना उनके उद्‌देश्य थे ।

बंगाल में क्रांतिकारी संगठन 'अनुशीलन समिति' कार्यरत थी । अनुशीलन समिति की पाँच सौ से अधिक शाखाएँ थीं । इस संगठन के प्रमुख अरबिंद घोष के बंधु बारींद्र कुमार घोष थे । इस संगठन को अरबिंद घोष का परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त होता था । इस समिति का बम बनाने का केंद्र कोलकाता के निकट मणिकतल्ला में था ।

१९०८ ई. में अनुशीलन समिति के सदस्यों- खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्जफोर्ड नाम के न्यायाधीश की हत्या की योजना बनाई परंतु उन्होंने जिस गाड़ी पर बम फेंका; वह गाड़ी किंग्जफोर्ड की नहीं थी । इस हमले में गाड़ी में सवार दो अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हुई । अंग्रेजों के हाथ न लगे; इसलिए प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार दी । खुदीराम बोस पुलिस के हाथ लगे । उन्हें फाँसी दी गई । इस कांड की जाँच करते समय पुलिस को अनुशीलन समिति की गतिविधियों की जानकारी मिली । पुलिस ने इस संगठन के सदस्यों की धर-पकड़ प्रारंभ की । अरबिंद बाबू का संबंध बम बनाने के साथ जोड़ने में सरकार विफल रही । सरकार ने उनको निर्दोष रिहा किया । अन्य सदस्यों को लंबी अवधि की सजाएँ सुनाई गईं ।

रासबिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल ने क्रांतिकारी संगठन का जाल बंगाल के बाहर भी फैलाया । पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में क्रांति कार्यों के केंद्र खोले गए । रासबिहारी बोस और उनके सहयोगियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का साहसिक कार्य किया परंतु इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग बच गया ।

मद्रास प्रांत में भी क्रांतिकार्य जारी था। क्रांतिकारी वांची अय्यर ने ऐश नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की । इसके बाद स्वयं को गोली मारकर उसने अपनी आत्माहुति दी ।

इंतड्या हाउस : भारत में चलने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को विदेश में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों से सहायता प्राप्त होती थी । लंदन का इंडिया हाउस ऐसी ही सहायता पहुँचाने वाला महत्त्वपूर्ण केंद्र था । भारतीय देशभक्त पं.श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी । इस संस्था द्‌वारा इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय युवाओं को छात्रवृत्ति दी जाती थी । स्वातंत्र्यवीर सावरकर को ऐसी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी । जर्मनी के स्टुटगार्ड में आयोजित विश्व

पं.श्यामजी कृष्ण वर्मा

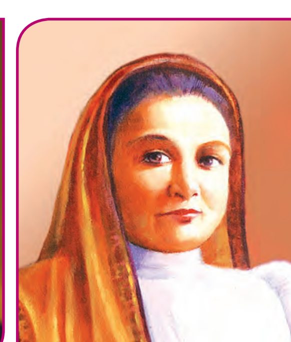
मादाम कामा

समाजवादी परिषद में मादाम कामा ने भारत की स्वतंत्रता का मुद्‌दा उठाया। इसी परिषद में उन्होंने भारत का ध्वज लहराया था । इंडिया हाउस से संबंधित दूसरा क्रांतिकारी मदनलाल धिंगरा नाम का युवक था । उसने अंग्रेज अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या की। परिणामतः धिंगरा को फाँसी पर चढ़ाया गया ।

गदर आंदोलन : प्रथम विश्वयुद्ध की अवधि में अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों को गति मिली । क्रांतिकारियों को लगता था कि ब्रिटिशों के शत्रुओं से सहायता लेकर भारत में सत्तांतर किया जा सकता है और इन प्रयासों में भारतीय सैनिकों को साथ लिया जा सकता है । इस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुए। उनमें 'गदर' एक प्रमुख संगठन था ।

अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने 'गदर' संगठन की स्थापना की थी । लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉ. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे आदि क्रांतिकारी इस संगठन के प्रमुख नेता थे । 'गदर' का अर्थ 'विद्रोह' है । इस संगठन के मुखपत्र का नाम 'गदर' था । इस मुखपत्र में अंग्रेजी शासन द्‌वारा भारत पर किए जाने वाले दुष्परिणामों को स्पष्ट किया जाता था । भारतीय क्रांतिकारियों द्‌वारा की जाने वाली साहसिक गतिविधियों की जानकारी दी जाती थी । इस प्रकार 'गदर' मुखपत्र ने भारतीयों को राष्ट्रप्रेम और सशस्त्र क्रांति का संदेश दिया ।

अंग्रेजों के विरुद्‌ध विद्रोह करने हेतु 'गदर' संगठन के नेताओं ने युद्‌धजन्य परिस्थिति से लाभ उठाने का निश्चय किया । उन्होंने पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्‌ध विद्रोह करने की योजना बनाई । सेना के भारतीय सैनिकों को विद्रोह में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित किया । निर्णय किया गया कि रासबिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले विद्रोह का नेतृत्व करेंगे । परंतु किसी के द्‌वारा मुखबिरी की जाने के कारण अंग्रेजों को इस योजना का सुराग लगा । पिंगले पुलिस के हाथ लग गए । उन्हें फाँसी दी गई लेकिन रासबिहारी बोस चकमा देकर निकल जाने में सफल रहे । उन्होंने जापान जाकर अपना क्रांतिकारी कार्य जारी रखा ।

युद्‌ध की अवधि में विदेश में कई स्थानों पर क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे । बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन दत्त और हरदयाल ने जर्मन के विदेश विभाग के सहयोग से अंग्रेज विरोधी योजना बनाई । १९१५ ई. में महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और उबैयदुल्ला सिंधी ने काबुल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की ।

काकोरी र यंत्र : सरकार ने दमन नीति का अवलंब किया लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन नियंत्रण में नहीं आ सका । गांधीजी द्‌वारा असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद कई युवा क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़े । चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद 'बिस्मिल', योगेश चटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल आदि क्रांतिकारी इकट्‌ठे आए । क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लगने वाला पैसा इकट्‌ठा करने के लिए रेल में ले जाया जा रहा सरकारी खजाना ९ अगस्त १९२५ ई. को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेल स्टेशन के समीप लूटा । इसी को 'काकोरी षडयंत्र' कहा जाता है । सरकार ने तत्काल कार्यवाही कर क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया । उनपर मुकदमे चलाए गए । अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद 'बिस्मिल', रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी को फाँसी दी गई । लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं लगे ।

चंद्रशेखर आजाद

भगत सिंह

बंहुस् ान सोशब्लर्स रपप्बल्कन असोब्स्एशन : समाजवादी विचारों से प्रभावित

राजगुरु

सुखदेव

हुए युवाओं ने देशव्यापी क्रांतिकारी संगठन का गठन करने का निश्चय किया । इन युवाओं में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि प्रमुख युवा थे । ये सभी क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से जुड़े हुए थे । १९२८ ई. में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर हुई बैठक में इन युवाओं ने 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' नामक संगठन की स्थापना की ।

भारत को अंग्रेजों के शोषण से मुक्त करना इस संगठन का उद्‌देश्य था । साथ ही, यह संगठन किसानों-श्रमिकों का शोषण करने वाली अन्यायी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को उलट देना चाहता था । भगत सिंह ने सामाजिक न्याय और समता पर आधारित समाज निर्माण करने पर बल दिया ।

हथियार इकट्‌ठे करना और योजना को कार्यान्वित करना जैसे कार्य इस संगठन के स्वतंत्र विभाग को सौंपे गए थे । इस विभाग का नाम 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' था और चंद्रशेखर 'आजाद' उसके प्रमुख थे ।

इस संगठन के सदस्यों ने अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों को परिणाम दिया । भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लजपतराय की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सैंडर्स नाम के अधिकारी पर गोलियाँ चलाकर उसकी हत्या कर दी ।

इस समय सरकार ने नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाले दो विधेयक केंद्रीय विधान सभा में प्रस्तुत किए । उन विधेयकों का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान सभा में बम फेंके ।

सरकार ने तत्काल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के ठिकानों पर धावे बोले । उनमें पुलिस को सैंडर्स की हत्या का सुराग लगा । सरकार ने क्रांतिकारियों की धर-पकड़ प्रारंभ की । उनपर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए । २३ मार्च १९३१ ई. को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की जेल में फाँसी दी गई । चंद्रशेखर आजाद अंत तक पुलिस के हाथ नहीं लगे । आगे चलकर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वे शहीद हो गए ।

सूर्य सेन

चटगाँव शसत्रागार पर हमला : सूर्य सेन बंगाल के चटगाँव में कार्यरत क्रांतिकारी गुट के प्रमुख थे। उन्होंने अपने साथ अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार जैसे निष्ठावान क्रांतिकारियों की सेना तैयार की । उनकी सहायता से सूर्य सेन ने चटगाँव के शस्त्रागार पर हमले की योजना बनाई । इस योजना के अनुसार १८ अप्रैल १९३० ई. को क्रांतिकारियों ने चटगाँव के दो शस्त्रागारों में संग्रहित शस्त्र अपने अधिकार में कर लिये । उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ व्यवस्था की तोड़-फोड़ की और संचार व्यवस्था को ठप्प करने

कल्पना दत्त

प्रीतिलता वड्डेदार

में वे सफल रहे । इसके पश्चात उन्होंने अंग्रेज सेना के साथ रोमांचक संघर्ष किया ।

१६ फरवरी १९३३ ई. को सूर्य सेन व उनके कुछ सहयोगी पुलिस के हाथ लगे । सूर्य सेन और उनके बारह सहयोगियों को फांसी की सजा दी गई । कल्पना दत्त को आजीवन कारावास का दंड दिया गया । प्रीतिलता वड्डेदार ने पुलिस के हाथ में पड़ने से बचने के लिए आत्माहुति दी ।

चटगाँव में हुए विद्रोह के कारण क्रांतिकारी आंदोलन को गति मिली । दो विद्यालयीन छात्राओं– शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिला न्यायाधीश की हत्या की तो बीना दास नाम की युवती ने कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोलियाँ चलाईं । इस प्रकार इस अवधि में कई क्रांतिकारी घटनाएँ हुईं ।

जलियाँवाला बाग नरसंहार के लिए ओडवायर नाम का अधिकारी उत्तरदायी था । सरदार ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में १९४० ई. में उसकी हत्या की ।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । ब्रिटिश सत्ता के साथ लड़ते हुए क्रांतिकारियों ने साहस और संकल्प के दर्शन कराए । उनका राष्ट्रप्रेम और समर्पण भाव अतुलनीय था । उनका बलिदान भारतीयों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हुआ ।

स्वाध्याय

१. तिए गए तक्कलपें में से उतचर्ा तिक्कलप चतुकर कथन पतु: तलिो ।

(पं.श्यामजी कृष्ण वर्मा, मित्रमेला, रामसिंह कूका)

(१) स्वा.सावरकर ने ...... नामक क्रांतिकारियों की गुप्त संगठन स्थापन की ।

(२) पंजाब में ..... ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई ।

(३) इंडिया हाउस की स्थापना ..... ने की ।

२. तन्म्न सारणी पूण्ड्करो ।

क्रांतिकारी	संगठन
....	अभिनव भारत
बारींद्र कुमार घोष	....
चंद्रशेखर आजाद	....

३. तन्म्न कथनों को कारणसतहि स्पष्ट करो ।

(१) चाफेकर भाइयों (बंधुओं) ने रैंड की हत्या की ।

(२) खुदीराम बोस को फाँसी दी गई ।

(३) भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान सभा में बम फेंके ।

४. तन्म्न प्रश्नों के उतिर संक्षेप में तलिो ।

(१) चटगाँव शस्त्रागार पर किए गए हमले का वृत्तांत लिखो ।

(२) सशस्त्र क्रांति में स्वा.सावरकर के योगदान को स्पष्ट करो ।

उपक्रम

(१) क्रांतिकारियों के जीवन पर आधारित नाटक, फिल्म देखो । उसमें जो प्रसंग तुम्हें अच्छा लगा; उसका कक्षा में नाट्यीकरण करो ।

(२) क्रांतिकारियों की कहानियों पर आधारित हस्तलेख तैयार करो ।

9BH9Y6

११. समता आंदोलन

आधुनिक भारत की यात्रा में राजनीतिक स्वाधीनता का संग्राम महत्त्वपूर्ण था । यह संग्राम मानवमुक्ति के व्यापक सिद्धांत पर आधारित था । परिणामस्वरूप इस संघर्ष के साथ-साथ राजनीतिक पराधीनता, सामंतशाही, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण जैसी बातों का भी विरोध होने लगा । स्वतंत्रता की भाँति समता के सिद्धांत को भी बहुत महत्त्व प्राप्त है । इस रूप में किसान, श्रमिक, महिला, दलित आदि वर्गों द्वारा चलाए गए आंदोलनों और समता तत्त्व को महत्त्व देने वाले समाजवाद की विचारधारा का योगदान बहुमूल्य रहा । इसका विचार किए बिना हम आधुनिक भारत के निर्माण के ताने-बाने को समझ नहीं सकेंगे । अतः हम कुछ आंदोलनों का अध्ययन करेंगे ।

लगान आंदोलन : भारतीय किसानों को अंग्रेजों की आर्थिक नीति के दुष्परिणाम भोगने पड़ते थे । अंग्रेजी शासन जमींदार, साहूकार को संरक्षण प्रदान करता था । वे किसानों पर अत्याचार करते थे । इस अन्याय के विरुद्ध किसानों ने अनेक बार विद्रोह किए । बंगाल के किसानों ने नील उत्पादकों की सख्ती के विरुद्ध विद्रोह किया । इसके लिए उन्होंने 'कृषि संगठन' की स्थापना की । दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित 'नीलदर्पण' ने नील उगाने वाले किसानों की खस्ता हालत के दर्शन पूरे समाज को करवाए । १८७५ ई. में महाराष्ट्र के किसानों ने जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह किया । १९१८ ई. में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों ने 'किसान सभा' नाम के संगठन की स्थापना की । केरल में मोपला किसानों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया । ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया ।

१९३६ ई. में प्रा.एन.जी.रंगा के नेतृत्व में 'अखिल भारतीय किसान सभा' की स्थापना हुई । इस सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे । इस सभा ने किसानों के अधिकारों का घोषणापत्र राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रस्तुत किया । १९३६ ई. में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र फैजपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था । इस अधिवेशन में हजारों किसान उपस्थित थे ।

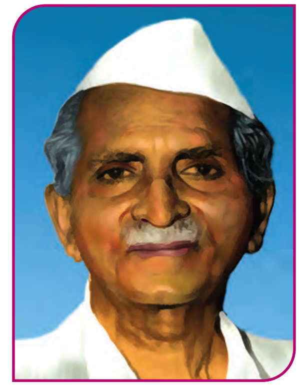
प्रा.एन.जी.रंगा

साने गुरुजी

१९३८ ई. में पूर्व खानदेश में अतिवर्षा होने से फसल चौपट हो गई थी । किसानों की बहुत दुर्गति हो गई । ऐसी स्थिति में किसानों के लगान को माफ करवाने के लिए साने गुरुजी ने स्थान-स्थान पर सभाएँ लीं, जुलूस निकलवाए । कलेक्टर कचहरी पर जुलूस निकाले । १९४२ ई. की क्रांति में किसान बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए थे ।

क्या तुम जानते हो ?

साने गुरुजी ने किसानों और श्रमिकों को एकजुट किया । उनका प्रयास यह था कि धुले-अमलनेर श्रमिक संगठनों के शक्तिशाली केंद्र बनें । वे अमलनेर मिल श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष थे ।

पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर दलितों के लिए खोला जाए; इसके लिए उन्होंने पंढरपुर में आमरण अनशन किया ।

श्रमिक संगठन : उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिलें, रेल कंपनियाँ जैसे उद्योग प्रारंभ हुए थे । श्रमिक वर्ग का बड़ी मात्रा में उदय

नारायण मेघाजी लोखंडे

नहीं हुआ था । फिर भी इस अवधि में श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के प्रयास किए गए । शशिपद बनर्जी, नारायण मेघाजी लोखंडे ने स्थानीय स्तर पर श्रमिकों के संगठन बनाए । लोखंडे ने श्रमिकों को लेकर इतना उल्लेखनीय कार्य किया है कि उन्हें 'भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक' कहकर संबोधित किया जाता है ।

क्या तुम जानते हो ?

नारायण मेघाजी लोखंडे मूलतः कान्हेसर गाँव के निवासी थे । यह गाँव पुणे जिले के सासवड़ के पास है । १९८० ई. में उन्होंने 'बॉम्बे मिल हैंडस एसोसिएशन' नामक मिल श्रमिकों का संगठन स्थापित किया । इस श्रमिक संगठन को भारत में संगठित आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है । वे महात्मा फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज की मुंबई शाखा के अध्यक्ष भी थे । उन्हीं के प्रयासों से १० जून १८९० ई. से श्रमिकों को रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलने लगा ।

इसी समय असम में चाय के बागान श्रमिकों की दारुण स्थिति के विरुद्ध आंदोलन किया गया । १८९९ ई. में ग्रेट इंडियन पेनिंसुलर (जी.आई.पी.) के रेल कर्मचारियों ने अपनी माँगों को लेकर हड़ताल की घोषणा कर दी । बंग भंग आंदोलन की अवधि में स्वदेशी के समर्थन में कर्मचारियों ने समय-समय पर हड़तालें कीं । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारत में औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारी वर्ग में वृद्धि हो गई थी । तब कहीं जाकर राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की आवश्यकता अनुभव होने लगी । इस आवश्यकता का परिणाम यह हुआ कि १९२० ई. में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईटक) की स्थापना की गई । आईटक के कार्यों में ना.म.जोशी का उल्लेखनीय योगदान रहा । लाला लजपतराय आईटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे । उन्होंने कहा था, ''श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सहभाग लेना चाहिए ।''

श्रमिक वर्ग में समाजवादी विचारों का प्रसार करके उनके जुझारू संगठन बनाने का कार्य श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि समाजवादी नेताओं ने किया। १९२८ ई. में मुंबई के मिल श्रमिकों ने छह महीने हड़ताल की । ऐसी अनेक हड़तालें रेल कर्मचारियों, पटसन कर्मियों आदि ने कीं । श्रमिक आंदोलन की बढ़ती शक्ति देखकर सरकार व्यग्र हो गई । इस आंदोलन को दबाने के लिए कानून बनाए गए । श्रमिकों का यह संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन को सहायता करने वाला सिद्ध हुआ ।

श्रीपाद अमृत डांगे

समर वाी आंिलन : राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक युवा कार्यकर्ताओं को अनुभव होने लगा कि सामान्य लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए अंग्रेज सरकार का तख्ता पलट देना आवश्यक है । साथ ही; उन्हें यह भी बोध होने लगा कि आर्थिक और सामाजिक समता के सिद्धांत पर समाज की पुनर्रचना होनी चाहिए । इस बोध द्वारा समाजवादी विचारधारा का उदय और विकास हुआ ।

राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी युवक नाशिक कारावास में बंद थे । वहाँ उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी दल स्थापित करने का निर्णय लिया । इस निर्णय के अनुसार १९३४ ई. में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई । इसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, डॉ. राममनोहर लोहिया आदि नेता थे । १९४२ ई. के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में समाजवादी युवक अग्रसर थे ।

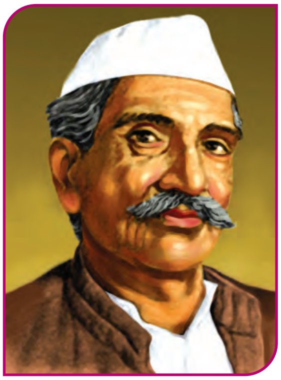

आचार्य नरेंद्र देव

डॉ. राममनोहर लोहिया

भारतीयों को कार्ल मार्क्स और उसके साम्यवाद का परिचय होने लगा था । लोकमान्य तिलक ने १८८१ ई. में ही मार्क्स के विषय में लेख लिखा था । प्रथम विश्वयुद्‌ध के पश्चात भारत में साम्यवाद का प्रभाव अनुभव किया जाने लगा । मानवेंद्रनाथ रॉय का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन में सक्रिय सहभाग था ।

१९२५ ई. में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई । श्रमिकों एवं किसानों के लड़ाकू संगठन स्थापित करने का कार्य समाजवादी युवकों ने किया । सरकार को साम्यवादी आंदोलनों से खतरा अनुभव होने लगा । सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का निर्णय किया । श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ जोगलेकर आदि को बंदी बनाया गया । उनपर अंग्रेज शासन का तख्ता पलट देने का षडयंत्र रचने का अभियोग रखा गया । उन्हें अलग-अलग सजाएँ सुनाई गईं । यह मुकदमा मेरठ में चलाया गया । अतः इसे 'मेरठ षडयंत्र मुकदमा' कहते हैं । मेरठ मुकदमे के बाद भी श्रमिकों के आंदोलन पर साम्यवादियों का प्रभाव स्थायी रूप में रहा ।

मलहीओं के आंदोलन : भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं को दोयम स्थान प्राप्त था । कई अनिष्ट प्रथाओं और रीति-रिवाजों के कारण उन पर अन्याय होता था परंतु आधुनिक समय में इसके विरुद्‌ध जागृति होने लगी । महिलाओं के विषय में होने वाले सुधार आंदोलन में कुछ पुरुष सुधारकों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया । कालांतर में महिलाओं का नेतृत्व आगे आने लगा । उनकी स्वतंत्र संस्थाएँ और संगठन भी स्थापित होने लगे । पंडिता रमाबाई द्‌वारा स्थापित 'आर्य महिला समाज' और 'शारदा सदन' संस्थाएँ तथा रमाबाई रानडे द्‌वारा स्थापित 'सेवा सदन' संस्था उसके कुछ उदाहरण हैं । 'भारत महिला परिषद' (१९०४ ई.), 'ऑल इंडिया वूमेंस कॉन्फरेंस' (१९२७ ई.) जैसी संस्थाओं की भी स्थापना हुई । परिणामतः यह संस्थात्मक कार्य राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुँचा । इन संगठनों के माध्यम से महिलाएँ उत्ताधिकार, मतदान का अधिकार जैसी समस्याओं को लेकर संघर्ष करने लगीं ।

पंडिता रमाबाई

रमाबाई रानडे

भारत में वैद्‌यकीय सेवाएँ प्रदान करने वाली प्रथम महिला डॉक्टर रखमाबाई जनार्दन सावे हैं । उन्होंने स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य विषयक व्याख्यानमालाएँ चलाईं । उन्होंने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा प्रारंभ की ।

डॉ. रखमाबाई सावे

बीसवीं शताब्दी में सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का सहभाग बढ़ने लगा । राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकार्य में स्त्रियों का सहभाग महत्त्वपूर्ण रहा । १९३५ ई. के कानून के पश्चात प्रांतीय मंत्रिमंडल में भी स्त्रियों का समावेश हुआ । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में स्त्री-पुरुष समानता के सिद्‌धांत को स्थान दिया गया है ।

क्या तुम जानते हो ?

डॉ. आनंीबाई र ोशी : भारत की प्रथम महिला डॉक्टर है । उनका बेटा दस दिन का था; तब वह चल बसा । यही दुख उन्हें चिकित्सा शिक्षा की ओर ले जाने लिए कारण बना । उन्होंने मार्च १८८६ ई. में एम.डी. की उपाधि धारण की । भारत लौटते समय आनंदीबाई को क्षयरोग (टी.बी.) हुआ । आगे चलकर २६ फरवरी १८८७ ई. को पुणे में उनकी मृत्यु हुई ।

डॉ. आनंदीबाई जोशी

तिर्ल आंीलन : भारत की समाज रचना विषमता पर आधारित थी । समाज में दलितों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था । इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्‌ध महात्मा जोतीराव फुले, नारायण गुरु जैसे समाज सुधारकों ने जनजागरण किया । महात्मा फुले द्‌वारा दी गई सीख का अनुसरण करते हुए गोपालबाबा वलंगकर, शिवराम जानबा कांबले ने अस्पृश्यता उन्मूलन का कार्य किया। १८८८ ई. में गोपालबाबा वलंगकर ने 'विटाळ विध्वंसन' (अछूत ध्वंसन) पुस्तक द्‌वारा अस्पृश्यता का खंडन किया । शिवराम जानबा कांबले ने १ जुलाई १९०८ ई. को 'सोमवंशीय मित्र' नाम की मासिक पत्रिका प्रारंभ की । मुरलियों (देवदासी) और जोगतिनों (जोगिन) की समस्याओं को वाणी दी । साथ ही; देवदासियों के विवाह के लिए आगे बढ़कर प्रयास किए । तमिलनाडु में पेरियार रामस्वामी ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु आंदोलन प्रारंभ किया ।

महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे ने दलितों की उन्नति के लिए १९०६ ई. में 'डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन' नाम की संस्था स्थापित की । दलितों को आत्मसम्मान दिलाना, उन्हें शिक्षित और उद्‌यमी बनाना आदि उनके समाज कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था तथा उच्च वर्णियों के मन से दलितों के बारे में जो भ्रामक मान्यताएँ हैं; उन्हें दूर करना उनके कार्य का दूसरा भाग था । इसके लिए उन्होंने मुंबई में परेल, देवनार में मराठी विद्‌यालय और उद्‌योग शालाएँ खोलीं । पुणे में पर्वती मंदिर में प्रवेश हेतु हुए सत्याग्रह, दलितों के लिए आयोजित किसान परिषद, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र योजना आदि विषय में दलित वर्ग के हितों की दृष्टि से वे पूरी सक्रियता से हिस्सा लेते थे ।

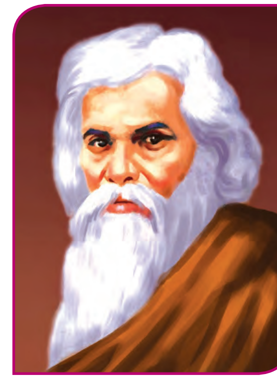
महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे

राजर्षि शाहू महाराज

राजर्षि शाहू महाराज ने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर के नेतृत्व को समर्थन दिया। उन्हीं की अवधि में ब्राह्मणेतर आंदोलन प्रारंभ हुआ । इस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया । राजर्षि शाहू महाराज ने कोल्हापुर रियासत में आरक्षण का क्रांतिकारी घोषणापत्र जारी किया । निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून बनाया । उन्होंने जातिभेद उन्मूलन के लिए ठोस कार्य किया । जातिव्यवस्था में रोटीबंदी, बेटीबंदी और व्यवसाय बंदी ये तीन प्रतिबंध लगे हुए थे । इस संदर्भ में उन्होंने सभाओं, परिषदों का आयोजन कर उनमें दलित लोगों के हाथों से भोजन ग्रहण किया और रोटीबंदी सार्वजनिक रूप से ठुकरा दी । शाहू महाराज की धारणा थी कि जब तक बेटीबंदी का पालन समाज में किया जाता रहेगा, तब तक जातिभेद समूल नष्ट नहीं होगा। उन्होंने अपनी रियासत में अंतर्जातीय विवाह को विधिवत मान्यता प्रदान करनेवाला कानून पारित किया। २२ फरवरी

१९१८ ई. को कोल्हापुर सरकार के गजट में घोषणापत्र प्रकाशित हुआ और रियासत में प्रचलित परजा-पवनी पद्धति (बलुतेदार पद्धति) नष्ट कर दी गई । सभी को अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने और करने की अनुमति प्रदान की गई । शाहू महाराज ने व्यवसाय स्वतंत्रता प्रदान कर एक तरह से सामाजिक दासता से लोगों को मुक्ति दिलाई ।

ठक्कर बाप्पा

दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने सामाजिक समता को लेकर बहुमूल्य कार्य किया । महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता की समस्या को प्राथमिकता देकर उसे कांग्रेस पार्टी के मंच पर रखा । जब वे येरवड़ा जेल में बंदी थे; तब उन्होंने सनातनी हिंदू पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया और प्रतिपादित किया कि अस्पृश्यता के लिए किसी भी शास्त्र का आधार नहीं है । उन्होंने हरिजन सेवक संघ को प्रेरणा दी । उनसे प्रेरणा लेकर अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर उर्फ ठक्कर बाप्पा, आप्पासाहेब पटवर्धन आदि कार्यकर्ताओं ने समता स्थापित करने के कार्य में स्वयं को झोंक किया ।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर के नेतृत्व में दलितों का संघर्ष प्रारंभ हुआ । स्वतंत्रता, समता और बंधुता सिद्धांतों पर आधारित समाज का निर्माण करना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर का लक्ष्य था । उनका मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था समूल नष्ट नहीं हो जाती तब तक दलितों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार का अंत नहीं होगा । समता का अधिकार दलितों का अधिकार है । उन्हें आत्मसम्मान पर आधारित आंदोलन अभिप्रेत था । इसी भूमिका को ध्यान में रखकर उन्होंने जुलाई १९२४ ई. में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की । उन्होंने अपने अनुयायियों को 'पढ़ो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो' का स्फूर्तिदायक संदेश दिया ।

बाबासाहेब बोले ने मुंबई प्रांत के विधान सभा में सार्वजनिक पनघट और जलाशय अस्पृश्यों के लिए खुले कर देने का विधेयक पारित करवा लिया था । फिर भी वास्तविकता यह थी कि दलितों के लिए ये पनघट और जलाशय खुले नहीं थे । परिणामस्वरूप डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर और उनके अनुयायियों ने महाड़ के चवदार तालाब पर सत्याग्रह किया । उन्होंने विषमता का समर्थन करने वाले 'मनुस्मृति' का दहन किया । नाशिक के कालाराम

महाड़ के चवदार तालाब का सत्याग्रह

मंदिर में दलितों को प्रवेश मिले; इसलिए १९३० ई. में सत्याग्रह प्रारंभ किया । कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया ।

समाचारपत्र डॉ.बाबाहेब आंबेडकर के आंदोलन का अभिन्न अंग थे । समाज में जागृति उत्पन्न करने और दुखों को वाणी देने के लिए डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत', 'जनता', 'समता' आदि समाचारपत्र प्रारंभ किए ।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने 'स्वतंत्र मजूर पक्ष' की स्थापना की । श्रमिकों के हित में जो कानून नहीं थे; उन कानूनों का उन्होंने विधान सभा में विरोध किया । दलितों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने १९४२ ई. में 'शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन' की स्थापना की । आधुनिक भारत में समता पर आधारित समाज रचना का निर्माण करने के कार्य में डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने भारतीय संविधान द्‍वारा महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । उन्होंने १९५६ ई. में नागपुर में अपने असंख्य अनुयायियों के साथ मानवता और समता का समर्थन करने वाले बौद्‍ध धर्म को स्वीकार किया ।

आधुनिक भारत के निर्माण में समता के लिए किए गए संघर्ष को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है ।

स्वाध्याय

१. तिए गए तक्कल्मों में से उतचा तक्कल्म चतुकर कथन पतु: तर्लाि ।

(लाला लजपतराय, साने गुरुजी, रखमाबाई जनार्दन सावे)

(१) .... ने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की ।

(२) अमलनेर मिल श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष .... थे ।

(३) आईटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष .... थे ।

२. तिप्पणी तर्लाि ।

(१) महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे का सामाजिक कार्य ।

(२) राजर्षि शाहू महाराज द्‍वारा कोल्हापुर रियासत में किए गए सुधार ।

३. तनम्न कथनों को कारणसतहत स्पष्ट करो ।

(१) सरकार ने साम्यवादी आंदोलन को कुचलने का निर्णय किया ।

(२) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने मूकनायक, बहिष्कृत भारत जैसे समाचारपत्र प्रारंभ किए ।

(३) राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की आवश्यकता अनुभव होने लगी ।

४. तनम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में तर्लाि ।

(१) आधुनिक भारत के निर्माण में समता का संघर्ष महत्त्वपूर्ण क्यों है ?

(२) पूर्व खानदेश में साने गुरुजी द्‍वारा किए गए कार्य लिखो ।

(३) श्रमिकों द्‍वारा प्रारंभ किए संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किस प्रकार सहायक सिद्‍ध हुए ?

(४) स्त्रियों से संबंधित आंदोलन का स्वरूप स्पष्ट करो ।

उपक्रम

(१) डॉ.आनंदीबाई जोशी के जीवन पर आधारित पुस्तक पढ़ो ।

(२) राजर्षि शाहू महाराज का चरित्रग्रंथ पढ़ो ।

9C65ZT

१२. स्वतंत्रता प्राप्ति

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भारत का स्वाधीनता संग्राम व्यापक बन गया था । भारत की स्वतंत्रता की माँग जोर पकड़ती जा रही थी । उसका गंभीरता से विचार करना आवश्यक है; इसका बोध अंग्रेज शासकों को हुआ । इस दृष्टि से भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अंग्रेज सरकार विभिन्न योजनाएँ बनाने लगीं ।

राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत पर हुआ था । राष्ट्रीय आंदोलन में सभी जाति-धर्मों के लोग सम्मिलित हुए थे । अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए 'फूट डालो और राज करो' की नीति का अवलंब किया था । इसका परिणाम 'मुस्लिम लीग' की स्थापना में हुआ ।

१९३० ई. में प्रसिद्ध कवि डॉ.मुहम्मद इकबाल ने स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का विचार रखा । कालांतर में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की संकल्पना प्रस्तुत की । बैरिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखकर स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान की माँग की । राष्ट्रीय कांग्रेस केवल हिंदुओं का संगठन है । इस संगठन से मुस्लिमों को कोई लाभ नहीं होगा; ऐसा प्रचार बै.जिन्ना और मुस्लिम लीग ने प्रारंभ किया ।

ि ि ि रोजना : जून १९४५ ई. में भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने एक योजना बनाई । इस योजना में विभिन्न प्रावधान थे । इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडल में मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्यकों को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा । वायसराय के कार्यकारी मंडल में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान रहेगी, जैसे कुछ प्रमुख प्रावधान थे । इस योजना पर विचार-विमर्श करने हेतु शिमला में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई । बै.जिन्ना ने आग्रह किया कि वायसराय के कार्यकारी मंडल में मुस्लिम प्रतिनिधियों के नाम सुझाने का अधिकार मात्र मुस्लिम लीग को होना चाहिए । राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। परिणामतः वेवेल योजना सफल नहीं हो सकी ।

लमं्त्रीर ोजना : द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने के पश्चात भारत को स्वतंत्रता देने के लिए ब्रिटिश शासक अनुकूल बने । ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने पार्लियामेंट में भारत के विषय में नीति स्पष्ट कर दी । इसके अनुसार भारत की जनता का भारतीय संविधान निर्माण करने का अधिकार मान्य किया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि अल्पसंख्यकों की समस्याएँ और मुद्दे भारत की स्वतंत्रता के आड़े नहीं आएँगे । १९४६ मार्च ई. में ब्रिटिश मंत्री पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी.अलेक्जांडर के प्रतिनिधि मंडल ने भारत के संदर्भ में इंग्लैंड की योजना को भारतीय नेताओं के सम्मुख रखा । इस योजना को 'त्रिमंत्री योजना' कहते हैं ।

इस योजना में निहित कुछ प्रावधान राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे । इसी तरह; इस योजना में मुस्लिमों के स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का प्रावधान नहीं था । अतः मुस्लिम लीग भी असंतुष्ट थी । परिणामस्वरूप त्रिमंत्री योजना पूर्णतः स्वीकार नहीं हुई ।

प्त्रक् कृलतलदसि : पाकिस्तान के निर्माण की माँग पूर्ण नहीं हो रही है; यह देखकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कृति करने का निश्चय किया । इसके अनुसार मुस्लिम लीग ने १६ अगस्त १९४६ ई. को प्रत्यक्ष कृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की । इस दिन मुस्लिम लीग के अनुयायियों ने हिंसक मार्ग का अवलंब किया । देश में विभिन्न स्थानों पर हिंदू-मुस्लिम दंगे-फसाद हुए । बंगाल प्रांत में नौखाली में भयंकर हत्याएँ हुईं । इस हिंसा को रोकने के लिए गांधीजी अपने प्राणों की परवाह किये बिना वहाँ गए । वहाँ शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयासों की पराकाष्ठा की ।

अ्थार ी सरकार का गठन : जब देश में हिंसा की आग धधक रही थी; तब वायसराय वेवेल ने अस्थायी सरकार का गठन किया । पं.जवाहरलाल नेहरू इस सरकार के प्रमुख थे । अस्थायी सरकार में सम्मिलित न होने का निर्णय प्रारंभिक समय में मुस्लिम लीग ने लिया था । आगे चलकर मुस्लिम लीग अस्थायी सरकार में सम्मिलित हुई परंतु मुस्लिम लीग के नेताओं ने अड़ियल नीति अपनाने के कारण अस्थायी सरकार का प्रशासन सुचारु रूप से चल नहीं सका ।

माउंबैनि रोजना : इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून १९४८ ई. के पहले इंग्लैंड भारत में अपनी सत्ता को समाप्त कर देगा । भारत में होने वाले सत्तांतर की पृष्ठभूमि में भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया । लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रमुख नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया । इसके पश्चात उन्होंने भारत और पाकिस्तान इन दो स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की योजना बनाई । राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन को विरोध था । राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का मूल आधार देश की एकता था परंतु मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण की हठवादिता पर उतर आई

थी । फलतः विभाजन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचा था । राष्ट्रीय कांग्रेस ने निरुपाय होकर विभाजन के निर्णय को स्वीकार किया ।

भारती् स्वतंत्ता का कानून : माउंटबेटन की बनाई हुई योजना के आधार पर १८ जुलाई १९४७ ई. को इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने भारत की स्वतंत्रता का कानून पारित किया । इस कानून में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार १५ अगस्त १९४७ ई. को भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में निर्माण होगा । इसके पश्चात इन राष्ट्रों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा । रियासतों पर भी ब्रिटिशों का कोई स्वामित्व नहीं रहेगा । वे भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा स्वतंत्र रह सकते हैं ।

स्वतंत्ता प्राप्ति : भारतीय स्वतंत्रता कानून के अनुसार १५ अगस्त १९४७ ई. को भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई । १४ अगस्त १९४७ ई. की मध्यरात्रि को दिल्ली के संसद भवन के सभागार में संविधान सभा की बैठक हो रही थी । मध्यरात्रि के बारह बजे और भारत की पराधीनता समाप्त हुई । ब्रिटिशों का यूनियन जैक नीचे उतारा गया और उसके स्थान पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया । डेढ़ सौ वर्षों की पराधीनता से भारत स्वतंत्र हुआ ।

स्वतंत्रता का आनंद विशुद्ध आनंद नहीं था । देश का विभाजन हुआ । विभाजन को लेकर भयंकर हिंसा हुई थी । इस हिंसा से भारतीय जनता के मन दुखी थे । स्वतंत्रता समारोह में गांधीजी सम्मिलित नहीं हुए थे । उस समय वे बंगाल में शांति स्थापित करने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना बहा रहे थे । भारत स्वतंत्र होने के केवल छह महीने में ३० जनवरी १९४८ ई. को नथूराम गोडसे ने गांधीजी की जघन्य हत्या की । हिंदू-मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए गांधीजी रात-दिन परिश्रम करते रहे और इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया ।

स्वाध्_ा

१. षदए गए षवकलपों में से उषचत षवकलप चुनकर क् न पुनः षलषिए ।

(१) .... अस्थायी सरकार के प्रमुख थे ।
(अ) वल्लभभाई पटेल (ब) महात्मा गांधी
(क) पं.जवाहरलाल नेहरू (ड) बै.जिन्ना

(२) भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण करने की योजना ..... ने तैयार की ।
(अ) लॉर्ड वेवेल (ब) स्टैफोर्ड क्रिप्स
(क) लॉर्ड माउंटबेटन (ड) पैथिक लॉरेंस

२. षनम्न प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक् में षलषिए ।

(१) बै.जिन्ना ने किस माँग का हठवादिता से समर्थन किया ।
(२) त्रिमंत्री योजना में सहभागी मंत्रियों के नाम लिखो ।

३. षनम्न क् नों को कारण सषहत स्पष्ट करो ।

(१) राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया ।
(२) अस्थायी सरकार का प्रशासन सुचारु रूप से चल नहीं सका ।
(३) वेवेल योजना सफल नहीं हो सकी ।

४. दी गई कालरेषा पर घटनाक्रम षलषिए ।

१९४५ ई. १९४६ ई. १९४७ ई. १९४८ ई.

५. षनम्न प्रश्नों के उत्तर षवस्तार में षलषिए ।

(१) ब्रिटिशों ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से क्या प्रयास प्रारंभ किए ?
(२) माउंटबेटन योजना के विषय में जानकारी लिखो ।
(३) मुस्लिम लीग ने १६ अगस्त का दिन प्रत्यक्ष कृति दिन के रूप में मनाने की घोषणा क्यों की ? उसके क्या परिणाम हुए ?

उपक्रम

विभिन्न संदर्भ ग्रंथों और अंतरजाल की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामान्य जनता की क्या प्रतिक्रियाएँ थीं; इस विषय में जानकारी प्राप्त करो ।

9CF22G

१३. स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति

भारत स्वतंत्र हुआ । फिर भी स्वतंत्रता युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ था । भारत में अनेक रियासतें, राजे-रजवाड़े थे । उन्हें भारत में सम्मिलित होने अथवा स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त हुआ था । परिणामतः एकीकृत भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वप्न अधूरा रह गया था । रियासतों के स्वतंत्र रहने से भारत के खंड-खंड होने की संभावना थी । भारत के कुछ क्षेत्रों और हिस्सों पर पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों की सत्ता बनी हुई थी और उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी नहीं थी परंतु भारत ने दृढ़तापूर्वक ये समस्याएँ हल कीं । इसकी जानकारी हम इस पाठ में प्राप्त करेंगे ।

भारत में रियासतों का विलय : भारत में छोटी-बड़ी मिलाकर छह सौ से अधिक रियासतें थीं । असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया था ।

सरदार वल्लभभाई पटेल

रियासतों में प्रजा मंडलों की स्थापना होने लगी थी । विभिन्न रियासतों की प्रजा के हितों और उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराने के लिए कार्य करने वाले जनसंगठन थे । उन्हें प्रजा मंडल कहते थे । १९२७ ई. में ऐसे प्रजा मंडलों को मिलाकर एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की गई । फलस्वरूप रियासतों में प्रारंभ हो चुके आंदोलन को प्रेरणा मिली । भारत स्वतंत्र होने के पश्चात इन रियासतों के विलयीकरण की समस्या हल करने का दायित्व भारत के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को सौंपा गया और उन्होंने इस समस्या का हल बड़े कूटनीतिक ढंग से निकाला। उन्होंने रियासतदारों को विश्वास दिलाकर सभी को स्वीकार होगा; ऐसा 'विलयपत्र' तैयार किया ।

भारत में विलीन होना रियासतदारों के हित में किस प्रकार है; यह सरदार पटेल ने रियासतदारों को समझाया । उनके इस आवाहन को रियासतदारों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया । जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर रियासतों को छोड़कर अन्य रियासतें भारत में विलीन हुईं । रियासतों के विलय की समस्या को हल करने के लिए सरदार पटेल ने दृढ़ भूमिका अपनाई ।

जूनागढ़ का विलय : जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक रियासत थी । वहाँ की प्रजा भारत में सम्मिलित होना चाहती थी लेकिन जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में सम्मिलित होने की सोच रहा था । उसके इस निर्णय का वहाँ की प्रजा ने कड़ा विरोध किया । तब नवाब पाकिस्तान चला गया । इसके पश्चात १९४८ फरवरी ई. में जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ ।

हैदराबाद मुक्ति संग्राम : हैदराबाद भारत में सब से बड़ी रियासत थी । इसमें तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषी प्रांत थे। यहाँ निजाम का एकछत्र शासन था । रियासत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अभाव था । हैदराबाद रियासत की जनता ने तेलंगाना क्षेत्र में आंध्र परिषद, मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक परिषद की स्थापना की । स्वामी रामानंद तीर्थ ने १९३८ ई. में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की ।

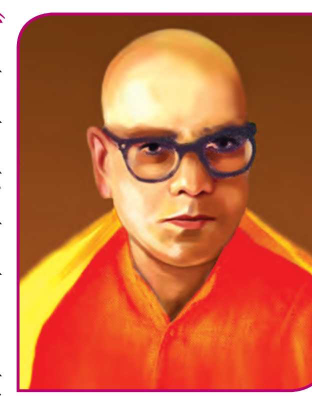

स्वामी रामानंद तीर्थ

निजाम ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया । हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को मान्यता दिलवाने और लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संग्राम प्रारंभ हुआ । इस संग्राम का नेतृत्व जुझारू सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ ने किया । उन्हें नारायण रेड्डी,

सिराज-उल्-हसन तिरमिजी का सहयोग प्राप्त हुआ। पी.वी.नरसिंहराव और गोविंदभाई श्रॉफ स्वामी जी के निष्ठावान अनुयायी थे।

जुलाई १९४७ ई. में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया जाए, परंतु निजाम ने भारत विरोधी नीति अपनाई। उसने हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में विलीन करने की दृष्टि से गतिविधियाँ प्रारंभ की। कासिम रजवी निजाम का सहयोगी था। रियासत को भारत में विलीन करने की माँग को दबाने के लिए उसने 'रजाकार' नाम का संगठन स्थापित किया। कासिम रजवी और उसके साथियों ने न केवल हिंदुओं पर ही अपितु लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करने वाले मुस्लिमों पर भी अत्याचार किए। फलस्वरूप सभी ओर लोकमत धधकने लगा। भारत सरकार निजाम के साथ समझदारी के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रही थी परंतु निजाम मान नहीं रहा था। अंततः भारत सरकार ने १३ सितंबर १९४८ ई. को निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही प्रारंभ की। इसका सांकेतिक नाम 'ऑपरेशन पोलो' था। अंत में १७ सितंबर १९४८ ई. को निजाम ने आत्मसमर्पण किया। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। रियासत की प्रजा का यह संग्राम सफल हुआ। इस संग्राम में आर्य समाज का विशेष योगदान रहा।

हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा का योगदान : इस संग्राम में स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबासाहेब परांजपे, गोविंदभाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, आशाताई वाघमारे, माणिकचंद पहाडे आदि ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

'वंदे मातरम्' आंदोलन द्‌वारा विद्‌यार्थी हैदराबाद मुक्ति संग्राम में सहभागी हुए। इसी तरह; हैदराबाद मुक्ति संग्राम में वेदप्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पानसरे, बहिर्जी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएब-उल्ला-खाँ आदि ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका बलिदान भारतीयों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्‌ध हुआ। इससे ध्यान में आता है कि हैदराबाद के मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा के नेताओं और सामान्य लोगों का असाधारण योगदान रहा।

१७ सितंबर हैदराबाद मुक्ति संग्राम का विजय दिन है। इस दिन को मराठवाड़ा में 'मराठवाड़ा मुक्ति दिवस' के रूप में मनाया जाता है। १५ अगस्त १९४७ ई. को स्वतंत्र भारत में मराठवाड़ा का समावेश नहीं हुआ था। १९४८ ई. में हुए जनता के उत्स्फूर्त संग्राम के बाद इस क्षेत्र का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ।

कश्मीर समस्या : कश्मीर रियासत का नरेश हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो। इसके लिए पाकिस्तान ने हरि सिंह पर दबाव लाना प्रारंभ किया। अक्तूबर १९४७ ई. को पाकिस्तान के उकसाने और भड़काने पर शस्त्रधारी घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। तब हरि सिंह ने भारत में विलय होने के विलयपत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार भारत में विलीन होने के पश्चात भारतीय सेना को कश्मीर की रक्षा हेतु भेजा गया। सेना ने कश्मीर का विशाल क्षेत्र घुसपैठियों के हाथ से पुनः अपने अधिकार में कर लिया परंतु कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में रह गया।

फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय : भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भी चंद्रनगर, पुदुच्चेरी, कारिकल, माहे और यानम प्रदेशों पर फ्रांस का आधिपत्य था। उन प्रदेशों के भारतीय लोग भारत में सम्मिलित होने को उत्सुक थे। ये प्रदेश भारत के घटक थे। अतः वे भारत को सौंपे जाएँ; यह माँग भारत ने की।

फ्रांस ने १९४९ ई. में चंद्रनगर में सार्वमत लिया। वहाँ की जनता ने भारत के पक्ष में सार्वमत दिया। चंद्रनगर भारत को सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात फ्रांस ने भारत के अन्य प्रदेश भी भारत सरकार को सौंप दिए।

गोआ मुक्ति संघर्ष: पुर्तगाल ने अपने अधिकार का प्रदेश भारत को सौंपने से इनकार कर दिया। उस प्रदेश को पाने के लिए भारतीयों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में डॉ.टी.बी.कुन्हा अग्रसर थे। उन्होंने पुर्तगाली सरकार के विरुद्‌ध जनता में जागृति

डॉ. टी. बी. कुन्हा

निर्माण करने का कार्य किया । पुर्तगालियों के विरुद्‌ध संघर्ष करने के लिए उन्होंने गोआ कांग्रेस समिति की स्थापना की । आगे चलकर १९४५ ई. में डॉ.कुन्हा ने मुंबई में ‘गोआ यूथ लीग’ संगठन की स्थापना की । १९४६ ई. में वे गोआ गए और भाषणबंदी का आदेश तोड़ा । इसके लिए डॉ.कुन्हा को आठ वर्ष कारावास का दंड सुनाया गया । १९४६ ई. में ही डॉ.राममनोहर लोहिया ने गोआ मुक्ति के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया । उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेश ठुकराकर गोआ के मड़गाँव में भाषण किया । इसके लिए उन्हें पुर्तगाली सरकार ने गोआ की सीमा से पार कर दिया ।

इसी समय गुजरात के दादरा और नगर हवेली के पुर्तगाली उपनिवेश को मुक्त करने के लिए ‘आजाद गोमंतक’ दल स्थापित किया गया । २ अगस्त १९५४ ई. को इस दल के युवाओं ने सशस्त्र आक्रमण कर दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली सत्ता से मुक्त किया । इस आक्रमण में विश्वनाथ लवंदे, राजाभाऊ वाकणकर, सुधीर फड़के, नानासाहेब काजरेकर आदि ने हिस्सा लिया था ।

१९५४ ई. में गोआ मुक्ति समिति स्थापित की गई । इस समिति ने महाराष्ट्र से सत्याग्रहियों की अनेक टुकड़ियाँ गोआ में भेजीं । उनमें ना.ग.गोरे, सेनापति बापट, पीटर अल्वारिस, महादेव शास्त्री जोशी और उनकी पत्नी सुधाताई आदि का सहभाग था । मोहन रानडे गोआ मुक्ति आंदोलन के एक जुझारू नेता थे । पुर्तगाली सत्ता ने सत्याग्रहियों पर अनगिनत अन्याय और अत्याचार किए । परिणामतः भारत का जनमत अधिक क्षुब्ध हुआ ।

गोआ के स्वाधीनता युद्‌ध ने भयानक और उग्र स्वरूप धारण किया । भारत सरकार पुर्तगाली सरकार के साथ समझदारी और संयम से बातचीत कर रही थी परंतु पुर्तगाली सरकार मान नहीं रही थी । अंततः विवश होकर भारत सरकार ने सैनिकी बल का उपयोग करने का निर्णय किया । दिसंबर १९६१ ई. को भारतीय सेना ने गोआ में प्रवेश किया । शीघ्र ही पुर्तगाली सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया । १९ दिसंबर १९६१ ई. को गोआ पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुआ । भारत की भूमि से साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़कर फेंका गया । भारत के स्वतंत्रता युद्‌ध की सच्चे अर्थ में परिपूर्ति हुई ।

9CNX44

स्वाध्याय

१. तिए गए तक्कल्मों में से उतर्चा तक्कल्म चतुकर कथन पतु: तलाि ।

(१) भारत में छोटी-बड़ी मिलाकर छह सौ से अधिक .... ।
(अ) राज्य थे (ब) देहात थे
(क) रियासतें थीं (ड) शहर थे

(२) जूनागढ़, ... और कश्मीर रियासतों को छोड़कर अन्य रियासतें भारत में विलीन हुईं ।
(अ) औंध (ब) झाँसी (क) वड़ोदरा (ड) हैदराबाद

२. तन्मम कथनों को कारणसतहि स्मष्ट करो ।

(१) जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ ।

(२) भारत सरकार ने निजाम के विरुद्‌ध पुलिस कार्यवाही प्रारंभ की ।

(३) भारत में विलीन होने के विलयपत्र पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए ।

३. तन्मम प्रश्नों के उतरि संक्ेप में तलाि ।

(१) रियासतों की विलय प्रक्रिया में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को स्पष्ट करो ।

(२) हैदराबाद मुक्ति संग्राम में स्वामी रामानंद तीर्थ के योगदान को स्पष्ट करो ।

उपक्रम

‘हैदराबाद मुक्ति संग्राम’ विषय पर चित्र और जानकारी इकट्‌ठी करो । उसपर आधारित सारिणियों की प्रदर्शनी इतिहास की कक्षा में आयोजित करो ।

१४. महाराष्ट्र राज्य का निर्माण

भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भाषावार प्रांत रचना की माँग बड़ी मात्रा में की जा रही थी । महाराष्ट्र में भी मराठी भाषी राज्य की माँग की जाने लगी । इसके लिए १९४६ ई. से 'संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन' प्रारंभ हुआ था । यह आंदोलन कई मोड़ों और परिवर्तनों को पार करता हुआ अंततः १ मई १९६० ई. को महाराष्ट्र राज्य के निर्माण तक पहुँच गया ।

पृष्ठभूमि : मराठी भाषी लोगों के एकीकरण का विचार बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अनेक जानकारों ने प्रकट करना शुरू किया । १९११ ई. में अंग्रेज सरकार को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा था । इस पृष्ठभूमि में न.चिं.केलकर ने लिखा कि 'मराठी भाषियों की समग्र जनसंख्या एक शासन के नीचे होनी चाहिए ।' १९१५ ई. में लोकमान्य तिलक ने भाषावार प्रांत रचना की माँग उठाई थी परंतु उस समय भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण था । अतः तिलक की माँग पीछे रह गई ।

१२ मई १९४६ ई. को बेलगाँव में आयोजित साहित्य सम्मेलन में संयुक्त महाराष्ट्र के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया ।

संयुक्त महाराष्ट्र परिषद : २८ जुलाई को मुंबई में शंकरराव देव की अध्यक्षता में 'महाराष्ट्र एकीकरण परिषद' आयोजित की गई । इस परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि मराठी भाषी प्रदेशों का एक प्रांत बनाया जाए और इसमें मुंबई, मध्य प्रांत के मराठी भाषी तथा मराठवाड़ा और गोमतंक के मराठी भाषी क्षेत्रों का समावेश किया जाए ।

दार कमीशन : संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ.राजेंद्रप्रसाद ने १७ जून १९४८ ई. को न्यायाधीश एस.के.दार की अध्यक्षता में भाषावार प्रांत रचना के लिए 'दार कमीशन' की स्थापना की । १० दिसंबर १९४८ ई. को दार कमीशन का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रकाशित हुआ परंतु इससे यह समस्या हल नहीं हो सकी ।

जे.वी.पी.समिति (त्रिसदस्य समिति) : भाषावार प्रांत रचना निर्माण करने की स्थिति का अध्ययन करने हेतु कांग्रेस ने २९ दिसंबर १९४८ ई. को एक समिति गठित की । इसमें पं.जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभिसितारामय्या का समावेश था । इन तीन सदस्यों के प्रथम अक्षरों के आधार पर यह समिति जे.वी.पी.के रूप में जानी जाती है । इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की कि भाषावार प्रांत रचना कांग्रेस को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार है परंतु यह उचित समय नहीं है । इस प्रतिवेदन के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में तीखी प्रतिक्रियाएँ उभरीं । इसी समय जनजागृति के लिए सेनापति बापट ने प्रभात फेरियाँ निकालीं ।

आचार्य अत्रे ने मुंबई नगर निगम में मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र का प्रस्ताव रखा । यह प्रस्ताव ५० विरुद्ध ३५ मतों से पारित हुआ । इससे जनता की यह इच्छा स्पष्ट हो गई कि मुंबई महाराष्ट्र में होनी चाहिए ।

राज्य पुनर्रचना आयोग : भारत सरकार ने न्यायमूर्ति एस.फजल अली की अध्यक्षता में २९ दिसंबर १९५३ ई. को 'राज्य पुनर्रचना आयोग' का गठन किया । इस आयोग ने १० अक्तूबर १९५५ ई. को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इस प्रतिवेदन में उन्होंने मुंबई का द्विभाषी राज्य निर्माण करने की सिफारिश की ।

नागपुर समझौता : सभी मराठी भाषी जनता का एक राज्य गठित करने हेतु १९५३ ई. में नागपुर समझौता हुआ । इस समझौते के अनुसार पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ-मराठवाड़ा सहित संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण हुआ । संविधान में १९५६ ई. के संशोधन के अनुसार धारा ३७१ (२) का संविधान में समावेश किया गया । उसके अनुसार विकास कार्य के लिए न्यायपूर्ण राशि, तकनीकी और व्यावसायिक

शिक्षा हेतु पर्याप्त राशि, उस-उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में राज्य शासन की सेवा में नौकरियों के अवसर और महाराष्ट्र विधान सभा का वर्ष में एक सत्र नागपुर में लेना आदि बातों का आश्वासन नागपुर समझौता द्‍वारा दिया गया ।

मराठी भाषियों का मुंबई सहित महाराष्ट्र का निर्माण होना चाहिए; इस हेतु संघर्ष प्रारंभ हुआ था । मुंबई में कामगार मैदान पर विशाल सभा हुई। उसमें शंकरराव देव ने कहा, 'महाराष्ट्र से मुंबई को कोई अलग करेगा तो हम प्राणपण से उसका विरोध करेंगे।' जनता की भावनाओं और माँगों को जनआंदोलन का स्वरूप प्राप्त होने लगा । उनमें महिलाएँ भी उत्स्फूर्त रूप से सम्मिलित होने लगीं । आंदोलन में सुमतीबाई गोरे, इस्मत चुगताई, दुर्गा भागवत, तारा रेड्डी, चारुशीला गुप्ते, कमलाताई मोरे, सुलताना जोहारी जैसी अनेक महिलाएँ सहभागी थीं ।

७ नवंबर १९५५ ई. को श्रमिकों की सभा हुई। इसमें विविध मजदूर संस्थाएँ, कम्यूनिस्ट, प्रजा समाजवादी, समाजवादी, शेतकरी कामगार पक्ष, जनसंघ जैसे कई राजनीतिक दल सम्मिलित हुए । सभा के अध्यक्ष कामरेड श्रीपाद अमृत डांगे थे । इस अधिवेशन में एस.एम.जोशी ने प्रस्ताव रखा कि मुंबई और विदर्भ सहित संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण किया जाना चाहिए ।

प्रत्यक्ष संघर्ष का प्रारंभ : मराठी भाषी जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था । सेनापति बापट के नेतृत्व में विधान सभा पर एक विशाल जुलूस निकाला गया । उस समय मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे । सरकार ने प्रतिबंधात्मक आदेश की घोषणा की। पुलिस ने जुलूस पर लाठियाँ चलाईं, आँसू गैस के गोले छोड़े । इसी दिन शाम को कामगार मैदान पर लगभग ५० हजार लोगों की सभा हुई । कॉमरेड डांगे ने मार्गदर्शन किया । संयुक्त महाराष्ट्र की माँग का यह संघर्ष अधिक गतिमान बनाने के लिए २१ नवंबर १९५५ ई. को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया गया ।

प्र.के.अत्रे

संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना : मराठी भाषी जनता की संयुक्त महाराष्ट्र की माँग की समस्या गंभीर बनती गई । पूरे राज्य में असंतोष धधक रहा था । ६ फरवरी १९५६ ई. को केशवराव जेधे की अध्यक्षता में पुणे के तिलक स्मारक मंदिर में सभा हुई । इस सभा में समिति ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की । इसके अनुसार कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे की अध्यक्ष पद पर, डॉ.त्र्यं. रा.नरवणे की उपाध्यक्ष पद पर तथा एस.एम.जोशी की सचिव पद पर नियुक्ति की गई। समिति के गठन में ग.त्र्यं.माडखोलकर, आचार्य प्र.के.अत्रे, मधु दंडवते, प्रबोधनकार केशव ठाकरे, य.कृ.सोवनी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई । इनके साथ-साथ सेनापति बापट, क्रांतिसिंह नाना पाटील, लालजी पेंडसे, अहिल्याबाई रांगणेकर ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिया । यह आंदोलन महाराष्ट्र के गाँव-देहात तक पहुँचा ।

एस.एम.जोशी

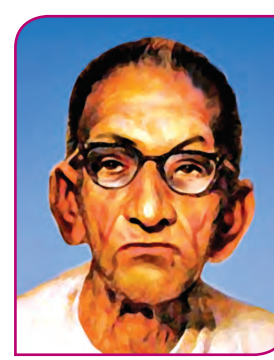

प्रबोधनकार ठाकरे

जिस समय यह स्पष्ट हुआ कि मुंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलेगी; तब विशाल जनआंदोलन प्रारंभ हुआ । इस आंदोलन में राज्य सरकार ने गोलियाँ चलाई । इस गोलीबारी में १०६ लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया । आगे चलकर संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण में अपने प्राण बिछाने वाले १०६ सुपुत्रों का 'हुतात्मा स्मारक' मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन

क्या तुम जानते हो ?

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे

शाहीर अमर शेख

शाहीर द.ना.गवाणकर

मराठी समाचारपत्रों और शाहीरों (शौर्यगान गानेवाले) का कार्य: इस आंदोलन में समाचारपत्रों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही । प्रबोधन, केसरी, सकाल, नवाकाल, नवयुग, प्रभात जैसे अनेक समाचारपत्रों ने जनजागरण का कार्य किया । संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में आचार्य अत्रे के 'मराठा' समाचारपत्र ने उल्लेखनीय कार्य किया । बालासाहेब ठाकरे ने 'मावळा' (मावला) उपनाम से कारटून बनाकर जनआंदोलन को व्यापक बनाया ।

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख और शाहीर द.ना.गवाणकर ने अपनी लेखनी द्‌वारा व्यापक रूप में जनजागरण किया ।

के पास बनवाया गया है ।

१ नवंबर १९५६ ई. को द्‌विभाषी मुंबई राज्य अस्तित्व में आया । इसके बाद १९५७ ई. में लोकसभा, विधानसभा और मुंबई नगरनिगम के चुनाव हुए । इन चुनावों में संयुक्त महाराष्ट्र समिति को बड़ी सफलता प्राप्त हुई । चुनावों के परिणामों से यह स्पष्ट हो गया कि मतदाता द्‌विभाषी राज्य के विरोध में और संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में हैं ।

प्रतापगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारुढ़ प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री पं.जवाहरलाल नेहरू के हाथों ३० नवंबर १९५७ ई. को होना था । इस दिन संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने भाई माधवराव बागल के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला । एस.एम.जोशी, ना.ग.गोरे, जयवंतराव तिलक, प्र.के. अत्रे, उद्‌धवराव पाटील आदि नेता उपस्थित थे । समिति ने पसरणी घाट और पोलादपुर के पास जबर्दस्त प्रदर्शन किया । मराठी भाषियों की भावनाओं और समग्र परिस्थिति का बोध पं.नेहरू को कराने में समिति सफल हुई ।

उद्‌धवराव पाटील

संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नेतृत्व में हुए आंदोलन के फलस्वरूप केंद्र सरकार महाराष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु अनुकूल हुई । इस समय कांग्रेस अध्यक्षा इंदिरा गांधी ने अपने प्रभाव का उपयोग संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में किया । केंद्र सरकार ने दो भाषी प्रांतों- महाराष्ट्र और गुजरात की रचना को मान्यता प्रदान की । अप्रैल १९६० ई. में संसद ने मुंबई पुनर्रचना कानून को पारित किया । इस कानून के अनुसार १ मई १९६० ई. को महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया ।

१ मई १९६० ई. को तड़के राजभवन में विशेष समारोह हुआ । इस समारोह में पंडित नेहरू ने 'श्रमिक दिवस' के दिन महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक रूप में घोषणा की । महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में यशवंतराव चव्हाण ने दायित्व संभाला ।

यशवंतराव चव्हाण

स्वाध्याय

१. तिए गए तिकल्पों में से उतचत तिकल्प चतुकर कथन पतु: तलति ।

(१) १ मई १९६० ई. को .... राज्य का निर्माण हुआ ।

(अ) गोआ (ब) कर्नाटक (क) आंध्र प्रदेश (ड) महाराष्ट्र

(२) मुंबई नगर निगम में मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र का प्रस्ताव .... ने रखा ।

(अ) ग.त्र्यं.माडखोलकर (ब) आचार्य अत्रे (क) द.वा.पोतदार (ड) शंकरराव देव

(३) महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में .... ने दायित्व संभाला ।

(अ) यशवंतराव चव्हाण (ब) पृथ्वीराज चव्हाण (क) शंकरराव चव्हाण (ड) विलासराव देशमुख

२. तनम्न कथनों को कारण सतहत स्पष्ट करो ।

(१) संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन किया गया ।

(२) संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में समाचारपत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण थी ।

३. तटप्पणी तलति ।

(१) संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ।

(२) संयुक्त महाराष्ट्र समिति का योगदान ।

४. तनम्न संकल्पनातचत्र पूण्ड करो ।

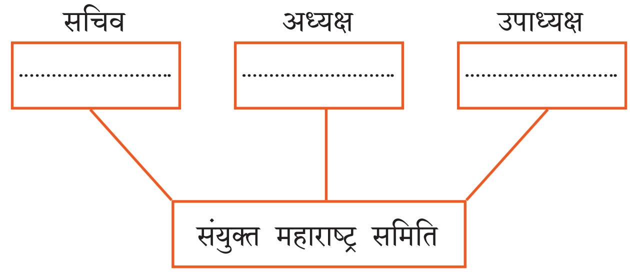

उपक्रम

महाराष्ट्र के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करो और उस पर आधारित परियोजना शिक्षकों की सहायता से तैयार करो ।

9KNNX9

नागरिकशास्त्र

(संसदीय शासन प्रणाली)

अनुक्रमणिका

क्र.	पाठ का नाम	पृष्ठ क्रमांक
१.	संसदीय शासन प्रणाली का परिचय	६८
२.	भारत की संसद	७१
३.	केंद्रीय कार्यकारी मंडल	७५
४.	भारत की न्यायपालिका	७९
५.	राज्य सरकार	८३
६.	नौकरशाही	८६

अध्ययन निष्पत्ति

उपयोजित शैक्षणिक प्रक्रिया	अध्ययन निष्पत्ति
व्यक्तिगत/ अध्ययनार्थीको जोड़ी से / गुटों में अध्ययन का अवसर प्रदानकरना और उसे निम्न बातों के लिए प्रेरित करना । • संविधान, संसद, न्यायसंस्था, पार्श्वीकरण (marginalisation) जैसी संकल्पनाओं पर आधारित चर्चा में सहभागी होना । • भारतीय संविधान का महत्व, उद्देशिका, संसदीय शासन प्रणाली, सत्ता का विभाजन, संघराज्यवाद पर रेखाचित्र और चित्रों के साथ भित्तिपत्र बनाना और लिखित/मौखिक रूप में उनका प्रस्तुतीकरण करना । • कक्षा/विद्यालय/घर/समाज में स्वतंत्रता, समता, बंधुता इन तत्वों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इसपर विचार-विमर्श करना । • राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश के लोकसभा चुनाव क्षेत्र के मानचित्र का निरीक्षण करना । • बालसंसद और अभिरूप आचार संहिता के साथ अभिरूप चुनाव का आयोजन करना । • अपने क्षेत्र के/नजदीकी पंजीकृत मतदाताओं की सूची तैयार करना । • अपने क्षेत्र में मतदान का महत्व इस विषय पर जागृति अभियान का आयोजन करना । • अपने निर्वाचन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना । • प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के लिखित अंश की जाँच-पड़ताल करना । • दावेदार के साथ जो न्याय होता है उसमें न्यायाधीशों की भूमिका को लेकर विस्तृत और विश्लेषणात्मक लेखन के माध्यम से स्वमत अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना । • विशेषतः स्त्रियाँ, अनुसूचित जाति और जनजाति, घुमंतू जनजातियाँ, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, दिव्यांग, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, अन्य उपेक्षित वर्ग के मानवी अधिकारों का हनन, संरक्षण और प्रचार पर गुटचर्चा का आयोजन करना । • बालमजदूर, बच्चों के अधिकार और भारत की फौजदारी न्याय व्यवस्था पर भूमिका का पालन करना । • सार्वजनिक सुविधाएँ और जल, स्वास्थ्य, बिजली की उपलब्धता में विषमता जैसे विषयों पर सह-अध्यायियों के साथ अपने अनुभवों को आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करना । • सार्वजनिक सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए सरकार किस प्रकार उत्तरदायी होती है, इसपर विचार-विमर्श का आयोजन करना ।	**अध्ययनार्थी** 08.73H.14 भारत के संविधान के संदर्भ में अपने क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का अन्वयार्थ लगाते हैं । 08.73H.15 राज्य सरकार और केंद्र शासन के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं । 08.73H.16 लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करते हैं । 08.73H.17 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के मानचित्र में अपने निर्वाचन क्षेत्र का स्थान निश्चित करके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नाम लिखते हैं । 08.73H.18 विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करते हैं । (उदा. घरेलू हिंसा से रक्षा करने वाला कानून, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि ।) 08.73H.19 कुछ महत्वपूर्ण न्यायालयीन फैसले बताकर उनके आधार पर न्यायालयीन व्यवस्था का कार्य स्पष्ट करते हैं । 08.73H.20 प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे दर्ज की जाती है, उसका प्रत्यक्षीकरण दिखाते हैं । 08.73H.21 अपने प्रदेश के दुर्बल समाज वर्गों को दायरे से बाहर क्यों रहना पड़ता है, उन कारणों और परिणामों का विश्लेषण करते हैं । 08.73H.22 जल, सार्वजनिक स्वच्छता, सड़क, बिजली आदि सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सरकार की भूमिका को जानते हैं और इन सेवाओं की उपलब्धता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं । 08.73H.23 महाराष्ट्र की शासन व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट करते हैं ।

१. संसदीय शासन प्रणाली का परिचय

भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन हम प्रस्तुत पाठ में करेंगे ।

क्या ये प्रश्न तुम्हें भी अनुभव हुए हैं ?

- संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं ?
- भारत के प्रधानमंत्री हैं परंतु अमेरिका के प्रधानमंत्री क्यों नहीं ?
- संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है ?

उपर्युक्त उल्लिखित कुछ प्रश्नों से हमारे ध्यान में आता है कि प्रत्येक देश की शासन प्रणाली का स्वरूप एक-दूसरे से भिन्न है । विविध प्रकार की शासन प्रणालियों का स्वरूप जानने से पहले हम शासन संस्थाओं के मुख्य अंगों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे ।

इस संस्था में विधान मंडल कानून बनाने का कार्य करता है । कार्यकारी मंडल उन कानूनों की प्रत्यक्ष रूप में कार्यवाही करता है । न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है । संविधान द्‌वारा इन तीनों अंगों के कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाएँ तथा तीनों अंगों के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं । ये संबंध किस स्वरूप के हैं; इसपर शासन संस्था का स्वरूप निश्चित होता है ।

इसके आधार पर शासन प्रणाली के बने मुख्य दो प्रकार दिखाई देते हैं । (१) संसदीय शासन प्रणाली (२) अध्यक्षीय शासन प्रणाली ।

संसदीय शासन प्रणाली

संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड में विकसित हुई । इंग्लैंड का संविधान अलिखित है । आज भी वहाँ के शासन का अधिकांश कार्य रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है । 'पार्लियामेंट' भी वहाँ की उत्क्रांत संस्था है । पार्लियामेंट पर आधारित पार्लियामेंटरी (Parliamentary) शासन प्रणाली को इंग्लैंड का योगदान माना जाता है । भारत में इस शासन प्रणाली को हमने संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है । अर्थात् इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में व्यापक रूप में समानता पाई जाती है परंतु संस्थात्मक उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली भिन्न है ।

संसदीय शासन प्रणाली की निम्न विशेषताओं की हम जानकारी प्राप्त करेंगे ।

- संसदीय शासन प्रणाली शासन चलाने की एक प्रणाली है । केंद्रीय शासन प्रणाली के विधान मंडल को 'संसद' कहा जाता है । भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है ।
- संसद की लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्‌वारा किया जाता है । इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है ।
- निर्धारित समयावधि के पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं । इन चुनावों में सभी राजनीतिक दल सहभागी होते हैं । इन चुनावों में जिस राजनीतिक दल को आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, उस दल को बहुमत प्राप्त दल माना जाता है । बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है ।
- कई बार किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, ऐसे समय कुछ राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं और वे सरकार स्थापित करते हैं । इसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है ।
- इस प्रकार जनता द्‌वारा चुने गए प्रतिनिधि विधान मंडल के सदस्य बन जाते हैं और जिस

राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है, वह दल सरकार बना सकता है ।

- जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और वह अपने कुछ सहयोगियों का मंत्री पदों के लिए चुनाव करता है ।
- प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल संसदीय शासन प्रणाली में निहित कार्यकारी मंडल है । संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल पर दोहरा दायित्व रहता है । (१) कार्यकारी मंडल के रूप में उसे कानून का कार्यान्वयन करना पड़ता है । (२) वे विधान मंडल के सदस्य भी होते हैं । अतः उन्हें विधान मंडल के प्रति दायित्वों को भी निभाना पड़ता है ।

प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए पुनः विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं । इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल को विधान मंडल के अधीन रहकर ही शासन चलाना पड़ता है । इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को 'उत्तरदायी शासन प्रणाली' कहा जाता है । सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है । किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता है । इस निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है । उसे प्रत्यक्ष रूप में कैसे लाया जाता है, यह हम सोदाहरण अगले दो पाठों में देखेंगे ।

संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधान मंडल के विश्वास पर टिका रहता है । इसका अर्थ यह है कि जब तक कार्यकारी मंडल को विधान मंडल का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक कार्यकारी मंडल अर्थात प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पद पर बना रहता है । यदि विधान मंडल अथवा संसद को ऐसा लगता है कि कार्यकारी मंडल विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तब संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यकारी मंडल को सत्ता से निष्कासित करती है । अविश्वास प्रस्ताव कार्यकारी मंडल पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावी साधन है ।

संसदीय शासन प्रणाली में संसद अथवा विधान मंडल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है । लोगों द्‌वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में आम जनता की अपेक्षाओं को रखते हैं । लोगों के हितों के लिए क्या करना चाहिए, यह संसद द्‌वारा निर्धारित किया जाता है । संसद लोगों के प्रतिनिधियों की सदन है कारण और जनता के सर्वश्रेष्ठ अधिकार को व्यक्त करती है । अतः संसद का स्थान श्रेष्ठ है । इसलिए इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं ।

संसदीर शासन प्णाि ी को हमने क्यों ्ाी कार लकर है ?

भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है और उसके कुछ कारण हैं । ब्रिटिशों के शासन काल में भारत में संसदीय संस्थाओं की निर्मिति हुई थी । ब्रिटिशों ने इस प्रणाली के माध्यम से शासन चलाना शुरू किया था । संसदीय शासन प्रणाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति है । फलतः इस प्रणाली का भारतीयों को परिचय हुआ था । संविधान सभा में इस प्रणाली पर बड़ी चर्चा भी हुई थी । संविधानकर्ताओं ने इस प्रणाली में भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ऐसे परिवर्तन किए ।

संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा, परिचर्चाओं को बड़ा अवसर रहता है । संसद में सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होती है । इस चर्चा में विरोधी दलों के सदस्य भी सहभागी होते हैं । सही मुद्‌दों पर शासन को सहयोग देना, शासन की नीतियों अथवा कानून में निहित दोष दिखाना, प्रश्नों को अध्ययनपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना आदि कार्य विरोधी दल कर सकते हैं । इससे संसद को अधिक निर्दोष और सक्षम कानून बनाना संभव होता है ।

अध्रक्ीर शासन प्णाि ी

शासन चलाने की एक अन्य प्रणाली के रूप में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उल्लेख कर सकते हैं । अमेरिका में ऐसी शासन प्रणाली है । यह प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है । विधान

मंडल से कार्यकारी मंडल निर्लिप्त रहता है और जिसमें कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष) सीधे जनता द्‌वारा चुना जाता है । इस प्रणाली को ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है । शासन संस्थाओं के तीनों अंग इस प्रणाली में एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं परंतु उनके कार्यों में एकसूत्रता रहेगी, इसके लिए आवश्यक पारस्परिक संबंध भी रहते हैं । अमेरिका ने इस शासन प्रणाली का अंगीकार किया है । इस शासन प्रणाली की कुछ निम्न विशेषताएँ हैं;

- अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधान मंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक-दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं । विधान मंडल के एक सदन का चुनाव सीधे जनता द्‌वारा तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता द्‌वारा किया जाता है । राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं और उन्हें कानून का कार्यान्वयन करने के साथ-साथ अन्य अधिकार भी प्राप्त रहते हैं ।
- अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की संरचना होने पर भी विधान मंडल और कार्यकारी मंडल एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं । एक-दूसरे पर नियंत्रण रखने से उत्तरदायी पद्‌धति से शासन चलाया जा सकता है ।

संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य कुछ शासन प्रणालियाँ फ्रांस, स्विटजरलैंड, जर्मनी आदि देशों में हैं । विभिन्न देश अपनी परिस्थिति के अनुकूल ऐसी शासन प्रणालियों का अवलंब करते हुए दिखाई देते हैं ।

अगले पाठ में, हम भारतीय संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और भूमिका आदि का अध्ययन करेंगे ।

सी ध्याय

१. नमिम नकिल्पों में से उनित नकिल्प ि किर िक्य नरि से नखिो ।

(१) संसदीय शासन प्रणाली .... में विकसित हुई ।

(अ) इंग्लैंड (ब) फ्रांस
(क) अमेरिका (ड) नेपाल

(२) अध्यक्षीय शासन प्रणाली में .... कार्यकारी प्रमुख होते हैं ।

(अ) प्रधानमंत्री (ब) लोकसभा अध्यक्ष
(क) राष्ट्राध्यक्ष (ड) राज्यपाल

२. नमिम सारणी पूण्णकरो ।

अ. क्र.	मंडल का नाम	कार्य
१.	विधान मंडल	
२.	कार्यकारी मंडल	
३.	न्यायपालिका	

३. नमिम कथन कारण सनति स्पष्टकरो ।

(१) भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है ।

(२) संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चाओं को बड़ा महत्व प्राप्त है ।

४. नमिनिखिखत प्रशीं के उत्तर २५ से ३० शब्दों में नखिो ।

(१) उत्तरदायी शासन प्रणाली किसे कहते हैं ?

(२) अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएँ स्पष्ट करो ।

५. नरौधी दीं की भूनम्का मतिपिणण्क्यों िती ि ? इस बारे में अपि मत नखिो ।

उपक्रम

दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखकर उसके निरीक्षण लिखो ।

9KXJYH

२. भारत की संसद

संसद भवन, नई दिल्ली

संसद के दोनों सदनों को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है ।

लोकसभा : भारतीय संसद के कनिष्ठ और प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है । लोकसभा संसद का वह सदन है जहाँ प्रतिनिधि लोगों द्‌वारा सीधे चुनकर आते हैं । इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है ।

हमने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद महत्वपूर्ण है । प्रस्तुत पाठ में भारत की संसद का अध्ययन करेंगे ।

भारत की संसद की निर्मिति संविधान द्‌वारा हुई है । राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात संघ शासन प्रणाली के विधान मंडल को 'संसद' कहा जाता है । उसके अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है । राष्ट्रपति भारत की संसद के अविभाज्य घटक हैं परंतु वे सदन में उपस्थित रहकर चर्चा में सहभागी नहीं हो सकते ।

ढूँढ़ो

घटक राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीटें मिलती हैं । चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य का भौगोलिक चुनाव क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है । चुनाव क्षेत्र की जनसंख्या सामान्यतः समान रहती है ।

विविध राज्यों की लोकसभा में कितनी सीटें हैं; यह अंतरजाल (इंटरनेट) के माध्यम से ढूँढ़ो । उदा.,

महाराष्ट्र : ४८ सीटें
गुजरात :
मध्यप्रदेश :
उत्तरप्रदेश :
गोवा :

लोकसभा में भौगोलिक चुनाव क्षेत्र पद्‌धति द्‌वारा प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है । लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है । लोकसभा के चुनाव हर पाँच साल बाद होते हैं । ये चुनाव सार्वत्रिक चुनाव भी कहे जाते हैं । कई बार पाँच वर्ष पूर्ण होने से पहले लोकसभा को विसर्जित करने के कई उदाहरण हैं । ऐसे समय करवाए गए चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहते हैं ।

लोकसभा देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सदन है । संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या ५५२ होती है । हमारे देश के सभी समाज घटकों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है तथा एंग्लो इंडियन समाज को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने पर राष्ट्रपति इस समाज के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं ।

राज्यसभा : राज्यसभा को भारतीय संसद का वरिष्ठ और द्‌वितीय सदन कहा जाता है । राज्यसभा भारतीय संसद का वह सदन है, जहाँ प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं । राज्यसभा भारतीय संघ राज्य के २८ घटक राज्य और ९ संघशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है । इसका अर्थ यह है कि राज्यसभा में घटक राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कार्य करते हैं ।

ये भी जानकारी रखिए !

मेरी : क्या मैं दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हूँ ?

राधिका : नहीं ! जब तुम १८ साल की होगी, तब तुम मतदान कर सकती हो, पर चुनाव नहीं लड़ सकती ।

रणवीर : अरे, तुम्हें पता है ना कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आयु २५ वर्ष पूर्ण होनी चाहिए ।

शबाना : अपने पड़ोसी देश के व्यक्ति ने लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहा तो ?

मुस्कान : यह कैसे संभव है ? वह व्यक्ति भारत का नागरिक है क्या ?

प्रणव : मान लो, मुझे केरल से चुनाव लड़ना है, तो क्या यह संभव है ?

राधिका : हाँ, क्योंकि अपने अध्यापक महोदय ने कहा था कि, लोकसभा के लिए हम किसी भी राज्य के चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं ।

मृणाल : आयु तथा नागरिकत्व से संबंधित शर्तों की जानकारी मिली । पर चुनाव लड़ने के लिए किसे अयोग्य मानना चाहिए ?

मेरी : योग्यता की तरह अयोग्यता की भी कुछ शर्तें होंगी । चलो, अपने अध्यापकों से जानकारी लेंगे ।

राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या २५० है । इसमें २३८ सदस्य विविध घटक राज्यों और संघशासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं । राज्यसभा में प्रत्येक घटक राज्यों की सदस्य संख्या एक समान नहीं होती । जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रहता है और १२ सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं । साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीड़ा और सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों में कार्यरत प्रत्यक्ष अनुभवी व्यक्ति अथवा उसका विशेष ज्ञान प्राप्त किए व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को राज्यसभा पर मनोनीत किया जाता है । राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है ।

राज्यसभा कभी भी एकत्रित रूप से विसर्जित नहीं होती, इसलिए उसे स्थायी सदन माना जाता है अर्थात हर दो साल बाद राज्यसभा का ६ वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किए हुए १/३ सदस्य निवृत्त होते हैं और फिर से उतने ही सदस्यों का चुनाव होता है । चरणबद्ध और निश्चित संख्या में सदस्यों के निवृत्त होने से राज्यसभा निरंतर कार्यरत रहती है । राज्यसभा का चुनाव लड़नेवाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए । उसकी आयु ३० वर्ष पूर्ण होनी चाहिए ।

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को 'सांसद' कहा जाता है । सांसद अपने चुनाव क्षेत्र के प्रश्न, समस्याएँ लोकसभा में प्रस्तुत कर उन्हें हल करवाने की कोशिश करते हैं । चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उन्हें विकास राशि दी जाती है ।

संसद के कार्य : भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा सदनों की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम उनके कार्यों का अवलोकन करेंगे ।

विधि निर्माण : लोगों के हितों और कल्याण के लिए और संविधान में निहित उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए संसद को अनेक नये कानूनों का निर्माण करना पड़ता है, साथ ही कालबाह्य कानून रद्द करने पड़ते हैं । कुछ कानूनों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं । संविधान में ही कानून निर्मिति की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है । उसके अनुसार संसद अपनी प्राथमिक अथवा मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करती है ।

मंत्रिमंडल पर नियंत्रण : संसद द्वारा ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है । संसद का उसपर नियंत्रण रहता है । नियंत्रण रखने के विविध विकल्प उसके पास उपलब्ध रहते

बताओ तो ?

जो कानून कालबाह्य हुए; इसलिए वे रद्द किए गए हैं, क्या कुछ ऐसे कानूनों के उदाहरण तुम दे सकते हो ? उदा., रियासतदारों के वेतन

हैं । संसद को उपेक्षित करके मंत्रिमंडल कार्य नहीं करेगा, यह देखने का दायित्व संसद पर होता है ।

संतव्धान संशोधन : भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करने हों तो, संसद उस संदर्भ में निर्णय लेती है । संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण रहता है । संसद उसकी आवश्यकता पर चर्चा करके इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए, इसका निर्णय लेती है । भारत के संविधान में संशोधन करने की निम्न पद्धतियाँ हैं । (१) भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान संसद के सामान्य बहुमत से बदल दिए जाते हैं । (२) कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत (२/३) की आवश्यकता रहती है । (३) कुछ प्रावधान विशेष बहुमत तथा आधे घटक राज्यों की मान्यताओं से बदल दिए जाते हैं ।

लोकसभा के अध्यक् : लोकसभा के चुनाव के बाद पहली सभा में लोकसभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करते हैं तथा और एक सदस्य की 'उपाध्यक्ष' के रूप में नियुक्ति की जाती है । लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में लोकसभा की कार्यवाही होती है ।

लोकसभा भारतीय जनता का और अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं । अध्यक्ष के पद पर चयन होने के बाद अध्यक्ष को निष्पक्ष रूप से सदन की कार्यवाही चलानी पड़ती है । लोकसभा के सदस्यों को लोकप्रतिनिधि के रूप में कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं । अध्यक्ष द्वारा उसकी रक्षा की जाती है । अध्यक्ष को संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना, संसद की गरिमा बनाए रखना, कार्यवाही विषयक नियमों का अर्थ स्पष्ट करके उसे चलाना आदि कार्य करने पड़ते हैं ।

ये भी जानकारी रखिए !

लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों को समान अधिकार हैं । परंतु कुछ अधिकार ऐसे भी हैं, जो लोकसभा को हैं पर राज्यसभा को नहीं हैं । उदा., करविषयक अधिकार पैसों से संबंधित होते हैं । उससे संबंधित प्रस्ताव 'वित्तीय' माने जाते हैं और ऐसे सभी प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और वहाँ उसे मंजूरी दी जाती है । राज्यसभा को इस संदर्भ में बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं । कुछ अधिकार राज्यसभा को हैं, पर लोकसभा को नहीं हैं । उदा., राज्यसूची में निहित किसी विषय पर राष्ट्रहित की दृष्टि से संसद द्वारा कानून बनाया जाए ऐसा महसूस होने पर राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है ।

राज्यसभा के अध्यक् : राज्यसभा का पूरा कार्य उसके अध्यक्ष के नियंत्रण में चलता है । भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं । राज्यसभा के अध्यक्ष को भी सदन में अनुशासन बनाए रखना, चर्चा का आयोजन करना, सदस्यों को बोलने का अवसर देना आदि कार्य करने पड़ते हैं ।

संसद कानून कैसे बनाती है ?

अपने देश में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है । कानून बनाने के लिए विशेष पद्धति को स्वीकार किया गया है । उस पद्धति को 'विधि निर्माण की प्रक्रिया' कहा जाता है ।

सबसे पहले कानून का कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है । इस कच्चे मसौदे या प्रारूप को कानून का प्रस्ताव या विधेयक कहते हैं ।

संसद के सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं । (१) वित्त विधेयक (२) साधारण विधेयक ।

विधेयक को कानून में परिवर्तन करने की निम्न प्रक्रिया है ।

प्रथम पठन : संबंधित विभाग का मंत्री अथवा संसद सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है । विधेयक प्रस्तुत करते समय उसका स्वरूप संक्षेप में स्पष्ट करता है । इसे विधेयक का 'प्रथम पठन' कहा जाता है ।

द्वितीय पठन : द्वितीय पठन के दो चरण होते हैं । पहले चरण में विधेयक के उद्देश्यों पर चर्चा की जाती है । सदन के सदस्य विधेयक के बारे में अपना

मत व्यक्त करते हैं । विधेयक के समर्थक विधेयक का समर्थन करते हुए अपना मत व्यक्त करते हैं तो उसका विरोध करनेवाले विधेयक में जो कमियाँ और दोष हैं उन्हें स्पष्ट करते हैं । सदन में विधेयक पर चर्चा होने के पश्चात आवश्यकता महसूस होने पर विधेयक एक समिति को भेज दिया जाता है । समिति उस विधेयक को निर्दोष बनाने के लिए सूचना और संशोधन का प्रतिवेदन सदन को भेज देती है ।

उसके पश्चात द्‌वितीय पठन के दूसरे चरण की शुरुआत होती है । इस चरण में विधेयक की धाराओं पर चर्चा होती है । सदस्य कुछ संशोधन सुझा सकते हैं । तत्पश्चात उसपर सदन में मतदान लिया जाता है ।

तृतीय पठन : तृतीय पठन के समय विधेयक पर फिर से संक्षेप में चर्चा की जाती है । विधेयक के मंजूरी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है । विधेयक को आवश्यक बहुमत से मंजूरी मिलने पर सदन द्‌वारा विधेयक पारित हुआ; ऐसा माना जाता है ।

- संसद के दूसरे सदन में भी विधेयक उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं से गुजरता है । दोनों सदनों द्‌वारा विधेयक को मंजूरी मिलने के पश्चात उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है ।
- केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक को लेकर मतभेद होने पर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में उसका भविष्य निश्चित किया जाता है । राष्ट्रपति के सम्मतिदर्शक हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक का कानून में परिवर्तन होता है और कानून तैयार होता है ।

इसकी भी जानकारी िलिनए :

- प्रतिवर्ष फरवरी माह में वित्तमंत्री लोकसभा में देश का बजट प्रस्तुत करते हैं ।
- राज्यों के विधान मंडलों में भी कानून बनाते समय संसद की तरह पद्‌धति स्वीकार की जाती है । राज्य विधान मंडल द्‌वारा मंजूरी मिलने पर विधेयक पर राज्यपाल के सम्मतिदर्शक हस्ताक्षर होने के पश्चात विधेयक का कानून में परिवर्तन होता है ।

सी ध्याय

१. नम्म नकिलपों में से उनति नकिलप ि ुनकर ि िक्य नरि से नखिो ।

(१) लोकसभा में .... पद्‌धति से प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है ।
(अ) भौगोलिक चुनाव क्षेत्र (ब) धार्मिक चुनाव क्षेत्र (क) स्थानीय स्वशासन संस्था चुनाव क्षेत्र (ड) अनुपातबद्‌ध प्रतिनिधित्व पद्‌धति

(२) भारत के .... राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं ।
(अ) राष्ट्रपति (ब) उपराष्ट्रपति
(क) प्रधानमंत्री (ड) प्रधान न्यायाधीश

२. ढूँढ़ो और नखिो ।

(१) लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को इस शब्द से संबोधित किया जाता है .... ।

(२) विधि निर्माण का दायित्व इनका है ...... ।

३. नम्म कथन कारण सनति स्मष्ट करो ।

(१) राज्यसभा स्थायी सदन है ।

(२) लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है ।

४. नम्म प्र्श्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में नखिो ।

(१) लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ?

(२) लोकसभा अध्यक्ष के कार्य स्पष्ट करो ।

५. नर्नि नममामाणप्र्सरयिा के ि रण स्मष्ट करो ।

उपक्रम

राष्ट्रपति राज्यसभा में १२ सदस्यों को मनोनीत करते हैं । इन सदस्यों का चुनाव करने के लिए कौन-कौन-से मापदंड अपनाए जाते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करो ।

9L7G1J

३. केंद्रीय कार्यकारी मंडल

पिछले पाठ में हमने केंद्रीय स्तर पर विधान मंडल अर्थात संसद की रचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया । प्रस्तुत पाठ में हम केंद्रीय कार्यकारी मंडल का अध्ययन करने वाले हैं ।

संघ शासन की संरचना : संघ शासन अर्थात केंद्र शासन । संघ शासन के निम्न मुख्य घटक हैं ।

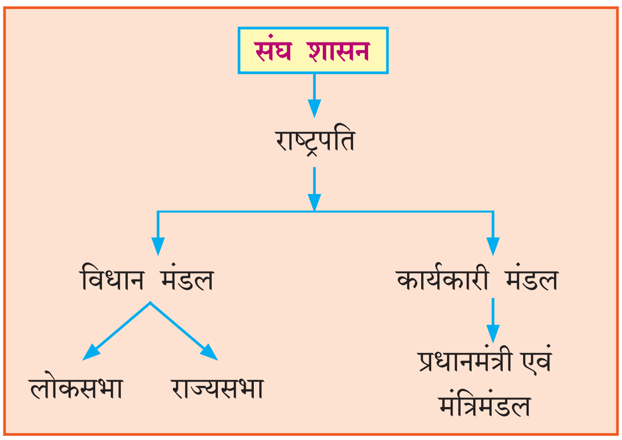

विधान मंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायमंडल ये शासन संस्थाओं की तीन शाखाएँ है और जनता का हित ध्यान में रखकर जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, यह आप जानते ही हैं । संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधान मंडल का ही अंग होता है और वह विधान मंडल के लिए ही उत्तरदायी होता है ।

रमा : राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख हैं । दोनों पदों पर काम करनेवाले व्यक्तियों में किस प्रकार के संबंध रहते हैं?

तद्दि र ा : मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियमित रूप से मिलते हैं और वे शासन किस प्रकार चलाते हैं, इसकी जानकारी देते हैं ।

हाँ ! यह सही है । प्रधानमंत्री देश का शासन और नये-नये कानून, नीतियों की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं अर्थात यह जानकारी प्राप्त करने का राष्ट्रपति को अधिकार है ।

इस कार्यकारी मंडल में किनका समावेश रहता है, संविधान में इस संदर्भ में कौन-से प्रावधान किए गए हैं, कार्यकारी मंडल लोगों के हितों के लिए कैसी नीतियाँ बनाता है आदि बातों की हमें कार्यकारी मंडल का अध्ययन करते समय जानकारी प्राप्त करनी है ।

भारत के केंद्रीय कार्यकारी मंडल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश रहता है ।

राष्ट्क्लत : भारत के संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख है । राष्ट्रपति का पद बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा का पद है और वे गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं । संविधान ने राष्ट्रपति को देश की संपूर्ण कार्यकारी सत्ता दी है । देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है । ऐसा होने पर भी प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही शासन चलाता है । इसलिए राष्ट्रपति नामधारी संवैधानिक प्रमुख हैं तो प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख हैं ।

राष्ट्क्लत का चुनार्ि : राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में लोगों द्‌वारा किया जाता है । भारत के आम मतदाता राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करते हैं बल्कि उनके द्‌वारा चुने गए संसद सदस्यों और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्‌वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है । संसद सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्यों के गुट को निर्वाचन मंडल कहा जाता है ।

राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है । राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए । उसकी आयु ३५ वर्ष पूर्ण होनी चाहिए । राष्ट्रपति पद पर चुने गए व्यक्ति को अपना पद स्वीकारते समय शपथ लेनी पड़ती है । उसके अनुसार संविधान की रक्षा करना और संविधान के अनुसार शासन चलता है या नहीं; यह देखने की

जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है । प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति शासन चलाते हैं।

संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, परंतु अगर राष्ट्रपति का कोई आचरण संविधान का उल्लंघन करनेवाला हो तो उन्हें पद से हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है । इस प्रक्रिया को 'महाभियोग' प्रक्रिया कहा जाता है । यदि राष्ट्रपति से संविधान का उल्लंघन हुआ हो या किसी सदन द्‌वारा ऐसा आरोप लगाया जाता है तो दूसरे सदन द्‌वारा उन आरोपों की जाँच-पड़ताल की जाती है । दोनों सदनों के विशेष बहुमत (२/३) से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है । तत्पश्चात राष्ट्रपति अपने पद से दूर होते हैं ।

राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार : संविधान द्‌वारा राष्ट्रपति को कई कार्य प्रदान किए हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(१) राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, संसद को संदेश भेजना, लोकसभा के पूर्णावधि के बाद या समय से पहले बरखास्त करना ये सभी अधिकार प्राप्त है ।

(२) लोकसभा और राज्यसभा द्‌वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है । उनके हस्ताक्षर के बिना विधेयक का कानून में परिवर्तन नहीं होता है ।

(३) राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनके द्‌वारा सुझाए गए व्यक्तियों की मंत्री पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं ।

(४) राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं । साथ ही; सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं ।

(५) राष्ट्रपति भारत के तीनों रक्षा दलों के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं । युद्‌ध और शांति संबंधी सभी निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं ।

(६) राष्ट्रपति को कुछ न्यायालयीन अधिकार भी प्राप्त हैं । उदा., किसी व्यक्ति की सजा घटाना, सजा की तीव्रता कम करना अथवा अपवादात्मक परिस्थिति में मानवतावादी भूमिका से सजा कम करने का या रद्द करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है ।

(७) देश में आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है । संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं । (१) राष्ट्रीय आपातकाल (२) राज्यों में आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन (३) आर्थिक आपातकाल ।

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इनके दायित्वों का निर्वाह करते हैं । उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्‌वारा किया जाता है ।

करके देखें-

राष्ट्रपति को दी जाने वाली शपथ का मसौदा प्राप्त करो । अध्यापकों की मदद से उसका आशय समझ लो ।

प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल : राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं । उनके पास नाममात्र सत्ता रहती है, और प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल शासन चलाते हैं, ये हम सब जानते हैं । प्रधानमंत्री कौन-से कार्य और भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, यह अब हम देखेंगे ।

चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है; वह दल अपने नेता का प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव करता है । इसी दल के विश्वासपात्र सहयोगियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं । प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का संसद सदस्य होना आवश्यक होता है । न होने पर उन्हें छह माह के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है । प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सही अर्थ में शासन चलाते हैं । इसका अर्थ यह है कि, शासन की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है ।

प्रधानमंत्री के कार्ण

(१) प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं । प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के विश्वासपात्र सहयोगियों को प्राथमिकता देते हैं पर उसके साथ मंत्रियों का चयन करते समय उनका प्रशासकीय अनुभव, शासन कौशल, कार्यक्षमता, विषयज्ञान आदि बातों का भी विचार करते हैं ।

(२) मंत्रिमंडल में किनका समावेश करना है; यह तय होने के बाद प्रधानमंत्री उनको विभागों का वितरण करते हैं ।

(३) प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं । मंत्रिमंडल की सभी सभाएँ उनकी अध्यक्षता में होती हैं ।

(४) विभागों का वितरण करने के पश्चात प्रधानमंत्री को विविध विभागों में समन्वय रखना, परस्पर सहकारिता को बढ़ावा देना, विभागों का कार्य पूरी कार्यक्षमता से होता है या नहीं यह देखना, आदि कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं ।

(५) अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिमा को ऊँचा उठाना वैश्विक जनमत को अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करना, देश की जनता को आश्वस्त करना, आपदा समय में आपदग्रस्तों की सहायता करना आदि कार्यों का प्रधानमंत्री को निर्वाह करना पड़ता है ।

मंलमंडि के कार्ण

(१) संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल कानून निर्मिति में अग्रसर रहता है । उसका प्रारूप तैयार करके उसपर चर्चा की जाती है । और तत्पश्चात उसे संसद के सदन में प्रस्तुत किया जाता है । मंत्रिमंडल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करके निर्णय लेता है ।

(२) मंत्रिमंडल को शिक्षा, कृषि, उद्‌यम, स्वास्थ्य, विदेश व्यवहार आदि अनेक विषयों पर एक निश्चित नीति अथवा कार्य की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है । मंत्रिमंडल द्‌वारा निर्धारित नीति के संबंध में संसद को विश्वास में लेना पड़ता है । इसलिए मंत्रिमंडल के मंत्री अपने विभाग की नीति को संसद में प्रस्तुत कर उसे संसद की मंजूरी पाने की कोशिश करते हैं ।

(३) मंत्रिमंडल की मुख्य जिम्मेदारी नीतियाँ कार्यान्वित करने की होती है । संसद द्‌वारा उन नीतियों को या कानून प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने पर मंत्रिमंडल उसे अमल में लाता है ।

संसद मंलमंडि पर लक्स प्‌कार लनंत्‌रणरि ती है?

संसदीय शासन प्रणाली में संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करती है । कानून अथवा नीतियों की निर्मिति, उसे अमल में लाना और उसके पश्चात संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है । इस नियंत्रण के कुछ उपाय इस प्रकार है :

(१) चचा्णऔर त्विार– त्मि श्‌ण: कानून बनाते समय संसद सदस्य चर्चा और विचार-विमर्श करके मंत्रिमंडल को उनकी नीतियों और कानून में निहित कमियाँ दिखाते हैं । कानून को निर्दोष बनाने की दृष्टि से यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है ।

(२) प्‌न कािा : संसद सत्र के समय सदन की कार्यवाही की शुरुआत संसद सदस्यों द्‌वारा पूछे गए प्रश्नों से होती है । इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर संबंधित मंत्रियों द्‌वारा देना आवश्यक होता है । प्रश्नकाल मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ही प्रभावी उपाय है । शासन की आलोचना करना, प्रश्न उपस्थित करना यह इसी समय होता है । मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होने पर विवाद उत्पन्न

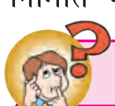

क्या तुम जानते हो ?

क्या तुमने 'जंबो' मंत्रिमंडल शब्द सुना है ?

इसका अर्थ है - बहुत बड़ा मंत्रिमंडल । अपने देश में मंत्रिमंडल का आकार बड़ा रखने की तरफ ध्यान दिया जाता है । मंत्रिमंडल का आकार सीमित हो, इसलिए संविधान में प्रावधान किया गया है । उसके अनुसार मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के १५% से अधिक नहीं होगी, ऐसा निश्चित किया गया है ।

हो सकता है । अपना निषेध व्यक्त करने हेतु कुछ समय के लिए संसद सदस्य सभात्याग करते हैं अथवा घोषणाबाजी करते हुए सदन के बीच स्थान में इकट्‌ठा होते हैं ।

(३) शून्र कार्ा : अधिवेशन सत्र के समय दोपहर १२ बजे का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है । इस समय सार्वजनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण किसी भी विषय पर चर्चा कराई जा सकती है ।

(४) अर्ल्ाि स प्ताि : मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है । लोकसभा में सरकार को जब तक बहुमत है, तब तक सरकार कार्य कर सकती है । यदि यह बहुमत संसद सदस्य निकाल लेते हैं तो सरकार अथवा मंत्रिमंडल सत्ता में नहीं रह सकता । 'हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा' कहकर संसद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत ला सकते हैं । अगर बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है ।

बताओ तो ?

संसद सदस्यों को चर्चा में प्रभावी रूप में सहभागी होने के लिए क्या करना चाहिए ?

कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में व्यापक नौकरशाही होती है । नौकरशाही की संरचना का अध्ययन हम छठे प्रकरण में करने वाले हैं ।

ाि ध्ाार

१. लम्न तिकि ल्पें में से उलच्च तिकि ल्प चुनकर िलक्र तिि से र्लाि ो ।

(१) भारत की कार्यकारी सत्ता .... के पास होती है ।
(राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष)

(२) राष्ट्रपति का कार्यकाल .... वर्ष का होता है ।
(तीन, चार, पाँच)

(३) मंत्रिमंडल का नेतृत्व .... करते हैं ।
(पार्टी प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति)

२. पहचानो और र्लाि ो ।

(१) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का भारत के जिस मंडल में समावेश होता है, उस मंडल का नाम –

(२) अधिवेशन सत्र में दोपहर १२ बजे का समय इस नाम से जाना जाता है –

३. लम्न संकल्पाएँ अपने शब्दों में र्लाि ो ।

(१) महाभियोग प्रक्रिया (२) अविश्वास प्रस्ताव
(३) जंबो मंत्रिमंडल

४. संक्षेप में उत्तर र्लाि ो ।

(१) मंत्रिमंडल के कार्य स्पष्ट करो ।

(२) संसद मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है ?

५. लम्न संकल्पालचत्र पूणणकरो ।

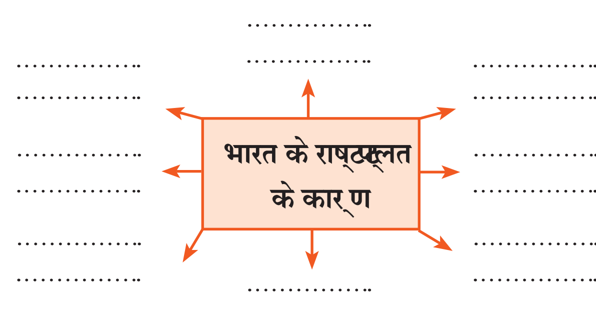

उपरा म

(१) अगर तुम प्रधानमंत्री बन जाओ तो तुम किन कार्यों को प्राथमिकता दोगे, उनकी प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाकर कक्षा में प्रस्तुत करो ।

(२) भारत के राष्ट्रपतियों के चित्र और जानकारी प्राप्त करो ।

9LGC37

४. भारत की न्यायपालिका

विधान मंडल और कार्यकारी मंडल के साथ न्यायमंडल भी शासन संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है । विधान मंडल द्‌वारा कानून बनाए जाते हैं । कार्यकारी मंडल उसका कार्यान्वयन करता है तथा न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है । प्रस्तुत पाठ में हम न्यायपालिका द्‌वारा न्यायदान कैसे किया जाता है, जिससे समाज में निहित अन्याय दूर होकर सामाजिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है; उसपर विचार करनेवाले हैं । उससे पहले न्यायदान की आवश्यकता क्यों होती है, उसकी हम जानकारी लेंगे ।

व्यक्ति-व्यक्ति में विचार, दृष्टिकोण, मान्यताएँ, श्रद्‌धा, संस्कृति आदि को लेकर भिन्नता होती है । एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखने पर संघर्ष नहीं होता । परंतु मतभिन्नता बहुत अधिक बढ़ने पर संघर्ष उत्पन्न होता है और ऐसे समय उसका निष्पक्ष दृष्टि से निराकरण करने के लिए कानून का सहारा लेने की आवश्यकता होती है । इसलिए न्यायपालिका जैसी निष्पक्ष व्यवस्था की आवश्यकता होती है ।

- व्यक्ति और शासन संस्था में भी हितसंबंधों को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है । जब लोगों को शासन का कोई निर्णय अथवा कानून अन्यायकारक लगता है, तब वे उसके विरोध में न्यायालय में न्याय माँग सकते हैं ।
- सरकार संविधान में निहित न्याय और समता इन उद्‌देश्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने का प्रयत्न करती है, उसी प्रकार न्यायव्यवस्था भी कुछ फैसलों द्‌वारा अथवा सक्रिय भूमिका लेकर सरकार को समर्थन दे सकती है । समाज के दुर्बल वर्गों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और किन्नरों (transgender) आदि समाज वर्गों को न्यायालय मुख्य प्रवाह में लाने के लिए मदद कर सकता है ।
- स्वतंत्रता, समता, न्याय और लोकतंत्र के लाभ जब साधारण मनुष्यों को मिलते हैं, तब लोकतंत्र की व्याप्ति तथा गहराई और बढ़ जाती है । लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है । कानून का अधिराज्य न्यायपालिका के कारण सुरक्षित रहता है । अमीर-गरीब, प्रगत-अप्रगत, स्त्री-पुरुष इन सभी के लिए कानून समान रहता है, यह न्यायदान से स्पष्ट होता है ।
- न्यायदान से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है । कानून के अनुसार विवादों का हल निकाला जाता है और किसी भी गुट, व्यक्ति की दमन/दबाव की नीति अथवा तानाशाही के उत्पन्न होने पर रोक लगाई जाती है ।

न्ाार पालकिा की रचना : भारत एक संघराज्य है और प्रत्येक संघराज्य का स्वतंत्र विधान मंडल और कार्यकारी मंडल है परंतु न्यायपालिका मात्र संपूर्ण देश के लिए एक ही है । उसमें केंद्र और राज्य; ऐसा कोई स्वतंत्र विभाजन नहीं है । इसका अर्थ यह है कि भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप एकात्म है । इस न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर उच्चतम न्यायालय है । उच्चतम न्यायालय के बाद के स्तर पर उच्च न्यायालय हैं, तथा उच्च न्यायालय के नियंत्रण में जिला न्यायालय और उसके पश्चात दोयम न्यायालय हैं ।

उच्चतमन्ाार ारि : भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं । राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं । उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की 'मुख्य न्यायाधीश' के पद पर नियुक्ति की जाए, ऐसा संकेत/परंपरा है ।

न्यायदान का कार्य किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए । न्यायाधीश निर्भय रूप से न्यायदान करें, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रयत्न किया जाता है । इसके लिए

भारत का उच्चतम न्यायालय-नई दिल्ली

संविधान ने निम्न प्रावधान किए हैं ।

- संविधान ने न्यायाधीशों की योग्यता की शर्तें स्पष्ट की हैं । इन पदों के लिए कुशल विधि वेत्ता, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद का अथवा वकालत का अनुभव प्राप्त व्यक्ति योग्य माना जाता है ।
- राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं । इससे राजनीतिक दबाव को दूर रख सकते हैं ।
- न्यायाधीशों को सेवा की गारंटी होती है । सामान्य कारणों से अथवा राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ६२ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अवकाश ग्रहण करते हैं ।
- न्यायाधीशों का वेतन भारत की अर्जित निधि से दिया जाता है और उसपर संसद में चर्चा नहीं होती है ।
- न्यायाधीशों की कृति और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते । न्यायालय की अवमानना करना यह भी एक अपराध माना जाता है और उसके लिए सजा दी जाती है । इस प्रावधान के कारण न्यायाधीशों को अनुचित आलोचना से संरक्षण तो मिलता ही है, साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है ।
- संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है परंतु न्यायाधीशों को पद से हटाने का और उनपर महाभियोग प्रक्रिया चलाने का अधिकार है ।

न्यायालय की सतक्र्ाि : न्यायालय में अगर कोई विवाद आता है, तो उसे न्यायालय द्वारा हल किया जाता है, ऐसी न्यायालय के बारे में पारंपरिक छवि है । पिछले कुछ दशकों से न्यायालय की इस छवि में परिवर्तन हुआ है और न्यायालय सक्रिय हुए हैं । इसका अर्थ है कि न्यायालय अब संविधान में निहित न्याय, समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं । समाज के दुर्बल वर्गों, महिला, आदिवासी, मजदूर, किसान और बच्चों को कानून द्वारा संरक्षण देने का प्रयत्न न्यायालय द्वारा किया गया है । इसके लिए जनहित याचिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है ।

उच्चिम न्यायालय के कायड

* संघराज्य के न्यायालय की भूमिका के रूप में केंद्र शासन और घटक राज्य, घटक राज्य और घटक राज्य, केंद्र शासन एवं घटक राज्य विरुद्ध अन्य घटक राज्यों के बीच के विवादों को हल करना ।
* नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, उसके लिए आदेश देना ।
* कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी पुनर्विचार करना ।
* राष्ट्रपति सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न पर संवैधानिक परामर्श माँगते हैं तो उन्हें सलाह देना ।

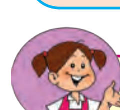

बताओ तो ?

राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्यों माँगते हैं ?

परस्च्छेि पढ़ो और तलाि :

न्यायालयीन पतुतक्ब्लोकन : उच्चतम न्यायालय पर और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है– संविधान का संरक्षण करना । संविधान देश का मौलिक कानून है, यह तुम जानते हो । इस कानून का उल्लंघन होगा या उसका विरोधी कानून संसद नहीं बना सकती । कार्यकारी मंडल की प्रत्येक नीति और कृति का संविधान से सुसंगति रखना जरूरी है । संसद का कोई कानून या कार्यकारी मंडल की किसी कृति से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस कृति को असंवैधानिक अथवा गैरकानूनी मानकर उसे रद्द कर देता है । न्यायालय के इस अधिकार को पुनर्विलोकन का अधिकार कहा जाता है ।

* क्या न्यायालय को ऐसा अधिकार होना चाहिए ?

यह उिाहरण िेिो –

न्यायालय ने चुनाव में खड़े रहनेवाले प्रत्याशियों को उनकी संपत्ति और आय तथा शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी शपथपत्र द्वारा देने के लिए कहा था । प्रत्याशियों की सही जानकारी के आधार पर मतदाता मतदान कर सके, यह उसके पीछे प्रमुख उद्देश्य था । क्या अपनी चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने का यह प्रयत्न नहीं है?

इस संदर्भ में न्यायालय ने क्या और कोई आदेश दिए हैं? इसकी जानकारी प्राप्त करो ।

सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयत्नशील नागरिक, सामाजिक संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संपूर्ण जनता की ओर से न्यायालय में जो याचिका दायर की जाती है, उसे 'जनहित याचिका' कहा जाता है । न्यायालय इस पर विचार करके निर्णय देता है ।

उच्च न्यायालय : भारतीय संघ शासन में निहित प्रत्येक घटक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को दिया गया है । वर्तमान समय में अपने देश में २४ उच्च न्यायालय हैं ।

उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं ।

राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं ।

करके देखो–

मुंबई उच्च न्यायालय दो राज्यों– महाराष्ट्र और गोआ तथा दादरा नगर हवेली और दीव–दमण केंद्रशासित प्रदेशों के लिए है । एक से अधिक राज्यों के लिए कार्यरत उच्च न्यायालय के और दो उदाहरण ढूँढ़ो ।

उच्च न्यायालय के काय्ड

* अपने अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का और देखरेख का अधिकार ।
* मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश देने का अधिकार ।
* जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल उच्च न्यायालय का परामर्श लेते हैं ।

तरला और अधीनस्थ न्यायालय : जिला और तहसील स्तर के न्यायालयों से लोगों का हमेशा संबंध आता है । प्रत्येक जिला न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश होता है ।

भारि की कानून पद्धति की शािाएँ : कानून पद्धति की दो प्रमुख शाखाएँ हैं ।

(१) दीवानी कानून (२) फौजदारी (आपराधिक) कानून

िीवानी कानून : लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले विवाद इस कानून के अंतर्गत आते हैं ।

उदा., जमीन से संबंधित विवाद, भाड़ा पट्टा, विवाह विच्छेद आदि । संबंधित न्यायालयों में याचिका दायर करने के बाद न्यायालय उसपर निर्णय देता है ।

फौजदारी (आपराधिक) कानून : फौजदारी कानून के सहारे गंभीर स्वरूप के अपराधों को हल किया जाता है । उदा., चोरी, डकैती, दहेज के लिए शारीरिक यातनाएँ देना, हत्या आदि । इन अपराधों के लिए सबसे पहले पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज किया जाता है । पुलिस उसकी जाँच करती है । उसके बाद अदालत में मुकदमा दायर होता है । अपराध सिद्‌ध होने पर सजा का स्वरूप गंभीर रहता है ।

भारतीय न्याय व्यवस्था का देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है । सामान्य लोगों में भी न्यायपालिका के प्रति आदर और विश्वास की भावना है । भारत की न्यायपालिका ने व्यक्ति स्वतंत्रता, संघराज्य और संविधान की रक्षा की है । भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में न्यायालय का बड़ा योगदान है ।

स्री ध्याय

१. धन्म धकिलपों में से उधित धकिलप [ुनकर ाक्य धपफ से धखिो ।

(१) कानून की निर्मिति ······ द्‌वारा की जाती है ।
- (अ) विधान मंडल
- (ब) मंत्रिमंडल
- (क) न्यायपालिका
- (ड) कार्यकारी मंडल

(२) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ········· करते हैं ।
- (अ) प्रधानमंत्री
- (ब) राष्ट्रपति
- (क) गृहमंत्री
- (ड) मुख्य न्यायाधीश

२. धन्म संकल्मनाएँ स्मष्ट करो ।

(१) न्यायालयीन पुनर्विलोकन

(२) जनहित याचिका

३. धपिपणी धखिो ।

(१) दीवानी और फौजदारी कानून

(२) न्यायालयीन सक्रियता

४. धन्म प्रश्नों के उत्तर संक्ेप में धखिो ।

(१) समाज में कानून की आवश्यकता क्यों होती है ?

(२) उच्चतम न्यायालय के कार्य स्पष्ट कीजिए ।

(३) भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कौन-से प्रावधान किए गए हैं?

५. धन्म सारणी पूण्णकरो ।

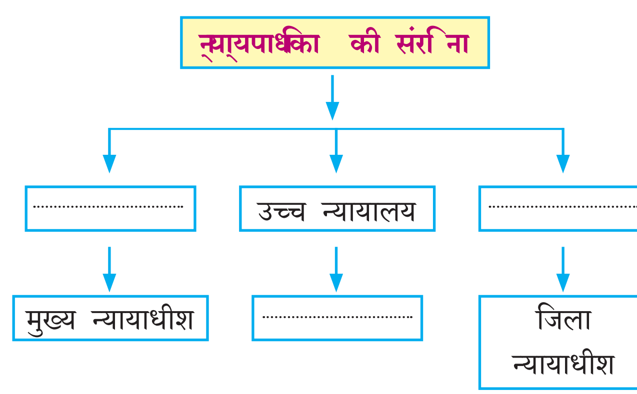

उपक्रम

(१) तुम्हारे स्कूल में 'अभिरूप न्यायालय' का आयोजन करके विविध जनहित याचिकाओं के प्रश्न तैयार करो और अभिरूप न्यायालय में पूछो ।

(२) अध्यापकों की मदद से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) कैसे दर्ज करें, उसकी प्रक्रिया नजदीकी पुलिस थाने में जाकर समझो ।

५. राज्य सरकार

पिछले पाठ तक हमने केंद्र सरकार की संसद और कार्यकारी मंडल का स्वरूप आदि की जानकारी प्राप्त की । भारत की एकात्म न्यायपालिका का परिचय प्राप्त किया । प्रस्तुत पाठ में हम घटक राज्यों अथवा राज्य सरकार की जानकारी प्राप्त करेंगे ।

संघराज्य व्यवस्था में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ कार्यरत रहती हैं । राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है । भारत में २८ घटक राज्य हैं और वहाँ का शासन वहाँ की राज्य सरकार द्‌वारा चलाया जाता है ।

पृष्ठभूलम: भारत का भौगोलिक दृष्टि से विस्तार बहुत बड़ा है और जनसंख्या का स्वरूप भी बड़ा है । भाषा, धर्म, रूढ़ि-परंपरा और प्रादेशिक स्वरूप में भी विविधता है । ऐसे समय एक ही अर्थात केंद्रीय स्थान से शासन चलाना कठिन है, इस बात पर विचार करके संविधान ने भारत के लिए संघराज्य व्यवस्था को स्वीकार किया । भाषा के आधार पर घटक राज्यों की निर्मिति करना निश्चित हुआ और उसके अनुसार भाषावार प्रांत रचना हुई ।

भारत के सभी घटक राज्यों की शासन व्यवस्था का राजनीतिक स्वरूप एक समान है । अपवाद केवल जम्मू और कश्मीर का है । महाराष्ट्र के संदर्भ में हम घटक राज्यों की शासन संस्थाओं का स्वरूप जानेंगे।

क्या तुम जानते हो ?

यद्‌यपि भारत में २८ घटक राज्य हैं फिर भी विधान सभाओं की संख्या ३१ है क्योंकि दिल्ली, पुदुच्चेरी तथा जम्मू और कश्मीर इन केंद्रशासित प्रदेशों में विधान सभाएँ अस्तित्व में हैं ।

राज्य सरकार का लरलधंडि : केंद्र की संसद की तरह राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य का विधि मंडल है । केवल सात राज्यों का विधि मंडल दो सदनों का है । उनमें महाराष्ट्र का भी समावेश है । विधि मंडल के सदस्यों को विधान सभा सदस्य कहा जाता है ।

मिाराष्ट्रका लरलधंडि : महाराष्ट्र में विधान सभा और विधान परिषद दो सदन हैं ।

विधान भवन, मुंबई

लधान सभा : महाराष्ट्र विधि मंडल का प्रथम सदन है और उसकी सदस्य संख्या २८८ है । एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर राज्यपाल इस समाज के एक प्रतिनिधि को विधान सभा पर नियुक्त करते हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं । चुनाव के लिए पूर्ण महाराष्ट्र का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किया गया है । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है ।

विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है । अपवादात्मक स्थिति में, निर्धारित समय से पहले भी चुनाव लिये जा सकते हैं ।

जिसकी आयु २५ वर्ष पूर्ण हुई है, ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जिसका महाराष्ट्र में निवास है, वह विधान सभा का चुनाव लड़ सकता है ।

लधान सभा अध्यक्ष : विधान सभा की कार्यवाही अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में होती है । चुनाव के बाद बनी नयी विधानसभा के सदस्य

अपने में से एक का अध्यक्ष और एक का उपाध्यक्ष पद पर चयन करते हैं । अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही अनुशासनबद्ध तरीके से हो; इसलिए कार्यक्रम पत्रिका तैयार करने से लेकर असंसदीय आचरण करनेवाले सदस्यों को सदन से निलंबित करने तक के कार्य करने पड़ते हैं । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सभी कार्य उपाध्यक्ष पूर्ण करते हैं ।

महाराष्ट्र विधि मंडल के वर्ष में कम-से-कम तीन अधिवेशन सत्र बुलाए जाते हैं । बजट विषयक और मानसून सत्र मुंबई में और शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है ।

विधान परिषद : महाराष्ट्र विधिमंडल का यह दूसरा सदन है । इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में समाज के विविध घटकों द्वारा किया जाता है । महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्यों की संख्या ७८ है। इसमें राज्यपाल कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा जैसे क्षेत्रों से तज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं और अन्य प्रतिनिधि विधान सभा, स्थानीय शासन संस्था, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं ।

विधान परिषद पूर्णतः विसर्जित नहीं होती । इसमें निर्धारित सदस्य हर दो साल बाद अवकाश प्राप्त करते हैं और उतनी ही सीटों के लिए चुनाव होकर वे पद भरे जाते हैं । विधान परिषद की कार्यवाही विधान परिषद के अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में चलती है । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इस दायित्व का निर्वहन करते हैं ।

महाराष्ट्र का कार्यकारी मंडल : महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है ।

राज्यपाल : केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार राष्ट्रपति नामधारी प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार घटक राज्य के स्तर पर राज्यपाल नामधारी प्रमुख होते हैं । राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है । जब तक उनकी इच्छा है, तब तक वे पद पर रह सकते हैं । राज्यपाल को भी कानूनविषयक महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । उदा., विधान सभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून में परिवर्तित होता है । विधि मंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है । जब विधि मंडल का सत्र नहीं होता है; तब ऐसी स्थिति में कोई कानून बनाने की आवश्यकता निर्माण हुई तो राज्यपाल उसका अध्यादेश निकालते हैं ।

मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल : विधानसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है, उस दल का नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है । मुख्यमंत्री अपने विश्वासपात्र सहयोगियों का मंत्रिमंडल में समावेश करते हैं । प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी कार्यकारी प्रमुख होते हैं । राज्य का पूर्ण शासन राज्यपाल के नाम से चलता है परंतु प्रत्यक्ष रूप में राज्य की सरकार को मुख्यमंत्री चलाते हैं ।

मुख्यमंत्री के कार्य

मंत्रिमंडल की निर्मिति : बहुमत सिद्ध करने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं । यह कार्य चुनौतीपूर्ण है क्योंकि मंत्रिमंडल को अधिकाधिक प्रातिनिधिक बनाने के लिए सभी क्षेत्रों, विविध सामाजिक घटकों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक आदि) का समावेश करना पड़ता है । स्पष्ट बहुमत न मिलने पर कुछ दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं, ऐसे समय मुख्यमंत्री को सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का कठिन कार्य करना पड़ता है।

विभाग वितरण : मंत्रिमंडल बनाने के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभागों का वितरण करते हैं। विभाग वितरण करते समय मंत्रियों का राजनीतिक अनुभव, प्रशासकीय कौशल, उनकी लोकभावना को समझने की शक्ति, नेतृत्व आदि बातों पर सोचना

पड़ता है ।

षवभागों में समन्व् : मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधान सभा के लिए उत्तरदायी होने के कारण कार्यक्षम सरकार चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर होती है । विविध विभागों में आपसी सहकारिता और समन्वय की भावना न हो तो उसका परिणाम सरकार के कार्य पर होता है । इसलिए मुख्यमंत्री को विविध विभागों के विवाद दूर करके सभी विभाग एक ही दिशा में कार्य करते हैं या नहीं उसका ध्यान रखना पड़ता है ।

राज् का नेतृत्व : प्रधानमंत्री जिस प्रकार देश का नेतृत्व करते हैं, उसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य का नेतृत्व करते हैं । मुख्यमंत्री अपने राज्य के हितों और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उसके अनुसार नई नीतियाँ बनाते हैं । राज्य की जनता मुख्यमंत्री की ओर 'हमारी समस्याएँ सुलझाने वाले व्यक्ति' के रूप में देखती है । राज्य की समस्याओं का तुरंत अनुमान लेकर उसपर सरकार की तरफ से उपाय योजना करने का जब मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं, तब जनता को बड़ी राहत मिलती है ।

महाराष्ट्र राज्य भारत का एक विकसित राज्य है । शिक्षा, उद्यम, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के बारे में सबसे अग्रसर है । आतंकवादी गतिविधियाँ और कुछ भागों में नक्सलवादी आंदोलन यही अपने राज्य के सामने दो बड़ी चुनौतियाँ हैं ।

स्वाध् ा्

१. षनम्न षवकल्पों में से उषचत षवकल्प चुनकर वाक् षफर से षलषि ।

(१) महाराष्ट्र विधि मंडल का शीतकालीन सत्र .... में होता है ।

(अ) मुंबई (ब) नागपुर

(क) पुणे (ड) औरंगाबाद

(२) राज्यपाल की नियुक्ति .... द्‌वारा की जाती है ।

(अ) मुख्यमंत्री (ब) प्रधानमंत्री

(क) राष्ट्रपति (ड) प्रधान न्यायाधीश

(३) राज्य विधि मंडल का सत्र बुलाने का अधिकार .... को होता है ।

(अ) मुख्यमंत्री (ब) राज्यपाल

(क) राष्ट्रपति (ड) अध्यक्ष

२. सारणी पूर्ण करो ।

अ. क्र.	सदन	कार्यकाल	सदस्य संख्या	चुनाव का स्वरूप	प्रमुख
१.	विधान सभा				
२.	विधान परिषद				

३. षटप्पणी षलषि ।

(१) राज्यपाल (२) मुख्यमंत्री के कार्य

४. षनम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में षलषि ।

(१) विधान सभा अध्यक्ष के कार्य स्पष्ट करो ।

(२) संविधान ने भारत के लिए संघराज्य व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया ?

(३) विभागों का वितरण करते समय मुख्यमंत्री किन बातों पर विचार करते हैं ?

उपक्रम

महाराष्ट्र सरकार के अधिकृत संकेत स्थल पर जाकर विविध मंत्री और उनके विभागों का कार्य आदि की जानकारी प्राप्त करो ।

9LZ46H

६. नौकरशाही

जिलाधिकारी ने जमाबंदी का आदेश दिया ।

नगर निगम आयुक्त ने आय-व्यय पत्रक प्रस्तुत किया ।

वित्त सचिव ने त्यागपत्र दिया ।

क्षेत्रीय आयुक्त राजस्व की समीक्षा करेंगे ।

उपर्युक्त तालिका में जिलाधिकारी, नगर निगम आयुक्त, वित्त सचिव, क्षेत्रीय आयुक्त इन पदों का उल्लेख है । सरकार की प्रशासन व्यवस्था में यह प्रशासनिक अधिकारी होते हैं । वे क्या करते हैं ? ऐसा प्रश्न आपको जरूर महसूस हुआ होगा ?

कार्यकारी मंडल की भूमिका को स्पष्ट करनेवाले प्रकरण में हमने यह देखा कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल नया कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार करते हैं और नीति निर्धारण करते हैं । सरकारी नीतियों को प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वित करनेवाली और कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रशासकीय व्यवस्था को 'नौकरशाही' कहा जाता है । प्रस्तुत पाठ में हम नौकरशाही के महत्व का अध्ययन करेंगे ।

किसी भी देश की शासन संस्था को मूलतः दो प्रकार के कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं ।

(१) देश का विदेशी आक्रमणों और आंतरिक सुरक्षा विषयक खतरों से संरक्षण करते हुए नागरिकों की रक्षा करना ।

(२) नागरिकों को विविध प्रकार की सेवा प्रदान करके उनके दैनिक जीवन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाना, जिससे वे अपनी और समाज की प्रगति कर सके ।

इसमें से, प्रथम कार्य के लिए देश की रक्षा व्यवस्था हमेशा सुसज्जित रहती है । ये सेवाएँ अंतर्गत सुरक्षा के लिए नागरी सेवा की मदद करती हैं । इन्हीं सेवाओं को हम 'सैन्य सेवा' कहते हैं । दूसरे कार्य के लिए प्रशासकीय व्यवस्था तैयार की जाती है, जिसे हम 'प्रशासनिक सेवा' कहते हैं । प्रशासकीय कर्मचारियों की इस व्यवस्था को हम 'नौकरशाही' भी कहते हैं ।

संसदीय लोकतंत्र में, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और मंत्रियों पर प्रशासकीय उत्तरदायित्व रहता है । विविध विभागों से सरकारी कार्य पूर्ण किए जाते हैं । प्रत्येक विभाग के लिए एक मंत्री होता है, जो उस विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है । जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मंत्रियों को अपने विभाग का प्रशासन जनहित को प्रधानता देकर चलाना आवश्यक होता है । मंत्री भले ही अपने विषय में विशेषज्ञ न हों, पर व्यापक जनहित क्या होता है ? इसका ज्ञान होना आवश्यक है । मंत्री के विभाग के सचिव उन्हें उचित परामर्श देते हैं । इन सचिवों की नियुक्ति प्रशासनिक सेवाओं द्वारा की जाती है । संसदीय प्रणाली में जनता की इच्छा और प्रशासनिक अनुभव इन दोनों में समन्वय रखा जाता है ।

नौकरशाही का स्वरूप

- **स्थायी व्यवस्था** – इस बड़ी नौकरशाही द्वारा राजस्व जमा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, कानून और सुव्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जैसे कार्य निरंतर किए जाते हैं । इस कारण इसका स्वरूप स्थायी है । हर चुनाव के पश्चात नये प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सत्ता में आ सकता है परंतु उनके नियंत्रण में जो नौकरशाही होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका स्वरूप स्थायी है ।

- **राजनीब्क दृप्ष् सरे ्ि स् /राजनीब् सरे दूर :** नौकरशाही हमेशा राजनीति से दूर रहती है ।

इसका अर्थ यह है कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, नौकरशाही को उस सरकार की नीतियों को पूरी कार्यक्षमता और निष्ठा से अमल में लाना चाहिए । प्रशासनिक कर्मचारी कोई राजनीति भूमिका या राजनीतिक मतानुसार काम न करें । चुनाव में हार जानेपर कोई दल सत्ता से दूर हो जाता है और दूसरा दल सत्ता में आ जाता है और वह पूर्ववर्ती सरकार की कुछ नीतियाँ बदल सकता है । ऐसी स्थिति में नौकरशाही का यह कर्तव्य है कि वह तटस्थ रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करे ।

- **अनातम्कि/अनामि :** अनामिकता/अनामता का अर्थ है किसी नीति की सफलता–असफलता के लिए सीधे नौकरशाही को उत्तरदायी न मानते हुए उसे अनामिक/अनाम रखना । अपने विभाग के प्रशासन को पूरी कार्यक्षमता से चलाने का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर होता है । किसी विभाग की अकार्यक्षमता के लिए उस विभाग के मंत्रियों को उत्तरदायी माना जाता है । विभाग की अनियमितता के लिए संसद उस विभाग के मंत्रियों को जिम्मेदार मानती है । इस संदर्भ में मंत्री स्वयं उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और नौकरशाही की रक्षा करते हैं ।

भारि में नौकरशाही का महत्व

भारत में नौकरशाही की संरचना बहुत ही व्यापक और पेचीदा है । स्वातंत्र्योत्तर समय से जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, उसे व्यवस्था ने प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया । आज हमें जो अच्छे सामाजिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिन नीतियों को क्रियान्वित करके सामान्य नागरिकों तक पहुँचाए गए हैं, इसमें भारतीय नौकरशाही का बड़ा योगदान रहा है । नौकरशाही से राज्य व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त होती है । जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि सुधार, प्रदूषण पर रोक जैसी कई सेवाएँ हमें बिना किसी रुकावट के निरंतर मिलती रहती हैं । जिससे समाज के दैनिक जीवन को स्थैर्य प्राप्त होता है ।

दूसरी बात यह है कि नौकरशाही भी समाज परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण साधन है । स्त्रियों का सशक्तीकरण, बच्चों की रक्षा, समाज के कमजोर वर्ग के लिए योजनाएँ आदि के विषय में सरकार जो कानून बनाती है, उसे प्रत्यक्ष रूप में लाने का कार्य नौकरशाही द्वारा किया जाता है । नीतियों को क्रियान्वित करने से ही समाज में परिवर्तन होता है ।

सामाजिक लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका महत्त्वपूर्ण है । आरक्षित स्थानों की नीति के कारण कई उपेक्षित समाज घटक मुख्य प्रवाह में शामिल हुए हैं । निर्णय प्रक्रिया में उनके सहभाग में वृद्धि हुई है । समाज का लोकतांत्रिकीकरण होने के लिए प्रगतिशील कानून और नीतियों की आवश्यकता के साथ कार्यकुशल नौकरशाही की भी आवश्यकता होती है ।

प्रशास्नक सेवाओं के प्रकार : भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के तीन प्रकार हैं ।

(१) भारिीय प्रशास्नक सेवाएँ : इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) का समावेश होता है ।

(२) केंरीयि सेवाएँ : ये सेवाएँ केंद्र सरकार के अधीन होती हैं । भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय राजस्व सेवा (IRS) इन सेवाओं का केंद्रीय सेवाओं में समावेश रहता है ।

(३) राज्य सेवाएँ : ये सेवाएँ राज्य सरकार के अधीन होती हैं । उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार आदि प्रशासनिक अधिकारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है ।

भारतीय संविधान ने प्रशासनिक कर्मचारियों का चयन योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर करने के लिए संघ सेवा आयोग जैसी स्वतंत्र व्यवस्था का निर्माण किया है । संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए स्पर्धा परीक्षा लेकर उम्मीदवारों का चुनाव

करता है और सरकार द्‌वारा उनकी नियुक्ति की जाती है । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) महाराष्ट्र की प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं द्‌वारा उम्मीदवारों का चयन करता है और सरकार को उनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है ।

नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों को आरक्षण देकर इन सेवाओं में आने का अवसर प्रदान किया गया है । सामाजिक विषमता के कारण समाज के दुर्बल वर्ग प्रशासनिक सेवा से दूर न रहें, इसलिए यह प्रावधान किया गया है ।

मंत्‌री और प्‌रशासनकि कम्‌मचारी : मंत्री और उनके विभाग के कर्मचारी अथवा सचिव, उपसचिव इन पदों पर कार्य करनेवाले व्यक्तियों के संबंधों पर उन विभागों की कार्यकुशलता अवलंबित रहती है । मंत्री अपने विभागों से संबंधित निर्णय लेते हैं परंतु ये निर्णय लेने के लिए उन्हें प्रशासनिक अधिकारी सभी प्रकार की जानकारी देते हैं । प्रशासनिक कर्मचारियों का अर्थात नौकरशाही का जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण होता है । किसी योजना के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है, इसे प्रशासनिक कर्मचारी ही बता सकते हैं । नीतियों की सफलता-असफलता की इन्हें जानकारी होती है । इसलिए मंत्री भी बड़ी मात्रा में प्रशासनिक कर्मचारियों पर निर्भर रहते हैं । अगर मंत्री इन प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ संवाद तथा पारस्पारिक संबंधों में विश्वास, पारदर्शिता रखते हैं तो उनके विभागों का प्रशासन पूरी कार्यक्षमता से चल सकता है ।

स्‌वाध्‌याय

१. नर्मि कर्था सत्‌य हैं ‌्या असत्‌य बताकर नरि से नखिो ।

(१) संसदीय लोकतंत्र में जनता द्‌वारा चुने गए प्रतिनिधियों और मंत्रियों पर प्रशासनिक उत्तरदायित्व रहता है ।

(२) संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) महाराष्ट्र में प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा द्‌वारा प्रत्याशियों का चयन करता है ।

२. नर्मि कर्थां को कारण सनहत स्‌पष्‌टकरो ।

(१) प्रशासनिक सेवाओं में भी आरक्षित स्थानों की नीति है ।

(२) प्रशासनिक कर्मचारियों का राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहना क्यों आवश्यक है ?

३. नर्मि प्‌रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्‌दों में नखिो ।

(१) विभाग का प्रशासन कार्यकुशलता से चलाने में मंत्री और प्रशासनिक कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट करो ।

(२) नौकरशाही से राज्य प्रशासन को स्थिरता किस प्रकार प्राप्त होती है, उसे स्पष्ट करो ।

४. नर्मि संकल्‌पा नचत्‌ ‌पूण्‌मकरो ।

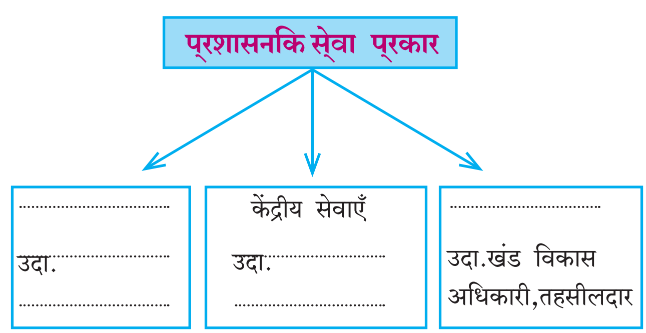

५. ाैकरशाही का स्‌वरूप स्‌पष्‌टकरो ।

उपक्रम

तुम्हारे क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा में कार्यरत किसी अधिकारी का साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली तैयार करो और साक्षात्कार लो ।

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतिग्रंथ

- सामान्य रयतेच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या स्वराज्य स्थापनेची कथा उलगडणारे पुस्तक.
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उत्तुंग कार्य व त्यामागची तेवढीच उत्तुंग व उदात्त भूमिका वाचकांसमोर आणणारे प्रेरणादायी वाचन साहित्य.
- इतिहास वाचनासाठी पूरक असे संदर्भ पुस्तक.

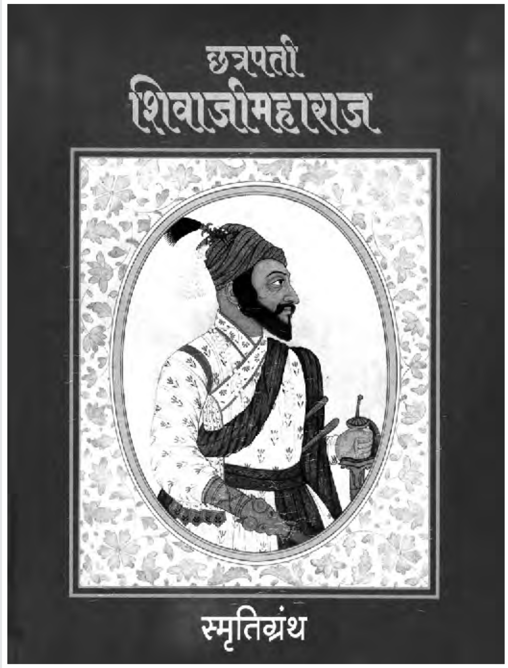

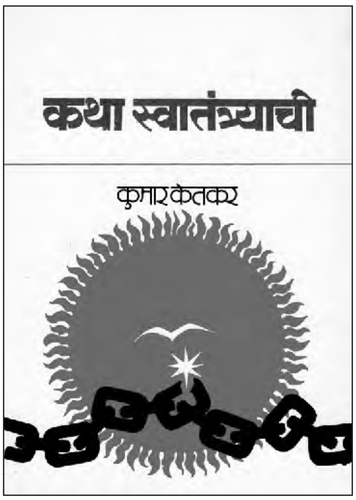

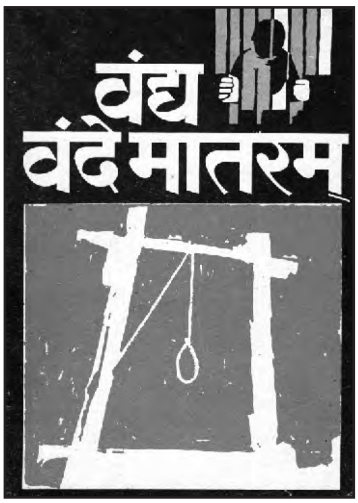

- इतिहास वाचनासाठी पूरक अशी संदर्भ पुस्तके.
- निवडक लेखक, इतिहासकारांचे प्रेरणादायी लेख.

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेतस्थळावर भेट द्या.

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२१७१, नागपूर - ☎ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

इतिहास और नागरिकशास्त्र इ.८ वी (हिंदी माध्यम)

₹ 42.00